आस्था के स्वर

(चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का संकलन)

भाग-2

भाग-2

सम्पादन : ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

सम्पादन : ज्ञान सिंह

आस्था के स्वर

(चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का संकलन।)

भाग-दो

आस्था के स्वर

(चौधरी रणबीर सिंह के चुनिंदा भाषणों का संकलन।)

भाग-दो

संपादन

ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण: 2014

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रकः
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक

विषय सूची

1. पंजाब में बिजली–पानी की वस्तुस्थिति 01
2. बिजली के क्षेत्र में बढ़ते कदम 11
3. सिचाई की उपलब्धियाँ, मिशन और विजन 17
4. राजनीतिक रंग बदलने वालों को प्रान्त ने राह दिखाई 24
5. शराबंदी किसी एक दल का सवाल नहीं 34
6. अधिकारी सैटअप के साथ बलते हैं 42
7. अवसर मिलते ही सबके साथ न्याय किया 48
8. शराफत कभी नहीं छोड़नी चाहिए 58
9. हरियाणा में बिजली बोर्ड में सुधार की आवश्यकता 64
10. योजना आयोग में विशेष सेल का गठन 79
11. दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1968 86
12. हरयाणा में रेल मार्गों की मांग 95
13. हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति का दुरुपयोग 100
14. उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या हो 106
15. पंजाब नगर परिषद (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1974 113
16. विनियोग बिल विधेयक 118
17. विश्वविद्यालय शिक्षा का केन्द्र रहें, हिप्पी बनने का नहीं 125
18. संविधान बनाते वक्त अंग्रेजी राज की गलतियां जुड़ी रह गईं 131
19. राजनीति का चेहरा नहीं बदला 139
20. पाकिस्तान के नागरिकों को शत्रु मानना गलत 149
21. बाल विवाह को ठीक से समझें 154
22. देहात के साथ खिलवाड़ न हो 160
23. जनता पार्टी शासन की कथनी करनी में अन्तर 170
24. चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम 178

पंजाब में बिजली-पानी की वस्तुस्थिति*

{ चौधरी रणबीर सिंह सदन में बतौर मंत्री अपने महकमे के प्रति सदैव समर्पित रहते थे। वे अपने विभाग की समस्याओं से बड़ी गहराई से परिचित रहते थे और उन्हें सदन के सामने रखने से नहीं हिचकते थे। सदन में विषय से संबंधित गहन अध्ययन करके जाते। 21 मार्च, 1963 को दिये गए भाषण से यह सहज अन्दाजा लगाया जा सकता है। -सम्पादक । }

————————

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (चौधरी रणबीर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदया, आज और कल की बहस में, उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण की बहस में, सप्लीमैंन्ट्री और एप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में कोई 50 सदस्यों ने इरीगेशन ऐंड पावर मिनिस्ट्री के बारे में बातें कही हैं। उनमें से कई भाईयों को कई दफा मौका मिला और हर बार उन्होंने पहली बातों को दुहराने की ही कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक बिजली और पानी के विभागों का सम्बन्ध है, यह साल उनके इतिहास में एक सुनहरी साल है। वह इसलिये कि 31 अक्तूबर, 1962 को हिन्दुस्तान का ही नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा भाखड़ा बांध मुकम्मल हुआ। डिप्टी स्पीकर महोदया, इससे मुझे तो अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मेरे साथी, चौधरी देवी लाल जी के गांव में, जहां पीने के लिए कभी पानी भी नहीं मिलता था, अब वहां कपास पैदा होने लगी है (सरकारी बैंचों की तरफ से तालियां)। यही नहीं, पिछले

**Punjab Vidhan Sabha, 21th March 1963, Vol. I, No. 34, Page (20) 116-(20) 123*

सारे सालों में बिजली का पीक लोड 3,37,000 के.डब्ल्यू था। इस साल में अब तक जो बढ़त हुई है, वह 4,34,000 के.डब्ल्यू. थी, यानी 97,000 के.डब्ल्यू. की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कोई छोटी वृद्धि नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, अगर सन् 1947-48 के आंकड़ों के साथ हमें मुकाबला करना हो तो पता चलता है कि जहां उस वक्त जनरल कनैक्शन्ज़ की तादाद सारे पंजाब के अन्दर केवल 16,009 थी, अब सन् 1961-62 के आखिर तक 4,52,288 हुई। (सरकारी बैंचों की तरफ से तांलियां) उपाध्यक्ष महोदया, इन्डस्ट्रियल कनैक्शन्ज की तादाद सन् 1947-48 में 1,345 थी और इसमें एग्रीकल्चर्ल वैल्ज़ भी शामिल हैं वहां सन् 1961-62 के आखिर तक एग्रीकल्चर्ल वैल्ज़ (सिंचाई के कूएं) को निकाल कर इन्डस्ट्रियल कनैक्शन्ज़ की तादाद 12,525 तक पहुंच गई। इसी तरह 14,278 कुओं को बिजली दी जा चुकी है। जहां तक शहरों में बिजली देने का ताल्लुक है, 3,680 के मुकाबले में अब इन प्वाइंट्स की संख्या 39,944 हो गई है।

यहां पर इस बात की बहुत चर्चा की गई है कि हमारी स्टेट पर बहुत कर्ज़ा बढ़ गया है। लेकिन, उन्हें यह सोचना चाहिए कि नहरों पर कितना ज्यादा सरमाया लगाया गया है। जहां 1947-48 में 4,58,95,809 रुपया सरमाए के रुप में लगा हुआ था, उस के मुकाबला में 1960-61 तक जो सरमाया नहरों पर लगाया जा चुका था यह 1,26,33,97,563 रुपये बनते हैं। इसी तरह जो आमदनी सिंचाई से पंजाब सरकार को 1947-48 में होती थी वह 88,80,229 रुपए थी। लेकिन, 1960-61 में यह बढ़कर 4,59,84,864 रुपए हो गई थी। इस तरह से इरीगेशन से 1947-48 में कुल 2,83,000 रुपया मुनाफा हुआ था तो 1960-61 में यह एक करोड़ 83 लाख हो गया।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदया, हमारे आपोज़ीशन (प्रतिपक्ष) के कुछ भाईयों ने सीधे या टेढ़े तौर पर इस बात को बड़ी चर्चा की है कि ज़िला महेन्द्रगढ़, तहसील भिवानी वगैरह में आबपाशी के लिए पानी का कोई इन्तज़ाम नहीं है। हमारे विरोधी दल के एक सदस्य, जो पहले विरोधी दल के

नेता थे, ने कहा कि घग्गर का इलाका जो पहले सोना पैदा करने वाला कहा जाता था, अब पानी की तबाही से वहां के लोगों को डर लगने लग गया है। उन्होंने वहां के पानी को महेन्द्रगढ़ और भिवानी की तरफ मोड़ देने के लिए कहा। इसलिये, मैं उन से कहता हूँ कि वक्त आएगा कि जैसा घग्गर के इलाका के लोगों को पानी से डर लगने लग गया है, वैसे ही भिवानी और महेन्द्रगढ़ के लोगों को पानी से डर लगने लग जाएगा।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदया, बाढ़ों को रोकने के इन्तजाम के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इन को रोकने के लिए ज़रुरी है कि ड्रेन्ज़ खोदी जाएं और जो मौजूदा ड्रेन्ज़ हैं उन को और गहरा किया जाए ताकि, ज़मीन का जो सब-सायल पानी का लैवल ऊपर आ गया है, उसको नीचे ले जाया जाए। इस काम को करने के लिए एक करोड़ 58 लाख रुपए की ड्रैग लाईन्ज और दूसरी मशीनें बाहर से मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि उनके बगैर भी ड्रेन्ज को और गहरा करना मुमकिन नहीं। फिर सरदार गुरदयाल सिंह ढ़िल्लों साहब ने और विरोधी दल के एक और सदस्य ने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि मैं कई साल तक लोकसभा का सदस्य रहा हूँ और मुझे उसका काफी तजरूबा हासिल है। इसलिए मैं फिर वहां चला जाऊं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी सारी जिन्दगी में वही सबसे ज्यादा फख्र का वक्त था, जब मुझे वहां दुनिया के सबसे बड़े इनसान के साथ रहने का मौका मिलता था।

सरदार गुरदयाल सिंह ढ़िल्लों : मैंने यह नहीं कहा था।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : आपने कहा था कि क्योंकि मुझे लोक सभा का तर्जुबा हासिल है। इसलिए, मैं वहां जाकर फायदा उठाऊं।

उपाध्यक्षा : उन्होंने आपसे अच्छी ही बात कही थी। उन्होंने तो कहा था कि आप सैन्टर में जाकर अपने प्रान्त का फायदा करें।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : उपाध्यक्षा महोदया, मैं अर्ज कर रहा था फ्लड्ज रोकने के लिए ड्रेन्ज खोदी जा रही हैं और ड्रेन्ज के लिए एक करोड़

58 लाख रूपये की मशीनें दुनिया भर के देशों से मंगवाई जा रही हैं। इसके अलावा, जितने आदमी इन ड्रेन्ज को खोदने के काम पर लगे हुए हैं, इस पर काम कर रहे थे। इसके बावजूद भी यहां बहुत से भाईयों ने कहा है कि इस बारे में कोई काम नहीं हुआ। मैं उन्हें और कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि उनकी वाकफीयत उन्हें मुबारिक हो। सरकार के पास इस काम के लिए जितने पैसे होंगे, उतना वह काम करवा सकेगी, क्योंकि यह तो सब जानते ही हैं कि जितना गुड़ होगा, उतना ही मीठा होगा।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके अलावा बाहर से पैसे, फारेन एक्सजेंज मंगवाने की बात कही गई थी। इस बारे में यह कहा गया था कि ब्यास प्रोजैक्ट के लिए बाहर मशीनरी मंगवाने के लिए फारेन एक्सचेंज नहीं मिली। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस साल हमको 3.5 मिनियन डालर फारेन एक्सचेंज मिल चुकी है। इसके अलावा, 6 मिनियन डालर की और सिफारिश हुई है। यह पत्र अभी मुझे सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर की तरफ से मिला है, जिसमें यह सूचना हमें दी गई है। आप जानते हैं कि आज कल फारेंन एक्सचेंज कितनी मुश्किल से मिलती है। लेकिन, इस सूबा की तरक्की के लिए हिन्दुस्तान सरकार ने इतनी फारेन एक्सचेंज देने का फैसला किया है। इससे एक थर्मल फरीदाबाद में लगाया जाएगा, एक दिल्ली में लगाया जाएगा और एक कालका में लगाया जाएगा हिन्दूस्तान की सरकार ने हमारी सरकार को यह सब काम की मन्जूरी दे दी है। इसी पर ही बस नहीं, एक एक हजार किलोवाट डीजल प्लांट भी इम्पोर्ट करने की मन्जूरी मिली है।

बहुत सारे भाई इस डिमांड पर बोले हैं। लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि किस तरह से इरीगेशन डिपार्टमेंट के खर्च में सेविंग की गई है। शायद इस बारे में बोलने के लिए मसाला ही नहीं मिला। मैं उन्हें बताता हूँ कि जैसी की हालत को देखते हुए सरकार ने दस सर्कल तोड़ दिए हैं और इस तरह से सुपरिन्टैंडिंग इंजीनियर्ज और दो चीफ इंजीनियर्ज की

पोस्ट्स घटा दी हैं। (एक आवाज : पर पांच सर्कल बढ़ा भी तो लिए हैं।) हां, बाढ़ों को रोकने के काम के लिए सर्कल खोले गए हैं।

इसके अलावा यहां थूर का बड़ा जिक्र किया गया है। एक भाई ने कहा था कि उनके इलाका में 50 प्रतिशत जमीन थूर की वजह से सफेद हो गई है। प्रतिशतता की बात जिस तरह उन्होंने की है, वह तो आप जानते ही हैं कि वह किस तरह से उन्होंने इसका हिसाब लगाया होगा? उनसे मैंने एक बात कहनी है। उन्होंने मेरे से पहले इस महकमा के एक वजीर साहिब का भी जिक्र किया था, जो उनके अपने भतीजे होते हैं। लेकिन, माननीय सदस्य जो सोनीपत से चुनकर आए हैं, अब पता लगा है कि वह कवि भी हैं। कवि तो, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ही इनसान होता है। उसका तखैयल भी बड़ा ऊंचा होता है। उन्होंने नकशे दिखाने की बात की थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम अगर उन्हें अपने बने हुए नकशे नहीं दिखा सकते तो दूसरे इंजीनियर्ज और विशेषज्ञों के बने हुए नकशे तो दिखा सकते हैं। मैं थूर के बारे में अर्ज कर रहा था। मैं अर्ज करता हूँ कि पंजाब सरकार थूर के मामले में कोई सोई हुई नहीं। गोहाना सैक्शन में 22,390 एकड़ जमीन में थूर को हटाने के लिए विचार किया जा रहा है। इसी तरह हांसी सैक्शन में से 4,320 एकड़ जमीन में, सोनीपत सैक्शन, जहां से माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, में 176 एकड़ जमीन में और कैथल सैक्शन में 3,153 एकड़ जमीन में सर्वे कराया जा रहा है और वहां इसी साल में इस बारे में कोई तरीका निकाल कर थूर को दूर करने का काम शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा आपके जरिए मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि 6 और वाटर-लॉगिंग स्कीमें चालू हैं। इस बारे में बड़ा ख्याल किया जा रहा है।

अभी सरदार ज्ञान सिंह जी राड़ेवाला ने कहा था कि यह महकमा प्रदेश को बनाने वाला है। लेकिन, उन्हें एक गिला है कि काफी बड़े-बड़े इंजीनियर्ज यहां सैंटर को चले गए हैं। मुझे मालूम नहीं कि वह क्यों चले गए हैं? लेकिन, एक बात मैं कह सकता हूँ कि पंजाब आज तरक्की के युग से

गुजर रहा है। यह इंजीनियंरिंग का युग है, इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमारे जो अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनको हम सैंट्रल गवर्नमैंट में दाखिल करें ताकि काम अच्छा हो सके। आप जानते हैं कि अगर उस पैसे का हिसाब लगाया जाए जो स्टेटस को तरक्की करने के लिए सैंटर से मिला है तो पंजाब काफी आगे है। कल को वहां पर अगर इस बात के खिलाफ आवाअ उठ सकती है तो यह निहायत जरूरी है कि वहां पर हमारे वो इंजीनियर्स हों, जो इस सूबे की मदद कर सकें। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, तीसरी योजना के अन्दर अन्दर पानी से पैदा होने वाली बिजली को 854 एम.वी.ए. बढ़ाने की स्कीम्ज हैं। इसी तरह 31,000 किलोवाट डीजल और स्टीम से पैदा होने वाली बिजली को बढ़ाना है।

सरदार तरा सिंह जी ने इलैक्ट्रिसीटी ड्यूटी का जिक्र किया। इस बारे कहना है कि बिजली इस्तेमाल करने वाले काश्तकारों में से आधे वह लोग हैं जो 15 से कम शक्ति इस्तेमाल करते हैं। इन पर बोझ कम ही किया है, बढ़ाया नहीं (विघ्न) जो दे सकते हैं, उन पर ही इन्सीडैंस बढ़ाया है। कुछ दोस्तों न जिक्र किया कि भाखड़ा और नंगल के मोघे कच्चे हैं। मैं मानता हूँ कि यह जल्दी पक्के होने चाहिएं। इसकी कोशिश करेंगे।

जिक्र आया है कि कन्सालीडेशन होने से कई परेशानियां हुईं। मिसाल के तौर पर 9,001 गाँवों में और 19,962 मोघों पर इसका असर पड़ा। कन्सालीडेशन के बाद जहां पर दोबारा वाराबन्दी का काम खत्म किया है, उन मोघों की संख्या 5,781 है। मैं मानता हूँ कि मेरे महकमे के लिए यह शर्म की बात है कि इसमें तेजी होनी चाहिए थी। वाराबन्दी तब तक नहीं हो सकती, जब तक चकबन्दी न हो। इस काम में चकबन्दी का महकमा लगा रहा। मगर, जिस हिसाब से वह काम को करते थे, इसमें हमें शायद 8-10 साल और लग जाते। जब हमने तरीका को तब्दील किया है और ऐसी हिदायत की गई है ताकि यह काम 3-4 साल के अन्दर अन्दर खत्म किया जा सके। उनका जो स्टाफ है, वह इसको तीन महीनों के अन्दर खत्म करने की

कोशिश करेंगे। चकबन्दी के बिना मोघे नहीं लग सकते।

राम प्रताप जी ने कहा कि बाढ़ ज्यादा आने लगी है तो यह नंगल की वजह से हैं। यह ठीक नहीं है। इसकी वजह यह है कि जहां पहले 15-20 इंच बारिश हुआ करती थी, अब यह 30-40 इन्च होने लगी है। पहली बारिश के अन्दाज से साइफन बनाए गए थे, क्योंकि बड़े साइफन बनाने पर ज्यादा खर्च आता था। हम पहले ही काफी खर्च कर रहे थे और जो कर्ज था, उसके ब्याज को पूरा करने के लिये ही बैटरमैंट लैवी लगा रहे थे। इस छोटे साइफन बनाने में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह तो सिर्फ कम खर्च करने के लिए ही बनाए गए थे।

मुझे खुशी है कि कम से कम चार करोड़ रूपया जोकि पहले नहर पर होना था और जो कि बैटरमैंट लैवी के जरिए से वसूल किया जाना था, अब महकमे की तरफ डाल दिया गया है, क्योंकि जो पानी छोड़ेंगे, वह बिजली की पैदावार बढ़ाकर छोड़ेंगे। इससे खेतों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।

हरियाणे की बात बार-बार कही गई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे मालूम नहीं है कि जो सिरसा ब्रांच का इलाका है, यह इनके तसव्वर के हरियाणा के इलाका आता है कि नहीं। मुझे यह भी मलूम नहीं कि खनौरी, जहां से कि पंजाबी का इलाका खत्म हो जाता है, उससे नीचे को जो पानी गया है, वह हरियाणा का है कि नहीं। (विघ्न) इसी तरह से जो 600 क्यूसैक्स पानी हरियाणा मेन ब्रांच से निकला है, वह रोजाना का पानी है, उसमें वाराबन्दी नहीं है। यह नहीं होगा कि रिटर्न जमुना कैनाल की दूसरी दो ब्रांचों की तरह वह कभी 8 दिन के लिए बन्द या 10 दिन के लिए बन्द होगा। मैं थोड़े बहुत पानी की बात नहीं कहता। यह पहली दफा है कि 1800 क्यूसैक्स सतलुज का पानी सिरसा ब्रांच के हरियाणा क्षेत्र को सैराब करेगा। (विघ्न) यह मैं मानता हूँ कि इस बार बारिश कम होने की वजह से जमुना में पानी कम था। जब लोगों को पानी की जरूरत हो तो यह जरूर पूरी होनी चाहिए। मगर,

तरह-तरह से चौधरी राम सरूप जी ने सांपला का जिक्र किया, पता नहीं, कहां तक ठीक है ? यह मेरे बड़े भाई हैं। मगर, मेरी समझ में नहीं आया कि पानी किस ख्याल से लेंगे। उनके ख्याल से तो वह अर्जी ही बहुत मुतबर्रक है। मुझे मालूम नहीं कि कौन सी अर्जी की बात करते हैं या खाली वह इनके दिमाग की इख्तराह थी। (हंसी)। मुझे खुशी होती है कि अगर चौधरी देवीलाल जो यह हरियाणे की दुहाई देते हैं या चौधरी मुख्तयार सिंह जो हरियाणो के ठेकेदार बने हैं.....

उपाध्यक्षा : पहले ही बहुत कम समय है। अब आप वाइंड अप करें।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मुझे खुशी होती, अगर यह भाई या जिन भाईयों ने कहा कि भिवानी में पानी की कमी है या महेन्द्रगढ़ में पानी की कमी है। अगर, वह मुझे बताते कि यह कैसे दूर की जा सकती है। मैं चौधरी रिजक राम जी का मशकूर हूँ कि उन्होंने सुझाव दिये कि जिनसे हरियाणे की तरक्की हो सकती है। उन बातों का उन्होंने स्वागत किया। अगर आप की इजाजत हो तो मैं जमुना के ऊपर डैम बनाने के सिलसिले में यू.पी. सरकार और पंजाब सरकार की जो चिट्ठी पत्री है, वह टेबल पर रखना चाहता हूँ। यू.पी. सरकार के कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा कोई समझौता पंजाब से नहीं हुआ, बल्कि पंजाब सरकार को 1 लाख रूपया भी यू.पी. सरकार ने दिया। मेरे पास कुछ चिट्ठियां हैं, वह मैं हाउस के टेबल पर रखता हूँ।

यहां कई दोस्तों ने इस बात को मजाक समझा कि पंडित नेहरू ने उनको यह कह दिया कि मैं पानी जेब में नहीं रखता। यह कौन सी असत्य बात है ? पानी पैदा हो सकता है, लेकिन, देर लगती है। जहां तक सिरसा ब्रांच से सतलुज को जोड़ने का सवाल है तो मैं मानता हूँ कि यदि इसे न जोड़ा जाए तो पानी की तादाद बढ़ नहीं सकती।

सरदार ज्ञान सिंह जी ने ट्यूबवैल्ज का जिक्र किया और कहा कि बड़े सुक तोड़ दिया जाए। यह मैं भी जानता हूँ। लेकिन, चीफ इंजीनियर

कबूल नहीं करते। लेकिन, फिर भी ऐमरजैंसी के नाम पर उन्हें कबूल करना पड़ा। यह मैं भी जानता हूँ कि रेवाड़ी से लेकर अमृतसर का जो इनचार्ज हो, वह कैसे काम कर सकता है? अब जो ट्यूबवैल्ज की बात है कि कुछ ट्यूबवैल्ज कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह थी कि तरीका गलत था, अब उसे बदल दिया गया है। अब ट्यूबवैल्ज को चलाने में कोताही नहीं होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैम्बर साहिबान को कोई शिकायत हो तो वह मुझे लिख कर दे दें या बतला दें। मैं उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।

एक बात पुल बनाने के बारे में कही गई और कहा गया कि इंजीनियर्ज कहते हुए डरते हैं। असली बात यह है कि अगर ब्रिज महंगे बनाते हैं तो पैसा चाहिए और सस्ते बनाते हैं तो टूट जाने का डर है। मेरी राय है कि सस्ते ब्रिज बनाने और जहां तक टूटने की बात है, उससे हमें नहीं घबराना चाहिए।

इरीगेशन पटवारियों को और रैवेन्यू के पटवारियों को मिला दिया गया है। अब वह शिकायत नहीं आयेगी जो अलग-अलग रहने के कारण आती रही है। पहाड़ी ऐरिया के बारे में यह कहा गया कि सरकार को कूहल के लिए सबसिडी देनी चाहिए तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हम सबसिडी देने को तैयार हैं। नसराला नाले के बारे में भी मैं बतला दूं कि वहां पर काम हो रहा है। जो भाई बठिंडा के हैं, उनकी जानकारी के लिए बतलाऊं कि चारों ड्रेन को चैनलाइज किया जा रहा है। रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम दो स्टेजों का इसी साल में काम मुकम्मल किया है और वहां पर गन्ने की फसल अच्छी हुई है। इसकी और दो स्टेजें हैं, उनको भी पूरा करेंगे।

जो गुड़गाँव कैनाल है, उसका मुंह आगरा कैनाल के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मेरी कोशिश है कि यू.पी. की सरकार आगरा कैनाल को हमें दे दे और अगर न दे तो हमें पानी चलाने की इजाजत दे। अगर 500 या 400 क्यूसैक्स की इजाजत दें तो मैं श्री रूप लाल जी को विश्वास दिलाता हूँ

कि उनके यहां इसी साल पानी आ जायेगा। (प्रशंसा)

उपाध्यक्षा महोदया, टांगरी और मारकंडा के पानी को भी चैनलाइज कर रहे हैं। जमुना के ऊपर छोटे मोटे स्पर बनाने का जहां तक ताल्लुक है, जिस काम को हम कायदे और कानून के मुताबिक कर सकते हैं, उसको करने की पूरी कोशिश की जाती है। (विघ्न) मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणे का जिक्र किया....(विघ्न)

गुरदयाल सिंह ढ़िल्लों : ऑन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर, मैडम। सारा समय चौधरी साहिब ने हरियाणे पर लगा दिया है। हमने अपनी तरफ का भी रोना रोया था कि वाटर रेट का क्या बनेगा और ड्रेन्ज का क्या बनेगा? पुल टूट गए हैं, उनका क्या बनेगा?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जहां तक सरदार गुरदयाल सिंह की ड्रेन का ताल्लुक है, मैं नहीं कह सकता कि उससे पंजाब और हिन्दुस्तान को घाटा है। हां, कोई बात वह जानना चाहें तो मैं बता दूंगा। जिला हिसार में 1950-51 में चार लाख 35 हजार एकड़ भूमि को पानी दिया जाता था। आज वहां पर दोगुनी भूमि में पानी दिया जाता है। (विघ्न) रोहतक जिले में डेढ़ गुना जमीन को पानी दिया जाता है। (विघ्न) (थम्पिंग)।

बिजली के क्षेत्र में बढ़ते कदम*

{ चौधरी रणबीर सिंह ने 12 अप्रैल, 1963 को बतौर सिंचाई तथा विद्युत मंत्री पंजाब विधानसभा में बिजली से जुड़े तथ्यों और हकीकत से अवगत करवाया। तत्कालीन पंजाब में बिजली की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए चौधरी साहिब का यह भाषण महत्व का है। -सम्पादक । }

————————

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : मानयोग सभापति जी, सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, जिनमें से कुछ मानयोग सदस्यों ने काफी ज्यादा जानकारी कराई है। अपनी जवाबी तकरीर में मैं तकरीबन सभी के बिन्दू कवर करने की कोशिश करुंगा। इस से पहले कि मैं इन प्वाइंटस को टच करने की कोशिश करुं मैं यह बता देना जरुरी समझता हूँ कि 31 मार्च 1963 तक बिजली बोर्ड की तरफ कितना सरमाया हो जायेगा ? इस सरमाये में वह रुपया भी शामिल है, जो भाखड़ा पर खर्च किया गया है, क्योंकि इसे भी पंजाब स्टेट बोर्ड में डालने की सिफारिश की गई है। यह सारा तकरीबन 107.9 करोड़ होगा, जो पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ होगा। सभापति जी, यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा कि बिजली का महकमा घाटे में चल रहा है और घाटे का कारण यह है कि लोगों के बिल नहीं बनाये जाते। मैं समझता हूँ कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बातें करना वाजिब मालूम नहीं होता। इसकी आवाज हाऊस में ही

**Punjab Vidhan Sabha, 12th April 1963, Vol. I, No. 34, Page (38) 65-(38) 69*

सुनाई नहीं देती बल्कि प्रैस से बाहर भी जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक साल में जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का रेवेन्यू बढ़ा, यह 25.9 प्रतिशत था। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदया जो इलैक्ट्रिसिटी की शक्ति एक साल के अन्दर बढ़ी वह 3,24,000 किलो वाट बढ़ी। पहले यह 3,24,000 किलो वाट थी। मगर, अब पंजाब की इनस्टालड कपैसिटी 6,53,000 किलो वाट है। पंजाब की जो बिजली पैदा करने की शक्ति है यह को कोई कम नहीं है।

बाबू बचन सिंह : आप यह बताएं कि भाखड़ा के यूनिट चल पड़े हैं या कि नहीं। (हंसी)।

(A Voice : There is no quorum).

Deputy Speaker : No interruption, please.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : इसके साथ-साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो फर्म पावर है वह भी एक साल के अन्दर कोई 1,64,000 किलो वाट बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदया, फर्म पावर और जन शक्ति में भी बड़ा फर्क होता है : फर्म पावर से मुराद है सारे साल की शक्ति। हम पानी से बिजली पैदा करते हैं। जितना पानी अधिक होगा और उसका दबाव ज्यादा होगा, उतना ही पानी से बिजली पैदा की जा सकती है, जितना यह कम होता चला जायेगा उतनी ही बिजली पैदा करने की शक्ति कम होती चली जायेगी। बिजली का जब किसी का नया लोड पावर मंजूर किया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी सिस्टम की फर्म पावर कितनी है? बाबू बचन सिंह जी ने कहा था कि बिजली की फर्म शक्ति कितनी बढ़ी है? पंजाब के अन्दर आज 4,40,000 किलो वाट पैदा हो रही है, जहां पहले यह कोई 3,34,000 किलो वाट थी। अभी दो जैनरेटर और भाखड़ा में खड़े रहते हैं और उनको चालू नहीं किया गया है। जिस वक्त उनको भी एसैम्बल किया जाएगा तो हर एक से 90,000 किलो वाट और बिजली पैदा हो सकेगी। (Interruption) उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे दो

जैनरेटरर्ज़ खड़े रहते हैं, जिनमें से एक को अगर किसी जगह से कोई नुक्स पड़ जाये तो चलाया जाता है। हमारी फर्म पावर 4,04,000 किलो वाट है और इन्स्टालड कपैसिटी 6,53,000 किलो वाट है। हमारे पास अब काफी ज्यादा बिजली है। यह कहना कि हमें बिजली कम मिलती है, यह भी मुझे मानने में कोई इनकार नहीं है। दरअसल बात यह है कि रात को बिजली की खपत बहुत कम होती है। यह फर्क भी इतना है कि यह खपत कोई एक लाख किलोवाट की है। अगर, हम चाहें तो बिजली की जरुरत के मुताबिक एक लाख किलो वाट और भी पैदा कर सकते हैं। मगर, रात को ही यह हो सकती है, दिन को नहीं। रात के लिए ही बिजली दे सकते हैं। बिजली की जितनी खपत हो, उतनी ही पैदा की जाती है। बदकिस्मती यह है कि हमारा मुल्क इतना तरक्की याफता नहीं, जितने कि आज दूसरे मूल्क हैं। हम ज्यादा काम दिन को ही करना पसंद करते हैं, रात को नहीं। इसलिये, दूसरे मुल्कों के स्तर पर आने के लिये और वक्त लगेगा। यहां पर सरदार गुरनाम सिंह जी ने एक बात कही थी कि हमारे यहां जो चार्जिज हैं, वह बहुत ज्यादा हैं, ड्यूटी लगाई जाती है।

कारखानों को देते हैं। यह शक्ति हर इन्डस्ट्रियल कनसर्न को खर्च करने का हक है। जिसकी मर्जी हो वह इसे इस रेट पर जितनी इस्तेमाल करना चाहे, कर सकता है। जो भाई कारखाना लगाना चाहते हैं, ट्यूबवैल लगाना चाहते हैं, उन पर कोई कर नहीं बढ़ाया गया। वह जितनी भी चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका हक है। यहां पर बाबू बचन सिंह और कई साथियों ने कहा है कि कनैकशन्ज जो दिये जाते हैं, उनमें काफी गड़बड़ होती है। खैर, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। (एक माननीय सदस्य : क्या आपके कुनैकशन से हमारा कोई कनैकशन नहीं ?)

सरदार गुरनाम सिंह : मिनिस्टर साहिब ने कह जो दिया है कि मैं कनैकशन्ज के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : उपाध्यक्ष महोदया, श्री बलराम जी दास

टंडन ने बताया कि 1961-62 के अन्दर बोर्ड पूरी तौर पर पैसा खर्च नहीं कर सका। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं। यह बात भी सही है कि हमने जो टारगेट डेट कम्पलीशन की रखी थी, उसके मुताबिक नहीं चल सके। लेकिन, एक बात मैं जरुर कहना चाहता हूँ कि जिस तेजी के साथ पंजाब में काम हुआ है, उसका मुकाबला हिन्दुस्तान की और कोई स्टेट नहीं कर सकीं।

Sardar Gurnam Singh : Are you satisfied with the working of the State Electricity Board?

Irrigation and Power Minister : Yes, to some extent.

चौधरी रण सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, यह कोरम पूरा नहीं है (घंटी)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : उपाध्यक्ष महोदया, एक और बात कही गई कि हमारे प्रशासनिक चार्जिज बहुत ज्यादा हैं। मैं कहता हूँ कि यहां जो आंकड़े दिये गए हैं, वह सही नहीं हैं। मैं रिपोर्ट में से बताना चाहता हूँ कि 1962 में कैपिटल ऐक्सपैंडीचर के तहत जो रकम कर्मचारियों के लिए खर्च की गई है, वह 1 करोड़, 8 लाख 5 हजार 550 रुपये है। एक बात यह है कि सरकार को और बोर्ड को फाइनेंशनल नुक्तानिगाह से सोचकर चलना होता है और यह कोशिश की जाती है कि कम से कम खर्चे पर काम चलाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पास 21 एस.ईज. होने चाहिएं। लेकिन, मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 18 एस.ईज. हैं।

सरदार गुरनाम सिंह : तीन और बढ़ा दो।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : नहीं, यह महकमा ऐसा है, जिसने कम से कम खर्च किया है। एक बात और यहां पर कही गयी कि जितनी हम बिजली पैदा करते हैं और बेचते हैं उसका फर्क बहुत ज्यादा है। इतना और कहीं भी नहीं है। लेकिन, मैं 3 अप्रैल, 1963 की रिपोर्ट बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश के अन्दर 23.56 परसैंट घाटा है, जबकि पंजाब में सिर्फ 12.12 परसेंट है। इस पर भी दोस्तों ने कहा कि फर्टेलाइजर को सस्ती बिजली क्यों

देते हो ? यह हमारे लिए खुशी की बात है कि फर्टेलाइजर जैसे कारखाने की, जिस प्रदेश की उन्नति रक्षा और डिवलपमैंट आधारित है, उसकी सिर्फ डेढ़ नया पैसा के दर पर बिजली दी जा रही है।

बाबू बचन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा हाऊस की मिटिंग को बढ़ा दिया जाए।

Deputy Speaker : No please.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि 12.12 प्रतिशत जो है, वह बहुत कम है। कामरेड राम कृष्ण जी ने 20.20 प्रतिशत की आवाज दी थी। इन फर्टेलाइजर फैक्टरी को जो बिजली देते हैं, अगर वह इन्कलूड कर दें तो हमें 12.12 प्रतिशत का घाटा पड़ता है। अगर, फर्टेलाइजर वाली बिजली निकाल कर हिसाब लगाया जाए तो 20 प्रतिशत घाटा होता है। इससे साफ जाहिर है कि फर्टेलाइजर फैक्टरी को सस्ते रेट पर भी बिजली देकर हमें कम घाटा होता है। बिजली की आज पंजाब की जनता को बड़ी जरुरत है। लेकिन, जो एग्रीमैंट किए हुए हैं, उनके मुताबिक दूसरे सूबों को भी बिजली देनी पड़ती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर कहा गया था कि विजीलैंस स्टाफ को हटा दिया गया है। यह बात गलत है। वहां स्टाफ है और इस साल और भी बढ़ाने का इरादा है। मैं यह स्टैंड नहीं लेता कि बिजली की चोरी नहीं होती। इस के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त 10 प्रतिशत के करीब बिजली का लाभ भी होता है। ट्रांसफार्मर लॉस ढ़ाई प्रतिशत होता है। इस से भी घाटा पड़ता है। इसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन का साढ़े सात प्रतिशत लॉस है। यह तकरीबन सारे देश में ऐसे ही हैं। इस सारे को मिलाकर और फर्टेलाइजर फैक्टरी की बिजली को निकाल कर घाटा 20/12 प्रतिशत पड़ता है। इतना कम घाटा देश में और किसी बोर्ड को नहीं पड़ता। ट्रांसमिशन लाइन जितनी लम्बी होगी उतना ही ज्यादा घाटा होगा। खैर, उसका मतलब यह नहीं है कि जिन मैम्बरान ने नुक्ताचीन की है, उसका कुछ मतलब नहीं है। मुझे पता है कि आज पंजाब में 14,000 के करीब ट्यूबवैल्ज के लिये

एपलीकेशनज़ पड़ी हुई हैं। चौधरी सुलतान सिंह जी ने भी एक सवाल उठाया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बिजली की लाइन के साथ मीन के एरिया में जो गाँव हैं, वे 1300 के लगभग हैं। अगर, कोई मानयोग मैम्बर चाहे तो मैं हर जिले की पूरी तफसील उनको दे सकता हूँ। लेकिन, बिजली देने के लिए कुछ पैसे चाहिएं। इस दफा एमरजैंसी की वजह से कुछ कटौती हुई है और इसलिए काम रुक गए हैं। हमने डेढ़ करोड़ के करीब कर्ज मांगा है। यह पैसे मिल गए तो ज्यादा बिजली दे सकेंगे। यहां पर यह एतराज किया गया कि अमृतसर में क्यों बिजली ज्यादा दी गई है? मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि अमृतसर में ढ़ाई-तीन सौ गाँवों को बिजली पहले पांच साला प्लान में मिल गई थी।

श्री नेत राम : हिसार में बिजली क्यों नहीं दी जाती?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मैं मैम्बर साहिब को इनफर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि अमृतसर को एक किलोवाट भी बिजली भाखड़ा की नहीं मिलती। वह सारी ओहल से मिलती है। ओहल का पावर हाउस 48 हजार किलोवाट बिजली बनाता था। पहले उस में से 18 हजार किलोवाट बिजली पाकिस्तान को दे दी जाती थी। लेकिन, अब वह वापिस ले ली है।

सिंचाई की उपलब्धियाँ, मिशन और विजन

{ चौधरी रणबीर सिंह का बतौर सिंचाई तथा विद्युत मंत्री क्या मिशन और विजन था, यह पंजाब विधानसभा में 16 अप्रैल, 1964 को दिये गए उनके भाषण में सहज झलकता है। सदन में उन्होंने अपने महकमे की उपलब्धियों और चुनौतियों का गहराई से जिक्र किया है। यह भाषण उनके पद के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन का सहज विश्लेषण करता है । -सम्पादक । }

————————

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (चौधरी रणबीर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट किये हैं। इससे पहले कि मैं उन की बातों का जवाब दूं, जैसे कि आप की आज्ञा हुई है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सारा इलाका कैपिटल प्रोजैक्ट के तहत है। जब वहां से दरखास्त आती है तो तभी बिजली का महकमा बिजली दे सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं इस जगह के बारे में कि जल्दी से जल्दी उन की दरखास्त ले कर बिजली की रोशनी का इन्तज़ाम कर दें। जहां तक हमारे प्रदेश के अंदर बिजली का ताल्लुक है, हम बाकी प्रदेशों से काफी आगे हैं। पानी से बिजली पैदा करने के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सैन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन की रिपोर्ट मेरे सामने रखी हुई है। उसमें से कुछ आंकड़े मैं इस सम्बन्ध में हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब में दिसम्बर, 1963 में 251 मिलियन यूनिटस बिजली के पैदा किये गए और

**Punjab Vidhan Sabha, 16th April 1964, Vol. I, No. 39, Page (38) 64-(38) 68*

मद्रास में सिर्फ 165 मिलियन यूनिट्स पैदा किये गए। जहां तक पानी से बिजली पैदा करने का ताल्लुक है, यह प्रदेश हिन्दुस्तान के काफी प्रदेशों से आगे है। जहां तक लोगों तक बिजली के फैलाव का, देहातों में, कारखानों में बिजली देने का वास्ता है, यह प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। उपाध्यक्ष महोदया, यह भी मैं जानता हूँ कि दूसरे प्रदेशों में बिजली का प्रसार हमसे पहले शुरू हुआ है। खासतौर पर हमने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास वगैरह के मुकाबले में यह काम बाद में शुरू किया। लेकिन, जहां तक बिजली पैदा करने का ताल्लुक है, आज हम उनके मुकाबले में खड़े हैं।

लोगों तक बिजली पहुचाने में हमारी पूरी कोशिश है कि इस दिशा में हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और इसी सिलसिले में आज सवेरे जो प्रस्ताव रखा गया था, वह इस सम्बन्ध की एक कड़ी है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों की ख्वाहिश है कि बिजली का काम तेजी के साथ किया जाए, इसी मकसद के लिए आज सवेरे सदन से इस बात की इजाजत मांगी गई कि आप स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को बीस करोड़ रुपये का कर्ज़ा लेने की स्वीकृति दे दें। अब तक जो बोर्ड के काम करने की रफ्तार है उसकी बाबत भी मैंने आपके द्वारा सदन को बताया। जहां तक आमदन का सम्बन्ध है, मैंने आंकड़े आपके सामने रखे थे और बताया कि सन् 1959-60 में बोर्ड की आमदन सात करोड़ छबीस लाख रुपये थी। इस साल चौदह करोड़ दो लाख आमदन की उम्मीद है और ग्यारह महीनों के अन्दर हमें बारह करोड़ बानवें लाख रुपया बिजली बेचने की शक्ल में मिल चुका है।

इसके अलावा आपके द्वारा सदन की सेवा में निवेदन कर दूं कि जहां तक खेती के काम के लिये बिजली देने का वास्ता है, अगर एक हिसाब से मैं देखूं तो हमारे बोर्ड का कोई भी दूसरा प्रदेश मुकाबला नहीं कर सकता। वह हिसाब यह है कि हमारे यहां जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 45 फीसदी खाद पैदा करने में इस्तेमाल होता है। वह एमोनिया पैदा करने में इस्तेमाल होती है, जिससे अमन के जमाने में किसान के लिए खाद पैदा की जाती है और लड़ाई के वक्त में बम्ब बनाने के काम लाया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि

ऐटम पावर का जिक्र किया, ऐटम की शक्ति पैदा करने के लिये जो मैटीरीयल, हैवी-वाटर, यानी भारी पानी है, वह दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र भारी पानी, हम पंजाब के अन्दर पैदा करते हैं। हिन्दुस्तान में तो उसका मुकाबला ही कोई नहीं। उसके लिये जितनी बिजली हम खर्च करते हैं, वह हमारी सारी पैदा की हुई बिजली का 45 फीसदी है। मैं मानता हूँ कि यहां हमारी फैक्ट्री से पैदा की हुई खाद अकेला पंजाब का किसान ही इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे प्रदेशों के किसान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, अगर प्रदेश की हदूद से जरा आगे बढ़ें तो खाद पैदा करने के लिये जितनी बिजली हम खर्च करते हैं, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये उतनी बिजली या उस हद तक बिजली कोई प्रदेश खर्च नहीं करता। उनके लिये जितनी कुर्बानी हम देते हैं, मद्रास इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड भी उस हद तक इमदाद नहीं करता, जब बोर्ड के ऊपर उस हद तक बोझ नहीं है। जैसा मैंने सवेरे जिक्र किया था। हमें अगले साल में अन्दाजन एक करोड़ रुपये का या इसके लगभग घाटा, इस सिलसिले में उठाना पड़ेगा अकेले नंगल फर्टेलाइजर को सस्ती बिजली देने के लिए, ताकि खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद पैदा की जा सके।

इसके अलावा जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, सन् 1961-62 तक जितने कुओं को हम बिजली दे सके, उनकीं तादाद 14,271 थी। पिछले दो सालों के अन्दर, 31 मार्च, 1964 तक यानी 1 अप्रैल, 1962 से लेकर 31 मार्च, 1964 तक जितने कुओं को बिजली दे सके, उनकी तादाद 8,468 है। 14,271 के मुकाबले में 8,468। मैं मानता हूँ कि हमारी रफतार और भी तेज होनी चाहिये। इसीलिये आने वाले साल में 10,000 नये कुओं को हम बिजली देने का इरादा रखते हैं। मैं मानता हूँ कि 10,000 काफी नहीं है। अगर हमने प्रदेश के अन्दर खेती की पैदावार को दुगना करना है तो दस की जगह बीस या पच्चीस हजार कुओं को एक साल के अन्दर बिजली देनी होगी। हम आशा करते हैं कि हम इस लायक हों। इसी सिलसिले में मैं दो चार आंकड़े आप की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सन् 1961-62 में 2,229 कुओं को बिजली दी थी। इसी तरह से जहां तक कनैक्शन्ज़ देने का ताल्लुक है सन्

1961-62 के आखिर तक इस प्रदेश में 479,537 कनैक्शन थे, जबकि फरवरी, 1964 तक इनकी तादाद 683,025 है, जिसके मायने यह हुए कि दो साल के अन्दर हमने 203,488 नए कनैक्शन दिए, जबकि, सन् 1961-62 के खातमे तक पंजाब के अन्दर कुल 4,79,537 ही कनैक्शन थे, जो आज उसका तकरीबन आधा बनता है। उपाध्यक्ष महोदया, आने वाले एक साल के अन्दर, हम दो लाख के करीब और देना चाहते हैं। यह सब इसलिये कि जहां हम खाद के कारखाने को बहुत ज्यादा बिजली देते हैं, वहां हम देहात के अन्दर किसानों को उनके घरों के लिये एवं कुओं के लिये भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मुहैय्या करना चाहते हैं। इसी नुक्ता-निगाह से आज सवेरे सदन से दरखास्त की गई थी कि वह हमें कर्ज़ा ज्यादा लेने की इजाजत दें। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हम आगे चलेंगे उतना ही रफ्तार से हमारा प्रदेश तरक्की करेगा।

मानयोग सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने जिस बात का जिक्र किया, एक एस.ई. के सम्बन्ध में मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सही है कि उसके खिलाफ हमारे पास कुछ शिकायत आईं। उन शिकायतों की बाबत हमने विजिलैन्स डिपार्टमैंन्ट के जरिये तफतीश की और जब विजिलैन्स डिपार्टमैंट ने हमें यह सलाह दी कि उन शिकायतों में कोई बहुत ज्यादा अंश नहीं है तो उसके बाद ही उनका जो एक सरकारी नौकर के नाते तरक्की बगैरह का हक बनता था, उस पर गौर किया गया और तरक्की दी गई। मैं मानता हूँ कि पड़ौसी होने के नाते ही शायद सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों का हमारे मानयोग चीफ मिनिस्टर से या उनके खानदान से कोई गिला होगा। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों जी का उनकी अपनी धर्मपत्नी, जिनका नाम रणबीर कौर है, के खिलाफ कोई गिला हो। शायद वह इनको तलाक देना चाहती हैं या यह उनको तलाक देना चाहते हैं? इसकी बाबत मुझको मालूम नहीं। लेकिन, इनकी भावना से कि 'रणबीर' नाम से इनको चिड़ हो गई है, जाहिर होता है कि इनका आपस में प्रेम किस ढ़ंग का है। (हंसी) लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो

सिर्फ इनके साथ हमदर्दी ही कर सकता हूँ।

सरदार लच्छमन सिंह गिल : मगर इस बात का फैसला तो होना चाहिये कि दोनों में से बीवी कौन है। (हंसी)।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदया, पिछले साल हमने जो ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा की, वह 471,000 किलोवाट थी। हमारे सिस्टम की इस वक्त जो बिजली पैदा करने की फर्म पावर है, वह 440,000 किलोवाट है। इस प्रकार एक तरह से जितनी हमारी बिजली पैदा करने की शक्ति है हमने उससे भी ज्यादा अपना हाथ बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदया, आपकी मार्फत मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा भाखड़ा के अन्दर दाएं बाजू का जो बिजली घर बन रहा है, उम्मीद की जाती है कि अगले साल के अन्त तक वह बनकर तैयार हो जायेगा। इस तरह से हमारे पास काफी बिजली पैदा करने की शक्ति हो जाएगी। यह मैं समझता हूँ और मानता हूँ, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, बहन चंद्रावती और चौधरी चांद राम ने कहा है, कि उनके इलाके ऐसे हैं, जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, जिन्हें बांगड़ का इलाका कहा जाता है। वहां बिजली के कुओं से ही सिंचाई हो सकती है। मैं मानता हूँ कि पिछड़े हुए इलाकों की तरक्की के लिये यह जरूरी है कि वहां जल्दी से जल्दी बिजली ले जाई जाए। इसीलिये, पंजाब सरकार ने यह फैसला किया है कि जो पिछड़े इलाके हैं या कहतजदा इलाके हैं, जहां सिंचाई के साधन न होने की वजह से आए साल कहत पड़ जाता है, वहां पर जल्दी से जल्दी कुओं को बिजली सप्लाई की जाए ताकि वहां फिर कहत न आएं।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन एप्लीकेशन्ज का क्या किया गया है, जो ट्यूबवैल्ज पर बिजली लेने के लिये छः छः महीनों से उनके पास पेण्डिंग पड़ी हुई हैं। मैं पूछता हूँ कि यह घबरा क्यों गये हैं? वह घबरायें नहीं और सारी बात बता दें। इस तरह से इन बातों पर से स्किप ओवर न करें।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदया, ढिल्लों साहब को

शायद इस बात का फख्र है कि वह अमृतसर ज़िला के रहने वाले हैं। मुझे भी फख्र है कि मैं भी रोहतक जिले का रहने वाला हूँ जहां के चौधरी रामस्वरूप भी रहने वाले हैं। हमारे लिये घबराने की कोई बात नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरदार गुरचरण सिंह जी, मोगा के सदस्य ने कहा है कि जहां पानी की ज्यादती की वजह से ज़मीन के अन्दर पानी ऊंची सतह पर आ गया है, वहां कुओं के लिये बिजली दी जाये, ताकि ज़मीन के पानी का लेवल नीचे हो जाये। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में पहले ही प्रयत्नशील है कि वहां कुओं के लिये जल्दी से जल्दी बिजली दी जाये, ताकि वह इलाके फिर खुशहाल हो सकें।

ढिल्लों साहिब ने दरखास्तों का जिक्र किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनकीं दरखास्तों पर जल्दी ऐक्शन लिया जायेगा। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी दरखास्तें पड़ी हुई हैं, उन पर ज़रूर ऐक्शन लिया जाए। मैं यह बात मानता हूँ कि पिछले कई सालों में हमारी बिजली देने की रफ्तार सुस्त रही है। इसकी वजह एक तो पैसों की कमी थी। दूसरी वजह यह थी कि काम करने के तरीके में कुछ कमी थी। अब हमने काम करने के तरीके को बदल दिया है और पैसों के लिए हम 20 करोड़ रुपये के कर्ज़े लेने की बिजली बोर्ड को इजाजत दिला रहे हैं।

प्रिंसींपल रला राम : इसकी असली वजह यह है कि कनैक्शन के लिये पैसे मांगे जाते हैं और जब वह नहीं मिलते तो जानबूझ कर देर की जाती है।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : प्रिंसिपल रला राम जी ने जिस बात का जिक्र किया है, मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीमों के लिये हमने पहले 14.5 करोड़ रुपये की रकम रखी थी। लेकिन, हम इस वक्त तक 19 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।

डाक्टर बालकृष्ण : असल बात तो यह है कि लाइनमैन पैसे मांगते हैं ...

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : हम रूपये का इंतजाम कर रहे हैं....

उपाध्यक्षा : डाक्टर साहब बड़े इम्पोर्टेंट मेम्बर हैं। वह ऐस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। इसलिये मैं सिंचाई मन्त्री जी से कहूँगा कि उनकी बात अच्छी तरह से सुन लें।

डाक्टर बालकृष्ण : मैं अर्ज करता हूँ कि ऐस्टीमेट्स कमेटी में जब हमने बोर्ड के रिप्रीजैंटेटिव्ज को एग्ज़ैमिन किया था तो उस वक्त भी हमने यह बात उनसे पूछी थी। हमारे जिला होशियारपुर में मेरे सिवा जितने भी ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन्ज़ दिये गये हैं, उन सब केसों में लाइनमैंनों ने पैसे लेकर दिये हैं। इसीलिये पंडित रला राम ने कहा है कि पैसों के बगैर लाइनमैन कनैक्शन नहीं देते और इसी वजह से देर लगती है। लोगों को दरखास्तें दिये हुए एक-एक साल हो जाता है। उनकीं दरखास्तें वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : डाक्टर साहिब ने जिस बात का जिक्र किया है, अगर यह सत्य है तो यह बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, डाक्टर साहिब बड़े जिम्मेदार मेम्बर हैं। वह जो कुछ कहते हैं, वह सत्य होगा। आप उसमें अगर मगर न लगायें।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं यह कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं कहूँ तो पहले सारे स्टाफ को डिसमिस करूं।

राजनीतिक रंग बदलने वालों को प्रान्त ने राह दिखाई*

{हरियाणा विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर 17 जुलाई 1968 को ध्यन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने चंडीगढ पर हरियाणा के हक की बात उठाई। चुनाव के नतीजों का जिे हुए डनहोंने आशा प्रकट की कि इससे राजनीतिक स्थिरता आयेगी और पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में तरककी की नयी राह खुलेगी। -सम्पादक ।}

————————

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में मान-पत्र पेश किया जाए :-

''कि सैशन में समवेत हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं, जो उन्होंने 16 जुलाई 1968 को सदन में देने की कृपा की है।''

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में मिडटर्म चुनाव का जिक्र किया है और मैं मानता हूँ कि यह हरियाणा के 26 लाख मतदाताओं का एक शानदार कारनामा शांति और अमन से पूरा हुआ है जोकि हमारे देश के विधान के अनुसार शांति से सारा काम हुआ है। प्रदेश के अन्दर

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 17th July. 1968, Vol.1, No.2, Page (2) 30-35*

राजनीतिक इख्तलाफात होने के बावजूद भी बगैर किसी झगड़े के सारा काम पूरा हुआ और इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश ने जैसे पहले एक रास्ता दिखाया था अब फिर एक दूसरा रास्ता दिखाया। खास तौरपर हमारे प्रदेश के मतदाताओं ने एक तरह से सबूत दिया कि जो राजनीतिक रंग बदलने वाले हैं उनको मतदाता आदर से नहीं देखते। हमारे प्रदेश ने देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया, जिससे प्रजातंत्र में मजबूती से कायम हो सके। हमारे प्रदेश के बारे में हिन्दूस्तान में बड़ा चर्चा था और अब मिडटर्म इलैक्शन हो रहे थे तो लोगों के तरह-तरह के ख्याल थे। पहले जब बहादुरगढ़ बाई इलैक्शन हुआ था तो उस वक्त हिन्दूस्तान के डिप्टी इलैक्शन कमिश्नर वहीं पवर आए थे और इसके अलावा हमारे प्रदेश के बहुत से उस समय मंत्रीगण वहां गए थे और प्रदेश में एक डर फैला हुआ था कि देश मे प्रजातंत्र जो है, यह एक तरह से टूट रहा है और हर आदमी मतदान देने का जो उसको अधिकार है, वह उसे आजादी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस समय ऐसे हालात प्रदेश के अन्दर पैदा हो रहे थे, लेकिन मिडटर्म चुनाव में हमारे प्रदेश के हल्के के मतदाताओं ने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार राए दीं।

यह कारनामा राज्यपाल के समय प्रधानराज के समय हुआ जोकि सरकार के लिए और राज्यपाल के लिए एक बड़ा सराहनीय काम है। आप जानते हैं कि चुनाव में काफी इख्तलाफ हुआ करते हैं, लेकिन कुछ छोटे-छोटे एक आध वाक्या को छोड़ करके तकरीबल यहां जितने भाई आए हैं, सबके चुनाव क्षेत्रों में शांति से चुनाव हुए विभिन्न दलों के सदस्यों की गिनती भी अजीब है, क्योंकि 48 ही पहले भी 1967 के चुनाव में कांग्रेस दल के मेम्बर चुनकर आए थे और अब भी 48 ही आए हैं। विशाल हरियाण्णा पाटी का जन्म बाद में हुआ और उनकी तादाद बढ़ी और वह बढ़ी कुछ और विरोधी दलों के सदस्यों को कम करके। विरोधी दलों के सदस्यों को शायद उसी लिए राव

बीरेन्द्र सिंह से गिला है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि श्री मंगलसेन जी के नाम से खबर निकली कि हम राव बीरेन्द्र सिंह को कभी भी अपना नेता कबूल नहीं करेंगे। खैर, यह तो उनका विरोधी दलों का अपना मामला है। वह माने या न माने, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि विशाल हरियाणा पार्टी की तादाद बढ़ी है, सिर्फ अपोजिशन के दूसरे मैम्बरों को कम करके।

स्पीकर साहिब, राव साहिब और उनके साथियों को आज सदन को छोड़कर बाहर जाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको आश्वासन दिलाया गया था कि चण्डीगढ़ और भाखड़ा के बारे में उनको अपने ख्यालात पेश करने का पूरा मौका मिलेगा और सही तौरपर हमारे एक साथी सदस्य ने भी कहा था कि इस सदन में पहले निर्विरोध प्रस्ताव पास किया गया था कि चण्डीगढ़ और भाखड़ा हरियाणा को मिलना चाहिए। चण्डीगढ़ तो कमिशन ने हरियाणा को दिया है, बाकी जो भाखड़ा नंगल है, उसमें से बंटवारे से पहले 85 फीसदी हिस्सा पंजाब को मिला था और 15 फीसदी राजस्थन को मिला था। तो 85 फीसदी जो ज्वाइंट पंजाब को हिस्सा मिला था, उसमें से 55 फीसदी पानी का हिस्सा आज हरियाणा का है। इसलिए जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसका यह हक है कि वह दूसरे प्रदेशों की सरकारों से मिलकर उसके काम को चलाए। हरियाणा के किसी भाई को भी इससे विरोध नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बताना चाहता हूँ कि विशाल हरियाणा पाट्री की जो तादाद बढ़ी है, वह इनकी पार्टी की वजह से नहीं बढ़ी, बल्कि वह एक भावना का नतीजा है। आज जानते हैं कि आज पंजाब के अन्दर बहुत से भाई जब कभी आपको मिलेंगे तो वह आपको पूछेंगे कि क्या आपने दोबारा इस बारे में विचार करने की तरफ सोचना शुरू कर दिया है और मैं मानता हूँ

कि बहुत सारे भाई पिछले पौने दो साल के राजनीतिक वाक्यिात को देखकर जोकि हमारे प्रदेश में हुए, वे शायद बड़े खुश हुए कि हरियाणा के भाईयों में कुछ निराशा आयेगी और शायद वह फिर सोचें कि दोबारा पंजाब में शामिल हो जायें।

मैं समझता हूँ कि विशाल हरियाणा पार्टी के सदस्यों की जो जीत है, वह किसी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि वह इस बात का सबूत है और वह इस भावना का सबूत है कि हरियाणा के लोग अगर कोई बात सोचने के लिए तैयार हैं तो यह कि वह पंजाब के लोगों से कहेंगे कि आपने फैलना है तो लाहौर की तरफ मुंह करो और हमारी तरफ और चण्डीगढ़ की तरफ मुंह न करो। हरियाणा के लोग अगर बड़े बनेंगे तो जो बात महात्मा गांधी जी ने सोची थी, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे और जो विचार हरियाणा के नेताओं ने चौधरी छोटूराम जी ने, ठाकुर दास भार्गव और दूसरे दोस्तों ने वर्ष 1930 में दिया था, उसकी तरफ हरियाणा के लोग सोच सकते हैं और अगर देश में कुछ हालात बदले तो इस विचार को जो उन्होंने दिया, पसन्द करेंगे। इसलिए, मैं कहता हूँ कि राव साहिब की पार्टी की जो जीत है, वह इस भावना की जीत है। बाकी जो उनका चण्डीगढ़ व भाखड़ा के बारे में डर है, वह सही नहीं है।

हम पूरी तरह उनके साथ हैं और वह भी हमारा साथ दें कि चण्डीगढ़ और भाखड़ा नंगल पर हरियाणा का हक है और जैसा कमिशन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ही चण्डीगढ़ हरियाणा को मिलना चाहिए (प्रशंसा)।

अध्यक्ष महोदय, कल के अखबारों में जो मैंने पढ़ा और जो विचार हमारे विरोधी दल के नेताओं की तरफ से उनमें छपे पता नहीं वह उनके हैं या वैसे ही छाप दिए गए हैं, लेकिन अगर वह सही हैं तो मैं समझता हूँ कि राव साहिब और दूसरे विरोधी दल के नेताओं का एक तरफ यह कहना कि

अभिभाषण के अन्दर कोई जीवन नहीं है और दूसरी तरफ यह कहना कि यह हमारे कारनामों का एक चिठ्ठा है, इससे कोई बात बनती नहीं। सिवाए इसके कि यह उनका सैल्फ क्रिटिस्ज्म होगा।

मैं जाती तौरपर नहीं मानता कि पिछले डेढ़ पौने दो साल में हरियाणा की कोई तरक्की नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि बावजूद इस बात के कि हम राजनैतिक तौरपर आपस में लड़ते रहे हैं और अदला-बदली करते रहे हैं, फिर भी हरियाणा आगे बढ़ा है। जिस वक्त हमने हरियाणा की मांग की थी वह ठीक थी और उनके तीन-चार मोटे-मोटे कारण थे और वह यह कि हमने देखा कि आज के हरियाणा में खेती भूमि उतनी ही है, जितनी की आज के पंजाब में है और नहरी पानी भी उतना ही है, जितना कि तकरीबन पंजाब वालों को मिलता है। लेकिन, पिछले आठ-दस सालों में आज के इलाके में खेती की पैदावार तो नहीं बढ़ी, मगर आज के पंजाब के इलाका में बढ़ गई। उसका कारण जांचने के लिए उस वक्त की जो हमारी हिन्दी रीजनल कमेटी थी, उसने एक सब कमेटी बनाई और उसमें मुझे भी मैम्बर के नाते सेवा करने का मौका मिला था और इसी तरह से हरियाणा डिवलैपमेंट कमेटी की भी रिपोर्ट छपी थी।

इन्होंने छाबीन करके जो रिपोर्ट दी उनमें बताया गया कि बावजूद इसके कि पिछले आठ-दस साल में भाखड़ा नंगल से ज्यादा पानी तो हरियाणा को मिला, लेकिन इसकी खेती की पैदावार नहीं बढ़ी। इसका एक कारण यह बताया गया कि खाद के बंटवारे में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। जबकि हमारे साथी सरदार दरबारा सिंह और दूसरे साथी हमें कहते थे कि क्यों हरियाणा बनाने पर जोर देते हो तो हम उनसे कहते थे कि वहां हमें खाद भी नहीं मिलता। हरियाणा बनेगा तो खेती के लिए हमें बंटवारा में खाद तो न्याय से मिलेगा। जब खाद के बंटवारा में भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पंजाब में हरियाणा का इलाका बड़ी इन्डस्ट्री में आगे था। बड़े-बड़े कारखाने जो लगे वह हमारे इलाका में लगे, लेकिन छोटे कारखानों मे पंजाब से हम पीछे ही रहे हैं। छोटे कारखाने अगर हमारे 25 हैं तो उनके 75 हैं। लघु सिंचाई के तहत कुंए जितने लगाए जाते थे, जिनके लिए प्रदेश सरकार के सिवाए और कहीं कागजात मंजूरी के लिए नहीं जाते थे, उसमें भी 25 फीसदी हरियाणा के इलाका में और 75 फीसदी पंजाब के इलाका में लगे। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि हम आठ-दस साल में ज़रई (खेती) और सन्नती (उद्योग) पैदावार दोनों में पंजाब से पिछड़ गए। यही कारणा था कि हमने पंजाबी भाईयों से कहा कि अब हमारा आपका और मास्टर तारा सिंह के दबाव में आकर हिन्द सरकार ने पंजाबी सूबा बनाना कबूल किया था। लेकिन, उनका यह समझना निराधार है। अगर यह हुआ तो इसलिये कि हरियाणा के एक-एक सदस्य ने इस बात की मांग की थी कि आज वक्त आ गया है। हम पंजाब से अलैहदा होना चाहते हैं। यह ठीक है कि कुछ दोस्त हममें निराशा पैदा करना चाहते थे।

यह देखकर मुझे और भी खेद हुआ कि कुछ भाईयों ने अखबारात में निराशाजनक ख्यालात का इजहार किया। जिन भाईयों ने हरियाणा के बारे में निराशा की बात की और उन्हें हरियाणा की तरक्की होने में शक है, वह मैं समझता हूँ कि हरियाणा के दोस्त नहीं हो सकते। वह भाई हो सकते हैं जो हरियाणा बनने नहीं देना चाहते थे और जिनकी भावनाओं के खिलाफ यह हरियाणा बना है। हमारे साबिक फौजी अफसर अमीर सिंह जी, राव साहिब की सरकार में बिजली मंत्री थे और मैं मानता हूँ कि पिछले सालों में जितने ज्यादा पम्पिंग सैटस के कनैक्शन्ज दिए गए वह इनके जमाना में दिए गए और मैं मानता हूँ कि जैसा कि हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र है कि हमारे सरकार 15 हजार नए कनैकशन देना चाहती है और उसमें यह भी जिक्र आता

है कि दोनों मिलकर कोई 22/23 हजार कनैक्शन्ज हो जाते हैं। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं ज्वाइंट पंजाब में सिंचाई और बिजली विभागों का मंत्री था तो सारे पंजाब में इतने कनैक्शन नहीं होते थे। यह तरक्की नहीं तो और क्या है? हमें और आगे बढ़ना है और हमें पंजाब की भी कुछ नकल करनी है। वह नकल निराशा पैदा करने की नहीं कि इस बात का प्रचार करें कि दोबारा पंजाब में मिल जाएं, बल्कि ज़रई और सन्नती पैदावार बढ़ाने में उनकी नकल और मुकाबिला करना है। मुझे खुशी है कि अब खाद के बारे में हमारे साथ न्याय हुआ है। इसके साथ-साथ ट्रैक्टरों के बंटवारे में भी हम घाटे में नहीं रहे और जहां पंजाब को चार सौ मिले, वहां हमें भी चार सौ दिए गये हैं या दिए जाएंगे। हमें अपनी हरियाणा की सरकार को हौंसले पर यह उम्मीद थी कि हमारे प्रदेश के लोगों के साथ केन्द्रीय सरकार की तरफ से न्याय होगा।

चौधरी चांदराम : चार सौ नहीं दो सौ ट्रैक्टर मिले।

चौधरी रणबीर सिंह : दो सौ मिल चुके हैं और दो सौ मिलने वाले हैं। हिन्दूस्तान की सरकार ने सारे देश के लिए दो हजार टैक्टर्ज की कमिटमेंट की थी, लेकिन बंटवारे में हमें चार सौ मिल गए हैं या मिलने वाले हैं। उसमें से भी कुछ आ गए और कुछ आने वाले हैं। कुछ बंट गए हैं और कुछ बंटने वाले हैं। कई भाईयों को गिला भी हो सकता है क्योंकि जहां कई हजार लेने वाले हों, कुछ को ट्रैक्टर मिल जाएं और बाकियों को न मिलें तो गिला हो ही जाता है। असल बात यह है कि अगर हम पहले से ही इस मसले को ध्यान से टेकअप करते तो हमें और ट्रैक्टर मिलने की आशा होती। इस बात को मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत निराशा हुई, उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है और वह यह है कि हम हरियाणा में राजनैतिक स्थिरता नहीं ला सके।

इस पिछले चुनाव के बाद अब हरियाणा प्रान्त में राजनैतिक स्थिरता आने की कुछ आशा बंधी है। यह आशा इस समय पुखता है और मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा पुख्ता ही रहेगी। अगर विरोधी दल को इस बात पर गिला है तो वह निराधार है। यह कांग्रेसी सरकार, गैर-कांग्रेसी दल के किसी सदस्य को इधर-उधर बदलने की कोशिश नहीं करेगी, इस बात से आप बेफिक्र रहें। हां, कई निर्दलीय सदस्य हैं, उनके बारे में किसी को गिला करना ठीक नहीं है। जो निर्दलीय भाई कल हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ रहा और एक खिलाफ रहा। चूंकि वे निर्दलीय हैं, इसलिए किसी को उन पर गिला करना या निराशा पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है।

स्पीकर साहिब, पिछले साल के आंकड़े और आने वाले साल के बारे में जो आंकड़े इस एड्रैस में दिए गए हैं, वे हरियाणा प्रान्त में एक अच्छा जीवन लाने की आशा और प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक आशा पैदा करते हैं। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर हम हरियाणा प्रान्त का मद्रास प्रदेश से मुकाबला करें तो हम पिछड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर पौने दो लाख बिजली के कनैक्शन मिले, पम्पिंग सैट्स भी काफी तादाद में मिले जब कि हरियाणा में उनके मुकाबिले 15 हजार कनैक्शन बहुत थोड़े हैं। लेकिन, मैं तो चाहता हूँ कि हम पौने दो लाख तक ही नहीं बल्कि पौने दो लाख से भी अधिक कनैक्शन लगने की शक्ति हमारे प्रदेश में आये। इसके इलावा और भी जो कमजोरियां हैं वे भी दूर हो जायें लेकिन यह तभी हो सकता है अगर हर भाई चाहे वह कांग्रेस दल का हो या किसी और दल का हो, वह सरकार को कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे और लोगों को सहयोग दे ताकि हम आगे बढ़ें। हां, एक आशा बन्धी थी और वह यह कि हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तो हरियाणा के रहने वालों के कारखाने हैं और लगाते हैं। परन्तु, हमारी सरकार उन कारखानेदारों को हरियाणा में कारखाने लगाने को काबिल नहीं समझती।

इसका कारण यह था कि हरियाणा के लोगों के साथ पहले संयुक्त पंजाब की सरकार उनके साथ सौतेली मां का सलूक करती रही। जो कारखाना बंगाल या किसी और प्रदेश में लग सकता है वह हरियाणा में भी लग सकता है। जब हरियाणा प्रान्त बन गया तो कई दोस्तों के दिल में बड़ा जोश आया कि हम हरियाणा में कारखाने लगा सकेंगे। भारतीय कांग्रेस सदस्य के नाते मुझे भी इधर-उधर घूमने का मौका मिला है और हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि हम हरियाणा के अन्दर उद्योग धन्धे चलायेंगे। नये उद्योग धन्धे तो क्या चलने थे प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल होता रहा। इस उथल-पुथल ने प्रदेश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा रोड़ा अटका। इसलिए सदन के हर सदस्य से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने आपको एक दायरे में सीमित रखें, हरियाणा के लिये सोचें क्योंकि हरियाणा अभी बच्चा ही है। बच्चा होने के नाते हम पड़ौसी प्रदेश का मुकाबला नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि पड़ौसी राज्य के अन्दर जितनी तरक्की होती है उससे कहीं ज्यादा तरक्की करें। अगर ज्यादा न कर सकें तो कम से कम उसके मुकाबिले पर तो रहें।

अभी भाखड़ा नंगल का जिक्र किया गया है। केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी और पंजाब और हरियाणा के अन्दर गैर-कांग्रेसी सरकार थी। मैं समझता था कि शायद यह दोनों सरकारें आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे का लिहाज ही कर लेंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मालिक हिन्दुस्तान की सरकार हो और उसका असल और सूद हम दें। पंजाब भी दे, हरियाणा भी दे और हिमाचल भी दे। किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि जब तक हमारा फैसला नहीं होता, किसी किस्म का रुपया, चाहे वह सूद हो, चाहे असल कर्ज़ हो, हम अदा नहीं करेंगे।

अगर भाखड़ा प्रोजैक्ट हिन्दुस्तान सरकार का है तो क्यों पैसा मांगते हो? दूसरी स्टेटों को फिलहाल छोड़ दिया जाए? पिछले साल हिन्दुस्तान की सरकार का पैसा असल कर्ज़ और सूद अदा करने के लिए हरियाणा प्रदेश ने सात करोड़ रुपया दिया। मैं सोचता था कि सरदार गुरनाम सिंह या सरदार लछमन सिंह गिल की सरकार पैसा अदा न करने के लिए आवाज उठाएंगे। परन्तु, ऐसा

नहीं हुआ और हरियाणा तथा पंजाब सरकारों ने एक साल के अन्दर बीस-बाईस करोड़ रुपये कर्ज़ की अदायगी के लिए दिया है। अगर यह छूट हमको दे दी जाये तो मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन, किसी ने इसकी मांग नहीं की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसी आवाज जरुर उठनी चाहिए।

हम चण्डीगढ़ में रहते हैं और चण्डीगढ़ हमारा है, लेकिन जब हमारे मकान की मालिक हिन्दुस्तान की सरकार हो, बिजली की मालिक हिन्दुस्तान की सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री साहिब के मकान की बिजली दुरुस्त करने वाले हिन्दुस्तान सरकार के मुलाज़म हों और हमसे कहा जाता है कि किराया दो, साथ ही कर्ज़ और सूद की अदायगी करो। किस बात का किराया दें जबकि चण्डीगढ़ हमारा है? (घंटी)।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब, टाईम की लिमिट है।

चौधरी रणबीर सिंह : अभी खत्म करता हूँ। हमारे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हरियाणा को एक आशा की तरफ ले जाता है। जो भाई निराशा पैदा करने की तरफ हालात पैदा करते हैं, वे वास्तव में हरियाणा की सेवा नहीं करते। हम सब को एक आशा के साथ हर संभव कोशिश करनी चाहिए और सरकार को तथा जनता को ठोस सुझाव तथा सहयोग देना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रान्त दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऐडैऊस में जो आंकड़े दिए हुए हैं वह इस बात का सबूत हैं कि हरियाणा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर दोबारा इस सदन से प्रार्थना करुंगा कि मेरे प्रस्ताव को पास करके अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा किया जाए।

शराबंदी किसी एक दल का सवाल नहीं*

{हरियाणा विधान सभा में 30 जनवरी, 1969 को बोलते हुए चोधरी रणबीर सिंह ने राज्य में मादक पेय के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने सम्बंधी संकल्प पर बोलते हुए कहा कि जिन कारणों से देश पीछे रह गया है उनमें एक कारण शराब का प्रयोग करना है। इस पर रोक के सवाल को किसी राजनीकि दल से नहीं जोड़ा जा सकता है। सवाल देश के आचार व स्तर को उठाने का है। -सम्पादक ।}

————————

उपाध्यक्ष महोदया मैं श्री दया कृष्ण जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जहां तक शराबबन्दी का ताल्लुक है, वह दरअसल मैं किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है वह तो देश के आचार व्यवहार का सवाल है। जहां हमारे देश में पिछले बीस सालों में जिसमें हमारा हरियाणा प्रान्त भी शामिल है, बहुत तरक्की हुई और हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। लेकिन, कुछ बातों में देश पीछे भी गया है। जिन कारणों से देश पीछे रहा है, उनमें से एक कारण शराब का प्रयोग करना है। शराब दो तीन किस्म के आदमी पीते हैं। एक तो वे भाई पीते हैं जो अपनी जिन्दगी से बेजार हो जाते हैं जिनकी जिन्दगी से हर प्रकार की आशा टूट जाती है। ये लोग निराशा को भुलाने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे वे भाई शराब पीते हैं, जिनके पास आमदनी ज्यादा होती है। खाने-पीने के बाद जो पैसा बच जाता है, उसे शराब में इस्तेमाल करते हैं। पैसा ज्यादा होने से देश का स्टैण्डर्ड ऊंचा हुआ, लोगों की आमदनी ज्यादा हुई,

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 30th Jan. 1969,Vol. I, No. 2, Page (2) 60-65*

जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग शराब पीने लगे। लोगों का स्टैंडर्ड अगर ज्यादा ऊंचा हुआ तो शराब पीने से गिराना नहीं चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक शराब को पीने से रोकने का ताल्लुक है, इसको किसी भी पुलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की कई सरकारों ने शराबबन्दी की और मद्रास में डी.एम.के. की सरकार ने, जो कि विरोधी दल की सरकार है, उसने शराब-बन्दी की है। इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल की पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल देश के आचार और स्तर को ऊंचा करने का है। यह बड़ा गम्भीर सवाल है। मुझे मालूम नहीं कि जो भाई इसको बन्द करने में गिला करते हैं वे शराब इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। अगर वे नहीं पीते तो अच्छा है न पिये। अगर पीते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसको छुड़वाने में सरकार का जितना भी सहयोग हो सके, देना चाहिए। यह बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि राष्ट्रपिता गान्धी ने तो यहां कहा था कि शराब की आमदनी से अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे बुरे कर्म करेंगे क्योंकि जैसी चीजें हम खायेंगे हमारे दिमाग पर वैसा ही असर पड़ेगा। उद्देश्य पर जदियो का असर होता है। हो सकता है यही कारण हो कि आज देश के बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। पढ़ाई की तरक्की तो हुई लेकिन विद्यार्थियों में अनुशासन गिर गया।

जैसा कि बापू गान्धी ने कहा था कि जैसी-जैसी चीजों का सेवन हम लोग करेंगे उसका असर और छाप बच्चों पर जरुर पड़ेगा, वह आजकल की घटनाओं से साबित हो गया। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने भी शराबबन्दी की है। इसके अलावा और भी कांग्रेस सरकारें या गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, जिन्होंने शराबबन्दी मुकम्मल तौर पर की है। लेकिन, जिन-जिन सरकारों ने शराबबन्दी पर रोग लगानी चाही उससे उनकी अपनी समस्याएं पैदा हो गई। लोग नाजायज तरीके से शराब निकालने लग जाते हैं। हरियाणा सरकार ने रोहतक जिले में शराबबन्दी की। रोहतक में शराब बन्दी होने से आस-पास के इलाकों से शराब ज्यादा बिकने लगी और सरकार की आमदनी उतनी ही

रही जितनी कि रोहतक में शराबबन्दी होने से पहले थी। इस हिसाब से अगर एक जिले के बजाय दो जिलों में शराब बन्दी कर दें तो भी सरकार की आमदनी उसी हिसाब से बढ़ती है। क्योंकि, शराब पीने वाले दूसरे इलाकों से खरीद लाते हैं। इसका क्या कारण है कि शराबबन्दी होने के बावजूद भी शराब पीने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आती। इसका कारण यह है कि हमारे आचार विचार ठीक नहीं हैं। हमारे करैक्टर (चरित्र) का स्तर ऊंचा नहीं है। इसीलिए लोग चोरी से शराब बना लेते हैं, चोरी से पीने लगते हैं, जिसके कारण प्रदेश में और कई प्रकार की खराबियां पैदा हो जाती हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने तो रोहतक में भी प्रोहिबीशन खोल दी थी।

चौधरी रणबीर सिंह : इसके बारे में राव साहिब से इतना ही कह सकता हूँ कि खोलने वाले तो राव साहिब के बहुत करीबी दोस्त बन गये हैं और राव साहिब ने उनको अपना नेता मान लिया है (व्यवधान)। जिस वक्त यह शराबबन्दी खोली गई थी, उस वक्त मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूँ क्योंकि उस वक्त इनके दोस्त मुख्यमंत्री थे और मैं उनेक मन्त्रीमण्डल में एक मेम्बर के तौर पर था। ठीक है मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ, मैंने उस वक्त हौसला नहीं किया कि मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे देता।

वित्त मंत्री : यह खोली तो राव साहिब के समय में गई थी।

चौधरी रणबीर सिंह : ठीक है, सरकार के कई ऐसे कानून होते हैं, जिनके फैसले पहले हो जाते हैं और कार्यरुप देर से होते हैं। फैसला तो हमारा था। यह ठीक है कि फैसला हमारा था(लेकिन, आप फैसले को बदल सकते थे। इस बात से हम बच नहीं सकते कि यह फैसला कांग्रेस सरकार का था और यह फैसला कोई अच्छा फैसला नहीं था। इसके सम्बन्ध में मित्तल साहिब ने जो संशोधन दिया है, वह ठीक है, क्योंकि मित्तल साहिब को इस लाईन का काफी तजरुबा है। पंजाब में वे शराब के महकमें के इन्चार्ज थे और उस वक्त उन्होंने एक नया तजरुबा करने की कोशिश की थी। इसके बारे में

दो तीन किस्म के विचार हो सकते हैं : कई भाई इसका विरोध करते हैं, कई नहीं करते हैं। हो सकता है कि कई भाई मुझे यह कहें कि मैं भी उस वक्त के मंत्रीमण्डल का मेम्बर था और मित्तल साहिब के फैसलों के साथ हम भी सहमत थे। क्योंकि, वह फैसला कैबिनैट में हुआ था। एक बात में जरुर मानता हूँ कि शराब बन्दी करने से सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है, सरकार की आमदनी कम हो जाती है और खर्च ज्यादा हो जाता है।

इसके इलावा शराब बन्द होने से लोग चोरी से शराब इस्तेमाल करते हैं जिससे कुरप्शन बढ़ती है। एक तो शराब पीते हैं और वह भी चोरी से। इस तरह उन को चारी की आदत पड़ जाती है। जब तक हम अपने भाईयों का जीवन स्तर, चरित्र निर्माण नहीं करते हैं तब तक यह शराबबन्दी हीं हो सकती। शराबबन्दी से तो क्रेक्टर (चरित्र) और भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लोग चोरी से शराब भी न पीयें और इसकी तजारत भी खत्म हो जाये, हमने यह फैसला किया था कि शराब के अन्दर नशे की जितनी मात्रा है उसको धीरे-धीरे कम कर दिया जाए। इससे शराब पर लागत कम लगेगी और सस्ती होने से सरकार को आमदनी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी सरकार के बाद जो दूसरी आने वाली सरकार थी, अगर वह इस फैसले को लागू किये रखती तो सरकार और प्रदेश को फायदा हो सकता था। मित्तल साहिब ने जो संशोधन दिया है उसके पीछे भावना यही है कि सरकार एक दम आमदनी के साधन को बंद कर देगी तो उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात है भी ठीक। क्योंकि, आमदनी के एक साधन को दूसरे साधन के ढूंढे बगैर बंद कर दिया जाए तो रास्ते में मुश्किलें आऐंगी ही।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सरकार अख्तियारात होने के कारण सब कुछ कर सकती है, उसके बारे में तो मेरी अर्ज यह है कि राव साहिब के मंत्रीमण्डल को तथा मेजर साहिब के मंत्रीमण्डल को भी उतने ही अख्तियारात थे, जितने हमारे मंत्रीमण्डल को थे या हैं। इन अख्तियारात के होते हुए न तो वे ही बंद कर सके और न हम ही कर सके। मैं मानता हूँ कि

शायद राव साहिब की ख्वाहिश थी, मेजर साहिब की भी होगी और हमारी भी थी कि शराब बंद हो। लेकिन, कुछ मुश्किलात रास्ते में आती रहीं, जिन्हें प्रैक्टिकल मुश्किलात कह सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ फैसला करने के कदम आगे नहीं बढ़ सके। मैं यह भी मानता हूँ कि पंडित भगवत दयाल के मंत्रिमण्डल ने जो फैसला किया था, वह भी शायद कुछ मुश्किलात को ही सामने रख कर किया होगा क्योंकि, उनका हल्का झज्जर था और झज्जर में बहुत सारे फौजी हैं।

फौजी भाई आप जानते हैं कि मिल्टरी के अन्दर रहकर शराब पीने के आदी हो जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा फौजियों की तादाद उसी इलाके में थी, उसी जिले में थी और वे लोग मुझे याद हैं, जो कहा करते थे कि शराबबन्दी शायद उन्हीं को सजा देने के लिए की जा रही है। इन सब बातों का असर तो पड़ता ही है। मेरा ख्याल है कि राव साहिब भी शायद इसीलिए ही नहीं रह सके होंगे, क्योंकि एक तो ये खुद भी फौजी हैं और दूसरे उनके इलाके में भी फौजी बहुत हैं। कहने का मतलब यह कि कई बार काम इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके बारे में समाज का दबाव पड़ता है।

फिर भी, मैं मानता हूँ कि कारण कुछ भी हों, कमजोरी कमजोरी ही रहती है, बुरी बात बुरी ही होती है और उसे दूर करने का हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। एकदम तो शराब, जैसा मैंने पहले कहा, बंद नहीं हो सकेगी और न ही ऐसा करने से फायदा होगा मगर जैसा कांग्रेस पार्टी मानती है, देश की दूसरी पार्टियां भी शायद मानती हैं, कि सदस्यों को शराब नहीं पीनी चाहिए। यह भी मेरा विश्वास है कि यदि कोई सदस्य पीते भी होंगे तो वे भी खास करके सदन में यह नहीं कह सकते कि शराब पीनी चाहिए .....

चौधरी जय सिंह राठी : पहले वजीरों को शराब पीने से बंद होना चाहिए।

चौधरी रणबीर सिंह : वज़ीर तो पहले भी पी जाते थे।

मलिक मुख्तियार सिंह : आपने भी कभी पी ?

चौधरी रणबीर सिंह : अपने बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने कभी शराब नहीं पी। डिप्टी साहिबा! मैं यह बात कह रहा था कि जनता के नुमांयदे जो यहां आते हैं, चाहे वे इधर वे बैठे हों या उधर बैठे हों, उनको शराब नहीं पीनी चाहिए। (तालियां) डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप यकीन मानिए कि हरियाणा की राजनीति के अन्दर आज जो गिरावट आई है, उसका एक कारण शराब ही है क्योंकि शराब पीकर मनुष्य अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसा फैसला कर जाता है, जिसके बारे में उसे बाद में पछताना पड़ता है। यदि शराब न हो या हम शराब न पीएं तो कम से कम आदमी अपने दिल से फैसला तो करेगा, चाहे वह सही हो या लत हो।

राव बीरेन्द्र सिंह : शराब पीकर लोग कई दफा सच भी बोल जाते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : हो सकता है, क्योंकि राव साहिब को ज्यादा तजरुबा है। लेकिन, हम तो ऐसा समझते हैं कि बिना शराब पीए आदमी सही बात करता है। (विघ्न) खैर, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा की राजनीति के अन्दर जो गिरावट आई, हमारे कुछेक सदस्यों के पहले तो किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आने, परन्तु बाद में लोगों की राय लिए बिना दूसरी पार्टी में शामिल हो जाने की वजह से, उसके पीछे शराब पीने का काफी असर रहा। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग इधर से उधर गए वे ही शराब पीने वाले हैं, ऐसी मेरी धारणा नहीं हैं। पीने वाले तो दोनों तरफ हो सकते हैं और न पीने वाले भी दोनों तरफ हो सकते हैं। लेकिन, मेरे कहने का मतलब यह है कि शराब का काफी असर रहा है। इसलिए मैं इस हक में हूँ कि शराबबंदी होनी चाहिए ताकि, समाज का सामाजिक स्तर ऊंचा हो। शराब पीने वाले, उपाध्यक्ष महोदया, सामाजिक स्तर को नीचे गिराते हैं। अपने खानदान और अपने बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। जो पैसा खानदान और बच्चों की तरक्की के लिए खर्च करना होता है, उसे वे फिजूल व्यय कर देते हैं

और अपने बच्चों और खानदान को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। इन सब बातों को देखते हुए, उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तो बड़ी खुशी होगी यदि यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाए। क्योंकि, मैं तो हमेशा इस राय का रहा हूँ कि अगर गुजरात की सरकार बगैर शराब की बिक्री के अपने काम को चला सकती है तो हरियाणा के लोग और हरियाणा की सरकार भी जरुर अपने काम को चला सकती है। कोई काम मैं समझता हूँ शराब के बिना रहने वाला नहीं है। मगर यदि किन्हीं कारणों से हम अभी पूरी शराबबन्दी कर भी न पाएं तो भी मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत कदम तो हमारे आगे बढ़ने ही चाहिएं। हमें चाहिए कि हम समाज को शराबबन्दी की बात को मानने के लिए तैयार करें। आज तक तो, जैसा मैंने पहले कहा और अपनी तथा अपनी पार्टी की जिम्मेदारी भी मानी, हम लोगों को आगे ले जाने की बजाए पीछे धकेलने में ही ज्यादा कामयाब या नाकामयाब रहे हैं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि यदि प्रस्ताव पास हो जाए तब तो बड़ी अच्छी बात है। परन्तु, यदि पास न भी हो तब भी मैं समझता हूँ कि इससे फायदा ही है क्योंकि इसकी वजह से शराबबन्दी के बारे में लोगों के विचार, कि आया शराबबन्दी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए? सदन में जाएंगे। मैं मेजर साहिब, की तरह विचार नहीं रखता कि यदि सारी स्टेट में शराब बन्द न होकर कहीं महेन्द्रगढ़ में ही हो गई तो क्या फायदा नहीं होगा?

मेजर अमीर सिंह चौधरी : मैं तो वैलकम करता हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : वैलकम करते हैं, तब तो ठीक है। परन्तु, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि, पहले महेन्द्रगढ़ से शराब रोहतक आया करती थी और अब यदि महेन्द्रगढ़ में शराबबन्दी हो जाए तो रोहतक से वहां चली जाया करेगी। खैर, अपने-अपने विचार हैं। लेकिन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह समझता हूँ कि हमारी पार्टी के आज के कांग्रेस प्रधान, श्री रामसरन चन्द मित्तल जी ने शराबबन्दी या शराब बनाने की कुछ ही कह लें, जो नीति बताई है वह शायद ज्यादा अच्छी रह सकती है। हमें चाहिए कि नशे की परसैन्टेज धीरे-धीरे कम करके कोके

कोला तक पहुँचा देनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि चौधरी साहिब आप कोका-कोला क्यों पीते हैं? कोका-कोला तो डिप्टी साहिबा, मैं पीता हूँ। क्योंकि, मेरा ख्याल हो गया है कि मेरी सेहत के लिए यह अच्छा है। हो सकता है मेरा ख्याल लत हो। लेकिन बहरहाल, मैं तो यह कहता हूँ कि अगर धीरे-धीरे हम नशीली चीजों का अंश घटाएं तो उससे सरकार को जो एक आर्थिक संकट आ सकता है, वह नहीं आएगा और शराबबन्दी की तरफ भी हमारा कदम बढ़ेगा। सरकारी कामकाज को चलाने के लिए हमेशा पेचीदगी होती है। क्योंकि, कोई बेचने वाला चोरी करता है, कोई शराब निकालने वाला चोरी करता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : फिर आप बीयर को चालू कर दें, जैसा कि मित्तल साहब ने कहा है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इस बात से सहमत हूँ, जो श्री मित्तल जी ने कहा था। फिर राव साहब भी वहां गुड़गांव के अन्दर एक कारखाना लगवा लेंगे। दूसरा हरियाणा के किसानों को यह फायदा होगा कि उनको जौ की कीमत पूरी मिल सकेगी। एक फायदा यह होगा कि उस शराब के मुकाबले में यह शराब में नशे का अंश कम है। जैसा कि मित्तल साहब ने प्रोग्राम रखा है पहले बीयर शुरु कर दें और बाकी दूसरी शराबों को बन्द कर दें, यह ठीक ही रहेगा। (एक सदस्य की ओर से विघ्न)

आप शोर न करें और बलवन्त राय तायल जी आप तो वैसे ही भाग गये। मैं तो आज भी आपकी मित्तल साहब से सिफारिश करने को तैयार हूँ कि तायल साहब के साथ जो पहले अन्याय हुआ था उसके लिए आप लीनियंट व्यू लें। (शोर)

अधिकारी सैटअप के साथ बलते हैं*

{हरियाणा विधान सभा में अनुपरक मांगों की दूसरी किस्त पर 20 फरवरी, 1970 को बोलते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने देश-प्रदेश में सरकारी तन्त्र की खास कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया। -सम्पादक ।}

————————

उपाध्यक्ष महोदया, मेजर अमीर सिंह जी ने शुरु में जो सुझाव दिये हैं, वे अपने नहीं बल्कि एस्टीमेट कमेटी के हैं। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के हैं, जिनके अध्यक्ष बहिन चन्द्रावती जी और हमारे बुजुर्ग खान अब्दुल गफ्फार खां जी हैं। जहां तक बजट का सवाल है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक आ जाती हैं जैसे बाढ़ है या कोई फसलें फे ल हो जाती हैं। लेकिन, कुछ चीजों का तो उन्हें ज्ञान है। काम करते हैं और उसमें भी ऐसा पैसा ठीक वक्त पर नहीं मांग सकते इसलिए दोबारा मांगा जाता है। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन, यह तरीका कोई आज से नहीं पहले से ही चला आता है। जो भी वित्त मन्त्री इस तरीके में सुधार करने में कामयाब होगा, प्रदेश उसका धन्यवादी होगा। इसमें एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी मोटी रकम है। जुई नहर की वह जो योजना चलाई थी, उसका खर्चा पहले लिखा जा सकता था। उसके बारे में अच्छाई या बुराई के बारे में तो मैं आगे नहीं आऊंगा। बजट कैसा होना चाहिए उसी सिलसिले में कुछ कहता हूँ कि सप्लीमैन्ट्री बजट कम से कम आने चाहिएं और मजबूरी में ही आने चाहिएं। विभाग की सुस्तियों की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट की सुस्तियों की वजह से, ठीक वक्त

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 89-94*

पर मांग वित्त मंत्रालय के पास नहीं पहूँचती और उसके बिना पर अगर इस सदन को फिर दोबारा एक बिल पास करना पड़ता है तथा इस तरह इस प्रदेश के ऊपर ख्वामखाह पैसे का ज्यादा बोझ पड़ता है, तो सरकार को उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, चूंकि समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं अपने हल्के के बारे में कुछ बातें कहूँगा। मेज़र साहब ने दस नम्बर डिमान्ड का जिक्र करते हुए और पुलिस को डिमान्ड का जिक्र करते हुए फायरिंग के बारे में जिक्र किया। मुझे मालूम नहीं कि जो भी उन्होंने कहा है वह दुरुस्त है या नहीं? लेकिन, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर यह सत्य है तो यह बहुत बड़ा अन्याय हरियाणा के लोगों के साथ हुआ है। हमें उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पण्डित जवाहर लाल नेहरु के शब्द याद आते हैं, जब यहां पर 75 हजार आदमी गिरफ्तार हुए थे। लाखों की तादाद में जुलूस निकला था। उस वक्त कोई आदमी भी नहीं मरा था लेकिन गोली चली थी। पण्डित जवाहर लाल नेहरु कहा करते थे। मुझको शायद यह सोचना पड़ेगा कि पुलिस के हाथों से गोलियां और बन्दूक जो हैं, वह छीन ली जाय और उनको लाठी दी जायें। हां अगर मेज़र साहब की जो बात है, वह सत्य है तो ऐसे आदमी जिनको प्रजातन्त्र में बन्दूक का प्रयोग कैसे करना चाहिए? कब करना चाहिए? गोली कब चलानी चाहिए? वह ज्ञान नहीं तो उनको नौकरी में रखने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है और न ही ऐसे आदमी को नौकरी में रहना चहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद डिमांड नं. 46 के सिलसिले में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। मेज़र साहब ने सड़कों की बात की है। अब तो हमें भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ पछतावा होता है क्योंकि जिस तरीके से काम चलता है वह प्रशसनीय नहीं है। ऐसा लगता है कि हमको हमारे देश का और प्रदेश का प्यार जो था, वह कोई सही नहीं था। मुझे याद है कि जब मैंने सिंचाई और बिजली विभाग का मंत्रालय लिया, उस वक्त हमें आजाद हुए 15 वर्ष हो गये थे। 18 नहरों की खुदाई हो चुकी थी। मगर उनमें एक चुल्ली भर पानी नहीं

चला था। मैंने उनमें पानी चलवाया। हालांकि, उनमें से एक भी नहर मेरे हल्के की सिंचाई नहीं करती थी। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश में बिजली बोर्ड को या सिंचाई विभाग आदि को क्यों घाटा होता है? यह एक सोचने की बात है। मुझे भगवान की दया से बड़े अच्छे-अच्छे इन्जीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन, एक बात मैंने अजीब पाई वह यह है कि वे सैटअप के साथ बदलते हैं। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने देखा कि लोकसभा के मैम्बर की हैसियत से मैंने कोई चिट्ठी लिखी थी, उस पर भी एक्शन होना शुरु हो गया। जबकि, पहले 5 या 10 साल में और कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आज उपाध्यक्ष महोदया, मेरे 668 सवाल का जवाब दिया गया। आज से छ : महीने पहले सदन की मारफत मैंने निवेदन किया था कि सुन्दरपुर और खिडवाली सड़क के लिए एक लाख बत्तीस हजार रुपया लोगों की तरफ से मार्किट कमेटी ने जमा करवाया था ताकि, सड़क बन जाए। मगर, अफसोस है कि आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदया, इसके बारे में चीफ इन्जीनियर ने चिट्ठी लिखी थी और एक्सीयन ने उसका उत्तर दिया था, जिसमें लिखा था कि एक लाख बत्तीस हजार रुपया मार्किट कमेटी ने तो दिया लेकिन जिला परिषद् का नहीं आया। आज सवाल के जवाब में बिल्कुल कोरा ही जवाब है, सड़क का बनाना तो दूर रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मेरे गांव के अन्दर बारह हजार रुपया एक फर्लांग सड़क बनाने के लिये लोगों ने जमा किया है तो क्यों उसके ऊपर तीन वर्ष बाद भी एक इंच मिट्टी नहीं पड़ी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक तरीका रहा है कि सरकार के मन्जूरी के तरीके से जो काम नहीं होता है, उसको कभी मैंने मन्त्री बनने के नाते भी नहीं कराया। लेकिन, इसके बावजूद भी अफसोस है कि तीन वर्ष से जिन कामों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल सरकार ने दे रखी है, उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मुझे मालूम नहीं किसकी हिदायत से यह काम चलता है या ये अफसर क्या समझते हैं? ये प्रदेश सरकार के मुलाजिम हैं या किसी और ढ़ंग से चलने के आदि हैं, यह भी देखने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदया, मेज़र अमीर सिंह, जी ने दादरी फीडर जिसके ऊपर पच्चीस लाख रुपये खर्च हुआ था, का भी जिक्र किया। आज के वित्त सचिव जब यह स्कीम मन्जूर हुई थी, बिजली और सिंचाई के सचिव थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें सिर्फ छ : फुट की लिफ्ट लगती थी और इससे सांघी के लिए पानी नहीं आना था, रोहतक जिले के लिये पानी नहीं आना था, जहां से उस समय बिजली और सिंचाई विभाग का मन्त्री पैदा हुआ था और न ही अमृतसर में पानी जाना था, जहां का उस समय का मुख्यमंत्री था। पानी जाना था महेन्द्रगढ़ के टीबों पर। लेकिन इस पर भी अगर यह सरकार यह सोचती है कि उसको 24 लाख रुपया खर्च होने के बाद छोड़ा जाए या लिया जाए तो यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं चाहता हूँ कि जुई नहर जो कि हमारे मुख्यमंत्री के अहद में बननी शुरु हुई है, उनके समय में ही पूरी हो जाए, वरना मुझे आशंका है कि जितना रुपया उसके ऊपर लगा, जाया होगा और उसके अन्दर कोई पानी नहीं बहेगा। इसलिए, मैं आपकी और सदन की मारफत उनसे कहना चाहता हूँ कि वे इस बात के बारे में सतर्क रहें। अगर यह काम पूरा नहीं हुआ, तो यही जो भाई हमारे बड़े इन्जीनियर और सलाहकार हैं, जो आज कहते हैं कि 24 लाख रुपये की नहर बन गई ये ही दूसरी सरकार आने पर इसे नहीं चलायेंगे और कहेंगे कि साहिब लत हो गया, क्योंकि पिछली सरकार दबाव से करा गयी थी। उपाध्यक्ष महोदया, इसीलिये सरकार को घाटा होता है। प्रजातन्त्र में सरकार को एक तरीके से चलना चाहिये, एक तरीके से नहरों को चलाना चाहिये। सरकारें आती हैं, जाती हैं। राव वीरेन्द्र सिंह भी मुख्यमंत्री हुए, पंडित भगवत दयाल भी हुए। चौधरी बंसी लाल भी हैं और पहले भी कई हुए। कम से कम 50 मंत्रीगण हरियाणा के आए और गए। आवागमन संसार का कायदा है और जब आवागमन सरकार का कायदा है तो खासतौर पर उन भाईयों को ख्याल रखना चाहिए जो पच्चीस साल तक नौकरी करने के बाद पैंशन की वाहिश रखते हैं।

लेकिन, होता इसके विपरीत है। मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा

पहले अर्ज़े किया, दरख्वास्त से काम करवाता हूँ। जब मैं लोकसभा का मैम्बर था तब भी दरख्वास्त भेजा करता था और जब भी जबकि मैं सदन का मैम्बर हूँ, ऐसा ही करता हूँ। पिछली दफा सदन में मैंने दरख्वास्त की थी कि 1,32,000 रुपये का गबन हो गया है। लेकिन, उसका कोई उत्तर नहीं है कि वे रुपये कहां गये ? सड़क बनाना या न बनाना दूसरी बात है। लेकिन सदाकत से इन्कार करना इस सदन की बेइज़्ती है।

उपाध्यक्ष महोदया, सैक्रेटरी जिला परिषद्, रोहतक का मुकदमा था। मैंने चिट्ठी लिखी। मगर नहीं मानी गई। अब सरकार के खिलाफ डिग्री हो गई और यह जीत गया। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदया, हरिजन कल्याण फण्ड का यहां जिक्र है (विघ्न)।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, आपका टाईम हो गया है। अगर हाऊस एक्सटेंड करना है, तो आप टाईम ले सकते हैं। मैंने जो डिमान्डज़ पास करवानी हैं, उसके लिये मैंने आधा घण्टा रखना है। आधे घण्टे के लिये मैंने गिलोटिन लगाना है, क्योंकि फाइनैंस मिनिस्टर ने भी बोलना है।

मेज़र अमीर सिंह चौधरी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाऊस आधे घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाए।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, क्या हुक्म है ?

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, आप 4 मिनट और बोल सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, नहरों की सफाई की यहां बड़ी कहानी सुनाई गई। मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, हकीकत यह है कि जमुना नहर के अन्दर साल में सिर्फ 60 दिन इतना पानी चलता है जो 10,000 क्यूसिक, जोकि नहर की कपेसिटी है, उससे अधिक होता है। लेकिन, उस वक्त भी इंजीनियर महोदय कहते हैं कि उसको बन्द कर दिया जाए उन दिनों में जिन दिनों यमुना में 50 हजार क्यूसिक से पानी अधिक है। क्योंकि, यमुना में रेत ज्यादा है। अगर उसको बहा दिया जाए तो वह नहर भी अन्ट सकती है

और बन्द भी हो सकती है। उन साठ दिनों को छोड़कर इरीगेशन मिनिस्टर साहब या सिंचाई विभाग पता करके साबित कर दें कि कभी छ : हजार क्यूसिक से ज्यादा पानी हमारे हिस्से में आया तो मैं सारी बातें उनकी कबूल कर सकता हूँ। दो महीने के अलावा कभी 6,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं बहता। उपाध्यक्ष महोदया, सही बात का पता न करके यह जो स्वप्न देखे जाते हैं और मन्त्रियों से और अपने ढ़ंग से जो कार्यवाही करवाई जाती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदया, मैं फैमिन रिलिफ के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। यह वित्त मन्त्री महोदया का महकमा है। हमारे धामड़ गांव में पिछली दफा खराबा लिखा गया और उगाही मुलतवी कर दी गई। लेकिन, अब वहां पर बाढ़ आ गई। पिछली उगाही तो अभी तक वसूल नहीं हुई और अब आगे की उगाही का भी पता नहीं क्या होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सरकार को घाटा रहता है।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, डिमांड नं. 19 के तहत रोहतक जिले के अन्दर दवाई छिड़की गई। मुझे खुशी है कि वहां फसल तो बच गई, लेकिन वहां, जो शूगर फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में, 10 मील के अन्दर अन्दर पड़ने वाले गांवों का गन्ना नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे अफसोस है कि वे फैक्ट्रियां कैसे अच्छे ढंग से चलेंगी और किस तरह से वहां काम होगा ? अगर कोई सरकार इकोनोमिक फील्ड में भी किसी को अपना नहीं बना सकती तो वह अच्छे ढंग से नहीं चलेगी। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप खत्म कीजिये, इसके बाद वित्त मन्त्री महोदया ने भी बोलना है।

चौधरी रणबीर सिंह : बहुत अच्छा जी, अगर आपकी आज्ञा है तो में इतना कहकर ही बैठ जाता हूँ।

सबके साथ न्याय किया*

{हरियाणा विधान सभा में पक्षपात करने के आरोपों का जवाब देते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने 28 अगस्त, 1970 को सदन में बात को साफ किया कि उन्होंने अवसर मिलने पर सब क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया, यह रिकार्ड की बात है। -सम्पादक ।}

————————

डिप्टी स्पीकर साहिबा, राव साहब के बाद कुछ कहना था ताकि मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दूं। अगर मुख्यमंत्री समझते हैं कि मैंने पहले बोलना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इससे पहले वे बोलना शुरु करें, वे बता दें किस किस बात पर बोलना चाहते हैं?

उपाध्यक्षा : चौधरी बंसी लाल जी अपना पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इससे पहले आपका एक्सप्लेनेशन हो सकता था। लेकिन, वे खड़े हो गये हैं इसलिए वे पहले दे सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : ये किस बात पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? स्पीकर साहिबा, अगर कोई नई बात हुई हो तो उसके मुताल्लिक, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। पहले ये बतायें कि कौनसी नई बात है? (शोर)

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए बहुत सी बातें मेरे बारे में कहीं। उन्होंने कहा कि मैंने हिसार का नाम लिया है। मैंने किसी जिले का नाम नहीं लिया था, आप पढ़

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4, Page (4) 118-128*

लीजिए। लेकिन, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि जो मैंने कहीं थी उसे हिसार जिले का माना जा सकता है। मैंने नाम नहीं लिया, अब आपने लिवाया है। उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने कहा कि मैं भी पहले मिनिस्टर था। ठीक है, मैं सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. और हैल्थ का मिनिस्टर था। इसके अलावा वाटर वर्क्स की स्कीम भी मेरे अन्डर थी। जहां जूई का जिक्र किया। ठीक है, मैं एक दफा जुई में गया था। लेकिन, आपके मुख्यमंत्री को मैंने वहां नहीं देखा। हां, देखा था 1967 के चुनाव में। मुझे पहले चुनाव कानून के तहत चुनाव भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञान था। क्योंकि, न मैंने किसी के खिलाफ पेटीशन की थी और न ही मेरे पर किसी ने पेटीशन की थी। अबकी बार पैटीशन के तजरुबे करता चला कि चुनाव के दिनों में किसी तरक्की के काम को चालू करना था। चुनाव भ्रष्टाचार जुर्म माना जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, सन् 1967 चुनाव में, मैं तोशाम गया था तो उस वक्त श्री बंसी लाल जी के चुनाव का अहम मुकाम था। वहां पर आज के मुख्यमंत्री जी को यह इतलाह कर गया था। मैं आपके हल्के में पीने के पानी की स्कीम चालू करने गया। यह इतिहास की बात है, सरकारी कागजात की बात है, आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैंने निवेदन किया था कि आप अपनी पब्लिक मीटिंग करें। आज अगर मुख्यमंत्री जी कहीं मीटिंग करें तो उनको सुनने को हजारों लाखों लोग आते हैं। ठीक है, आया ही करते हैं। जो भी हो उसके लिए भी आयेंगे, ऐसे ही आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, उनके साथ आप प्रदेश कांग्रेस के हमारे महामंत्री श्री बनारसी दास जी मुझे वहां मिले थे। गिनती में नहीं पड़ता कि कितने आदमी थे, वे खुद जानते हैं।

श्री मंगल सैन : दो दर्जन होंगे जी।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, उन्होंने यह कहा है कि मैंने अपने में काम किया है और हरियाणा में दूसरी जगह नहीं किया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदया मैं आपको बताऊं कि मुझे इस बात का फख्र था.....

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : मैंने अपने हल्के में नहीं कहा, रोहतक में कहा। फिर मेरे हल्के का तो ये बिना बात क्रेडिट ले रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : हो सकता है कि मेरा ख्याल लत हो। लेकिन, रोहतक जिला ही कहा है तो मुझको उस बात में भी कोई एतराज करें क्योंकि मैं रोहतक जिले की बात कहता हूँ। इन्हें चाहिए तो यह था जो बात मैंने कही उसको लत बताते। मैं तो कहता हूँ कि अगर रोहतक जिला में काम किया और हिसार में नहीं किया हो तो मैं अपने आप को दोषी मान सकता हूँ। लेकिन, असलियत तो इसके उलट है। आज मुख्यमंत्री जी के पास सरकारी कागजात मौजूद हैं। हमारे पास कागजात नहीं। हिसार जिले के लिए, जहां पीने का पानी नहीं मिलता था और जिसकी योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अपनी तकरीर में बड़ी बातें कहीं थी। यह मुझे फख्र था, उपाध्यक्ष महोदया, उस वक्त के पी.डब्ल्यू.डी. एण्ड हैल्थ मिनिस्टर के नाते पंजाब के अन्दर, हिसार के लोगों के शेयर को जो कि स्कीमों की कीमत का 12 प्रतिशत था, पंजाब सरकार से मन्जूर कराने का और दिलाने का। मैंने मन्जूर कराया था। इस बारे में कैबिनेट में मेरी तरफ से मेमोरेन्डम गया था। हिन्दुस्तान की सरकार से 87 फीसदी हिस्सा उस इलाके की पीने के पानी की स्कीम के लिए मन्जूर कराने का भी मुझको फख्र था।

श्री बंसी लाल : चौधरी साहब, 87 फीसदी के बारे में कौन से इलाके का जिक्र किया है?

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं आपके द्वारा उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने हिसार के इलाकों में किया है। हिसार जिले में बहुत ज्यादातर तोशाम, भिवानी के हल्के व तहसील भिवानी में आते हैं और हिसार तहसील भी शामिल है। साढ़वा की स्कीम और बहुत सारी पीने के पानी की स्कीमें मेरे वक्त में पूरी हुई थी। लोगों का हिस्सा 12 फीसदी भी सरकार की तरफ से दिया गया और हिन्दुस्तान की सरकार 87 फीसदी देगी यह उस वक्त के फैसले को मुख्यमन्त्री जी को मैं बताना चाहता हूँ, केवल इस बात के लिए और किसी बात को नहीं। क्योंकि

वे मेरी पार्टी के नेता हैं और इसलिए मैं चैलैन्जबाजी नहीं करना चाहता कि अगर यह बात झूठ हो तो कम से कम मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, उस वक्त भिवानी तहसील, लोहारु वगैरह में हिसार के अन्दर कहत पड़ता था, जिस तरह से अभी पीछे पड़ा था।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, ऑनरेबल मैम्बर से खाली पसर्नल इन्फरमेशन देने के लिए कहा गया था, ये तो स्पीच दे रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मुझको मुलजिम जो बनाया गया है। मैंने सिर्फ रोहतक जिले में काम किया था उसके जवाब में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने हरियाणा और पंजाब में कहां-कहां काम किया था? आपके चार्ज के मुताबिक तो मैं ज्वायंट पंजाब की भी बात कर सकता हूँ। लेकिन, मैं उस बात पर ज्यादा बोलने वाला नहीं। तो उपाध्यक्षा महोदया, मैं यह बता रहा हूँ कि उस वक्त जितना कहतजदा इलाका था, उसमें बहुत बड़ा भिवानी तहसील का इलाका था और जो सड़कें मन्जूर हुई थी उनमें से बहुत सारी सड़कें भिवानी तहसील के लिए हुई थी, कुछ महेन्द्रगढ़ जिले के लिए, कुछ रिवाड़ी के लिए और कुछ झज्जर तहसील के लिए मन्जूर हुई थीं। मुझको मौका नहीं मिला, उसमें सरकारी तौर पर देखने का। लेकिन, जैसा मैं सुनता हूँ उसके मुताबिक मुझे ज्ञात हुआ है कि भिवानी तहसील की सारी सड़कें पक्की हो गई हैं या होने वाली हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये सारी की सारी सड़कें मैंने मन्जूर की हैं।

श्री बंसी लाल : मैं इसका जवाब दूंगा।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, रोहतक जिले की इन्होंने अनदेखी की लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ऐप्रोच रोड्ज की स्कीम गर्वनमेंट ऑफ इंडिया की थी और उसके मुताबिक 25 फीसदी हिस्सा जहां लोग दे दिया सड़क बनाई जा सकती थी। जब मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर बना तो उस समय 33 लाख रुपया इस स्कीम पर खर्च हो चुका था। मैंने इस स्कीम को और तरीके से चलाया। लेकिन, तेजी से चला करके एक इंच भी

पक्की सड़क रोहतक जिले में नहीं बनवाई या अपने हल्के में नहीं बनाई, जहां से 25 फीसदी हिस्सा नहीं आया। केवल वहां बनवाई जहां से लोगों ने पैसा दिया। उपाध्यक्ष महोदया जिस गांव में मेरी ओरनाल गड़ी है, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव से एक फरलांग की सड़क हस्पताल के लिए तब तक नहीं बनवाई जब तक लोगों से अपने हिस्सों का पैसा नहीं लिया गया। लेकिन, मुझको दु :ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह मन्जूर हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिली सड़क आज चार साल के बाद भी नहीं बनी। लेकिन वह मुझको कोई शिकायत नहीं करने को कहते हैं, वक्त की बात होती है। कई बातें होती हैं, शायद पैसा कम हो, टैक्स न मिल सके हों लेकिन वह हमारे देखने की बात है, इनमें से कोई सी भी बात नहीं फिर भी सरकार को इस तरफ देखना होता है। बावजूद इस बात के कि रोहतक मार्किट कमेटी का सबसे ज्यादा पैसा आता है, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन, इन सब बातों को बताने का यह वक्त नहीं है। इस वक्त तो मुझको बोलना यह है कि मैंने रोहतक जिले के साथ कोई पक्षपात किया था या नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदया, तीसरा महकमा मेरे पास बिजली और सिंचाई का था।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, मैं आपसे रिक्वैस्ट करुंगी कि जो इलजाम आपके ऊपर लगाये गए हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बोलिए।

चौधरी रणबीर सिंह : उन्हीं के ऊपर मैं कह रहा हूँ। उन्हीं महकमों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मेरे पास थे।

उपाध्यक्षा : अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो बाकी काम के लिए वक्त नहीं रहेगा।

श्री बंसी लाल : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैडम, हम कोई बजट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैंने रेफरेन्स यह दिया था कि रोहतक जिले में काम किया और हिसार पीछे रह गया। अगर आज हम हिसार को आगे ले जायें तो इसमें क्या बुरी बात है। यह तो जनरल

बात कर रहे हैं। आप गैर-जरूरी हाऊस का टाईम वेस्ट कर रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, अभी भी वे कह रहे हैं कि रोहतक जिले में काम किया। अब मुझको मालूम नहीं कि इसके जवाब में क्या कहा जाए? आप मेरी मदद कर दें। ये मेरे खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, मंत्री के नाते मैंने अपने जिले के लिए पक्षपात किया था। इसलिए मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही कि मैंने नहीं किया था। उपाध्यक्ष महोदया, तीसरा महकमा बिजली एवं सिंचाई का था। ड्रेनेज के ऊपर 25 करोड़ के करीब रुपया दो वर्ष में खर्च हआ। वह तो लोहारु के अन्दर खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां बाढ़ आती नहीं था।

उपाध्यक्षा : आप जल्दी खत्म करिए। (विघ्न)

चौधरी रणबीर सिंह : अगर आप चार-पांच मिनट देंगे और ये लोग बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। आप इजाजत दें। मैं कोई बात फालतू नहीं कहूँगा। उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर इसलिए काम नहीं हो सका क्योंकि वहां फ्लड आता नहीं था। कैसे वहां पक्षपात हो गया? यह तो मैं नहीं कह सकता। फ्लड सिरसा में आता था। इसलिए सिरसा और घग्गर स्कीम के ऊपर पैसा खर्च हुआ और काफी से ज्यादा खर्च हुआ। उसमें कोई बात नहीं कर सकता कि रोहतक और हिसार का पक्षपात किया गया था या किसी और जिले का पक्षपात किया गया था? उपाध्यक्ष महोदया, कल ही कुछ सदस्यों ने अपनी बात कहते हुए मेरे विषय में कुछ बातें कहीं और खासतौर से माननीय बनारसी दास गुप्ता जी ने जो कि हरियाणा कांग्रेस पाटी के महामंत्री हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता : चौधरी साहब, मैं तो कल बोला ही नहीं।

चौधरी रणबीर सिंह : भाई साहब आपको याद नहीं (विघ्न) अध्यक्ष महोदया, कल मैंने इन सबको बातें कलेजा थाम कर सुनी थी। इसलिए इनको भी तसल्ली से सुननी चाहिएं। शारदा बहिन बोल रही थीं तो कल बनारसी दास गुप्ता जी बीच में उठ कर कहते थे, पिछले बजट सैशन के

वक्त बनारसी दास गुप्ता जी की जो भी तकरीरे हैं, उनको देख लें और 26-27 फरवरी की रात का जो ये जिक्र करते हैं, उसके बाद की तकरीरों को भी देख लें और अब जो ये नयी-नयी बातें खड़ी हुई हैं उनको भी देख लें फिर आप अन्दाजा लगायें कि पहले वाली सही है या बाद वाली सही है? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया, बेहतर होगा यदि मुझको चौधरी बंसी लाल जी की बातों की याद न दिलायें जिनका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता, वरना मैं और बातें भी यहां हाऊस में कह दूंगा। (विघ्न)

एक सदस्य : चौधरी साहब वह बात भी बताइये।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे तारीख तो याद नहीं है। लेकिन, इसी सदन में इन्होंने कहा कि आप पंडित भगवत दयाल जी से बातचीत जारी रखो। मैंने उनसे बातचीत जारी रखी और वह इसलिए जारी रखी कि वह अपनी पार्टी के लीडर के हुक्म को बजाना था। तो अब भी उनको इस बात पर दु :ख हो तो मुझे उससे क्या? कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये साबित कर सकें (विघ्न) मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देकर किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता (विघ्न)।

श्री बंसी लाल : सरकार को तोड़ने के लिए 26 और 27 तारीख को चौधरी चन्दा सिंह, रामधारी गौड़ और शारदा रानी के पास घूमते रहे। मगर सदन में आकर तो रोये और उधर रात को सरकार तोड़ते हुए फिरे।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने बोलते हुए किसी भी दोस्त के बारे में कोई कटू शब्द नहीं कहा या उसकी शान के खिलाफ कोई बात नहीं कहीं, जिससे किसी दोस्त को जोश आये। लेकिन ये वैसे ही नयी नयी बातें कहें जो उचित नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस हाऊस में रोया था और आपको भी याद होगा और जो कुछ मैंने उस रोज कहा था वह इस सदन की कार्यवाही में भी होगा। उस रोज, स्पीकर साहब के खिलाफ भी अदम-उन्माद की मोशन आयी थी। यहां पर हाऊस में जो नो-कान्फीडेन्स मोशन मिनिस्टरी के खिलाफ आयी थी उसकी तारीख रखी गयी

कि फलां तारीख को यह मोशन हाऊस में डिस्कस होगी। मैंने उस वक्त कहा था ..... (विघ्न) मुख्यमंत्री साहब ने अभी कहा था कि मैं रोया था। उपाध्यक्ष महोदया जिस आदमी का 24 साल का इतिहास हो अर्थात् मैं 24 साल से लैजिसलेटिव असैम्बली में हूँ। मैंने कभी कोई विहप नहीं तोड़ा। मेरे लिए इस प्रकार से डिफैक्शन का इस्तेमाल आपने किया यह आपके लिए ठीक नहीं है। (विघ्न)

चौधरी राज सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या वह पर्सनल एक्सपीरियन्स है या कल के इल्जामात का उत्तर दे रहे हैं या जो आज इल्जाम लगाये हैं उनका जवाब दे रहे हैं? हमारी तो यह बात समझ में नहीं आ रही है। (विघ्न)

चौधरी रणबीर सिंह : यदि मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं आज के इल्जाम का भी जवाब दे दूंगा। अब तो मैं सदन का समय बचाने के लिए कल की बोली का ही जवाब दूंगा। अगर अब कोई बात कही जायेगी तो उसका फौरन जवाब के लिए समय मांग सकते हैं। कल वाले का जवाब देने दें और आज का इलजाम हो, उनके लिए बाद में समय दिला दें, मुझे तो कोई एतराज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदया, यह बात मेरे विषय में कही गयी और उसका मुझे बड़ा दु :ख हुआ। मैं इतने साल तक लोक सभा का कांस्टीच्यूशनल असैम्बली, जो कि विधान की बनाने वाली है, उसका मेम्बर रहा, और उसमें काम करने का मुझे मौका मिला। उसके पीछे क्या भावनायें थीं और उन भावनाओं को कैसे आज रोंदा जा रहा है? इसका मुझे बड़ा दु :ख है और इसी दु :ख के कारण मेरा गला रुंध आया था तथा आपको भी याद होगा उपाध्यक्ष महोदया क्या आपने भी उस समय हमदर्दी जाहर की थी?

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब आपका दिल मैला हुआ तो मेरा दिल भी मैला हो गया था।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया यही मैंने याददाहनी फरमाया है।

श्री ओम प्रकाश गग : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर मैडम, वह दिल मैला क्यों हुआ ?

उपाध्यक्षा : आप किसके लिए पूछ रहे हैं ? मेरे लिए पूछ रहे हैं या चौधरी रणबीर सिंह जी के लिए पूछ रहे हैं ?

ओम प्रकाश गर्ग : आपका दिल तो उनके साथ ही आ जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में मैं दो-तीन शब्द कहकर अपना स्थान लेता हूँ। यह बात तो फरवरी की थी। फरवरी को तो गये कई महीने हो गये। मेरे लायक दोस्तों को तकरीरें करने का सदन में भी मौका मिला। इन्होंने और भी जगह कार्यवाही करने की कोशिश की, वहां भी सफल नहीं हुए।

श्री बनारसी दास गुप्ता : वह भी कर रखी है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे पास नहीं पहूँची है। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। आप मुझे फांसी पर लटका देना, मैं अपील व इन्कार नहीं करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदया, जो बात मैं कह रहा हूँ यदि वह लत हो तो मैं आपकी ओर से अभी श्री बनारसी दास गुप्ता से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा था कि पार्टी के मैम्बर के नाते जो मुझे अधिकार था, जब तक मैंने किन्हीं के बारे में अखबार में यह नहीं कहा कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, उस वक्त पहले की या बाद की कोई चिट्ठी-पत्री मुझे नहीं पहूँची और यदि बनारसी दास जी ने कोई चिट्ठी-पत्री भेज दी हो तो उसमें मेरा तो कसूर हो नहीं सकता। यह तो उनके या मुख्यमंत्री के दफ्तर का कसूर हो सकता है। लेकिन, मुझे वे नहीं मिलीं।

श्री बंसी लाल : नोट मांगते तो सारे मैम्बरों के लिए यह फिरें और

कसूर हमारा हो सकता है?

चौधरी रणबीर सिंह : चौधरी साहब, मैंने सुना नहीं है। जरा फिर बताएं।

श्री बंसी लाल : पुरानी बात है नई कोई नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा तो इतना ही कहना है यह जो इतनी बातें आयी हैं इसमें तमशुदा मनोवृति दिखाई देती थी और उसके बारे में मेरा कोई कसूर नहीं है। उस बात से मुझे कोई डर नहीं है। हर मैम्बर को अपने हक के लिये लड़ने का अधिकार है। अव्वल तो मैंने कोई पक्षपात किया ही नहीं, अगर कोई लती की भी हो गई है या पक्षपात किया है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ।

शराफत कभी नहीं छोड़नी चाहिए*

{हरियाणा विधान सभा में 4 अगस्त, 1971 को हरियाणा विनियोग (न3) विधेयक पर चर्चा में बहुत नोकझोंक हुई जिसपर चौधरी रणबीर सिंह ने अपना आक्रोष जाहिर किया और कहा कि आज की कार्यवाही कोई अच्छे तरीके से या परिपाटी रही है उसके अनुसार नहीं चली। उन्होंने कहा कि मुझे दु:ख है कि मैंने भी चेयर के बारे में कुछ कहा जो मैंने आज कभी नहीं कहा करता था उसके लिए क्षमा चाहता हूं। फिर सदन के समझ विषय पर अपनी बात रखी। -सम्पादक । }

————————

उपाध्यक्ष महोदया, यह जो बिल और डिमांड्ज हमने तकरीबन पास कर दी हैं और अब आखिरी मोहर लगाने जा रहे हैं इस सिलसिले में जो शब्द मैंने पहले कहे हैं उनको मैं दुबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन, इतना जरूर कहूँगा कि आज की कार्यवाही कोई अच्छे तरीके से या जो हमारी परिपाटी थी, उसके मुताबिक नहीं चली। मुझे दु :ख है कि मैंने भी कुछ चेयर के बारे में कहा जो मैं आज तक कभी नहीं कहा करता था। उसके लिए चूंकि उन हालात में मैं मजबूर था। इन्सान को शराफत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ में यह बात कहना चाहता हूँ कि अनुपूरक की पहली किश्त जो हाऊस के सामने आई हैं उसके ऊपर जितनी बातें और टीका-टिप्पणी हुई है उसका सम्बन्ध डिमांड्ज से बहुत ज्यादा नहीं था। प्रदेश की कार्य प्रणाली किस तरह से चल रही है उससे उन बातों का

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 96-98

सम्बन्ध हो सकता है? डिमांड्ज़ का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें से 14 करोड़ 70 लाख तो अनाज खरीदने के लिए है। हां, इसमें एक बात जरूर कही जा सकती है। मुझको मालूम नहीं कि कृषि विभाग का यह जो पर्चा, पैम्फलैट है, यह हमारे पास ही भेजा जाता है या वित्त मंत्रालय के पास भी भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय का अनुमान कि हमारे प्रदेश के अन्दर कितना अनाज पैदा होगा, क्यों लत साबित हुआ? क्यों न पहले पैसा ज्यादा मांगा? इसमें मैं समझता हूँ कि जहां कृषि विभाग और किसानों ने हरियाणा को आगे ले जाने के अन्दर एक बहुत बड़ा कदम उठाया वहां वित्त मंत्रालय से चूक भी हुई क्योंकि उनका अनुमान लत निकला। उनको यह पैसा पहले ही मांगना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदया, प्रदेश के अन्दर अनाज की पैदावार और भी बढ़ाई जा सकती है और यह रूपया इससे दुगुना-तिगुना मांगा जा सकता है। महन्त गंगा सागर जी ने पंजाब का मुकाबला करते हुए बहुत सी बातें कहीं। यह बात दुरस्त है कि हरियाणा ने तरक्की की है। लेकिन, अगर इस वक्त की तरक्की का और पंजाब जितना अनाज दूसरी स्टेटों को आज देता है तथा उससे कुदरती तौर पर जो प्रदेश की तथा लोगों की आमदनी बढ़ती है उसका मुकाबला पंजाब से करें तो उसके मुताबिक हम उनके मुकाबले में नहीं हैं। हम आगे जा सकते हैं, मैं मानता हूँ।

हमारे बिजली और सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय आ गए हैं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, एक-दो बातें मैं इनकी सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश की जितनी बद-रोह हैं, ड्रेन्ज़ हैं, उनके साथ-साथ 11 के.वी. लाईन लगा दी जाए। जमुना की नहर जो है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह एक तरह से चावल पैदा करने वाली नहर है। वह सारे साल की नहर एक नाम के तौर पर है क्योंकि दो-तीन महीनों के अन्दर जमुना में इतना पानी होता है, जिससे जितनी हमारी नहरों की शक्ति पानी बहाने की है या पानी ले जाने की है, वह उसको पूरा कर चला सकती है और उस दौरान केवल चावल ही पैदा हो सकता है। करनाल जिला ही नहीं, रोहतक जिले के हर गांव में और हर उस भूमि में जिसमें नहर की सिंचाई होती है या हर उस भूमि में जहां बद-रोह

के पानी को उठा करके खेत में डाला जा सकता है, चावल पैदा किया जा सकता है, हर उस भूमि के अन्दर जहां चावल पैदा होता है वहां सी-306 गेहूँ भी पैदा हो सकती है और हम पंजाब का मुकाबला कर सकते हैं जो कि हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे प्रदेश के लोगों ने और सरकार ने काफी कोशिश इस ओर बढ़ने की है और काफी हम आगे बढ़े हैं। लेकिन, अभी भी आगे जाने की बहुत जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार ने, खास तौरपर वह अंग जो पिछड़े हुए हैं, खास तौर पर वे भाई जिनको विधान में संरक्षण दिया गया है, उनके बारे में यदि कोई ऐसी कार्यवाही कर दी हो जैसी कि कमिश्नर महोदय के बारे में चौधरी चांद राम ने अपनी बात कहते हुए चर्चा की तो उसकी तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए। गरीब के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हमें काफी सोचना चाहिए। मैं कोई कवि तो नहीं हूँ और वह कविता मुझे याद भी नहीं है। परन्तु, गरीबदास ने कहा है कि

'गरीब को मत सता, अगर गरीब रो देगा तो दीन दुनिया से खो देगा'

इसलिए अब मैं क्या कहूँ? क्या आप अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि हम सोलह आने ईमानदार हैं। हम दूसरों के विषय में जब यह कहें कि तुम बेईमान हो, तब हमें पहले अपनी तरफ देख देना चाहिए कि हम क्या हैं? बेईमानी को हम रोकना चाहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं भी बेईमानी न करें। हसमें कोई शक नहीं कि हमारे मंत्रालय ने काफी काम किया है। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता है। मैंने एक सवाल दिया था। परन्तु, अभी तक मुझे कोई ब्यौरा नहीं मिला लेकिन मेरा अनुमान है कि जहां हमारे मंत्रियों को 1500 रुपये माहवार तन्खाह मिलती है, वहां साथ ही साथ वे 1300-1400 रुपये महीना रोजाना भत्ते का भी ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मुझको याद है कि जब आप डिप्टी चेयरमैन थीं, चौधरी चान्द राम जी भी मिनिस्टर थे और मैं भी उस वक्त मिनिस्टर था। उस समय हमको 1500 रुपये माहवार तन्खाह मिलती थी। लेकिन, सन् 1962 के अन्दर जब मिनिस्टरों की तादाद ज्यादा बढ़ गई तो 700 रुपये महीना तन्खाह कम कर दी

गयी और हमें 800 रुपये महीने की तन्खाह मिलने लगी। परन्तु, आज के मिनिस्टरों को 1500 रुपये तन्खाह मिलती है और भत्ता अलग से मिलता है। इस प्रकार से 1 लाख 85 हजार आयकर का सरकार को और जनता को उनका देना पड़ेगा। इसलिए यह सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी रकम भत्ते की और तन्खाह की जो मिनिस्टर्ज़ लेते हैं क्या यह ठीक है? इसके अलावा भी उपाध्यक्ष महोदया चौधरी प्रताप सिंह दौलतपुर ने अभी कहा कि और भी बहुत खर्चे हैं जिनका कोई अनुमान नहीं है। मुझे याद है कि जब सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे उनके वक्त में एक फैसला किया गया था कि कोई मंत्री 10 दिन से ज्यादा भत्ता नहीं लेगा और किसी मंत्री के पास अपनी कार है तो वह 1000 या 1500 मील से ज्यादा का मील भत्ता चार्ज नहीं करेगा। अगर अपने प्रदेश में किसी काम के लिए बाहर जायेगा तो उसके लिए अलग होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि आप भी मंत्रियों को हिदायत करें कि वे अपने हल्के में रहें तो उसका रोजाना भत्ता खजाने से न लें और दूसरे अब तो चुनाव भी आने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि किसी प्रदेश में इतना विवेकाधीन अनुदान राज्यपाल महोदय के लिए नहीं रखा गया है जितना कि हमारे प्रदेश में रखा गया है। अब पता नहीं यह इतना ज्यादा क्यों रखा गया है? शायद ये गरजते हुए बादल आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन का हमको ध्यान दिलाते हों। यदि ऐसा भी है तो भी हमें सोचना चाहिए। हमको इस विषय पर गौर करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर महोदया, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब में जो कार्यवाही हो रही है वह कल को हमारे यहां भी हो सकती है चाहे वे हमारे अफसर हैं, चाहे हम लोग हैं, हमें पंजाब से सबक सीखना चाहिए।

चौधरी चांद राम जी ने एक चीज़ का अभी जिक्र किया था कि एक नहर बन रही है उस पर 13 करोड़ रुपया या 15 करोड़ रुपया खर्च होगा। वह पक्की नहर बनेगी। यह नहर जगाधरी से लेकर मुनक तक बनेगी। उन्होंने अन्दाजा लगाकर बताया कि 500 क्यूसिक पानी नलकूपों से पड़ेगा और साढ़े

चार सौ क्यूसिक पानी जो जमीन में जज़ब होता है वह नहर में बचाया जा सकेगा। बड़ी अच्छी बात है नहर बननी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में जुई कैनाल बनी और एक इन्दिरा कैनाल बन रही है। जब पिछले दिनों चौधरी चांद राम मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे और मैं बिजली तथा सिंचाई मंत्री था उस वक्त ड्रेन नम्बर आठ के अन्दर एक रेगूलेटर और नहर पर 34 लाख रुपया खर्च के लगवाया गया था। एक बार इसी मंत्रालय ने मेजर अमीर सिंह के सवाल के जवाब में यहां सदन में बताया था कि नहर के विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि यह जो रेगूलेटर लगाया है या नहर बनाई गई है यह टैक्नीकली ठीक नहीं है। परन्तु, आज मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि जिन विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि यह स्कीम टैक्नीकली लत है, आज के दिन उन्हीं विशेषज्ञों ने उस स्कीम को सही माना है। यह स्कीम हमारे वक्त में चालू की गई थी। मैं यह मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के अन्दर सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हरियाणा के एक एक टिब्बे पर पानी पहुँचाया जाये ताकि किसान अच्छी खेती कर सकें। किसान अपने लिए भी पैदा कर सकें और प्रदेश के लिए भी आमदनी बढ़ा सकें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह जो तरीका है जैसा कि कल कहा गया कि हम रैस्ट-हाउसिज़ इसलिए बनाते हैं कि हमारे अफसरों को 12-15 घण्टे काम करना पड़ता है, इसलिए उनको आराम के लिए जगह भी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो मज़दूर मिट्टी का काम करते हैं क्या उनको रैस्ट-हाउसिज़ की जरूरत नहीं है? जो आदमी मेहनत से काम करते हैं उनको रैस्ट की ज्यादा जरूरत है। जिस आदमी ने मेहनत से काम किया हुआ है उसको पड़ते ही नींद आयेगी। जो आराम का काम करते हैं उनको ठंडी जगह चाहिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो इंजीनियर हैं वे अगर काम करते हैं तो उनको फौरन नींद आयेगी। उनको नींद लाने के लिए इतने रैस्ट-हाउसिज़ की जरूरत नहीं है। रैस्ट-हाउसिज़ पर जो खर्चा हो रहा है, वह तो बहुत बड़े साहूकार प्रदेश के नाते खर्च हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें कमी हो। एक बार जब मैं जिला परिषद् की मीटिंग में रोहतक गया तो वहां पता लगा कि जिला परिषद् का रैस्ट-हाऊस भी ऐयर-कंडिशन्ड बन रहा है। हो

सकता है उसमें सरकार का हाथ न हो। मुझे तो उसको देखकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैं नहीं समझता कि जब चौधरी चांद राम जी मिनिस्टर थे और मैं भी मिनिस्टर था, उस वक्त क्या बात थी और अब क्या हो गया? पता नहीं हम ही पिछड़ गये या प्रदेश बहुत आगे चला गया। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदया, यह घण्टी आखिरी मिनट की है या दो मिनट पहले की है?

Deputy Speaker : Please do not waste your time in talking. You can speak for two minutes more.

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया मैं जानता हूँ कि नहरों का बनाना बहुत जरूरी है। परन्तु, साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि जिन किसानों के खेतों में नहरें निकलती हैं, उनको उजाड़ना नहीं चाहिए। उनको भी बसाया जाना चाहिए। जो कच्ची नहरें हैं, वे कितने क्यूसिक पानी के लिए हैं और उनके नीचे की जमीन कितनी एकड़ है, यह मुझे पता नहीं है। उनके नीचे की जमीनों को बड़े-बड़े बुलडोजर लगाकर ठीक और एकसा करके दिया जा सकता है। लेकिन, वे उसी हालात में दी जा सकती है, अगर उन नहरों को पक्का कर दिया जाए। (घंटी की आवाज) आपने दो मिनट के लिए कहा है। आपने तो एक मिनट के अन्दर ही घण्टी बजानी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी नहरों के पास की जमीन हो या कोई और जगह हो, सड़क के पास की जमीन हो या रेलवे के पास की जमीन हो, वह ले करके उन किसानों को दे दी जाए, जिन किसानों की जमीन हमने नहरों के बनाने में इस्तेमाल की है। इससे हमारे प्रदेश को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। किसानों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और कायदे-कानून के मुताबिक सब चीजें हों। उनका जो भी मुआवजा बनता हो तो वह दिया जाये।

हरियाणा बिजली बोर्ड में सुधार की आवश्यकता*

{हरियाणा विधान सभा में वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और वर्ष 1969-70 के लिए हरियाणा बिजली बोर्ड के खातों पर चर्चा के लिए 5 अगस्त, 1971 को चर्चा हेतु प्रस्ताव रखते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली थर्मल प्लांट व भाखडा में हरियाणा के हिस्से तथा प्रस्तावित किशाऊ बांध की महत्ता पर रौशनी डाली। -सम्पादक ।}

————————

अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव रखता हूँ -

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन परजो 2 अगस्त, 1971 को सदन की मेज़ पर रखा गया है चर्चा की जाए।

स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरा प्रस्ताव भी साथ ही मूव कर दूं?

श्री अध्यक्ष : हां जी, कर दीजिए।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूँ -

कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की थर्ड ऐनुवल स्टेटमेंट ऑफ

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4)* 108-121

अकांऊट्स, साल 1969-70 पर जो 2 अगस्त, 1971 को सदन की मेज पर रखी गई थीं, चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमें तो कागज़ इसके पश्चात् हरियाणा बिजली बोर्ड की तरफ से छपा हुआ मिला है उसमें 31-3-1971 तक की तरक्की का जिक्र है। जो तरक्की हमारे हरियाणा बिजली बोर्ड ने की है उसका जिक्र कल हमारे मंत्री साहब ने भी किया था। जहां तक खेती के लिये पंपिंग सैटों के लिये कनैकशन देने का ताल्लुक है उसकी मैं सराहना करता हूँ। जो सही हालात हैं, वह कहने में कोई झिझक नहीं है और कोई मुखालिफत करने के लिये कह दे तो और बात है लेकिन मैं तो यह कहूँगा कि हमारे प्रदेश में बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से बहुत काम किया है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) कई भाई जो बिजली बोर्ड की टैक्नीकल भाषा को समझने में असमर्थ हैं, वे कह सकते हैं कि फलां गांव में बिजली मिली है और फलां में नहीं मिली। वह जो हम कहते हैं कि हमने बिजली सब गांवों को दे दी है उसके मायने यह हैं कि जिसने भी गांव हैं उन तक 11 के.वी. लाईन बिछा दी गई है और उसके साथ-साथ 11 के.वी. के लिये ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। उसके बाद अगर किसी को अपने घरेलू काम के लिये या किसी और काम के लिये बिजली की जरूरत हो तो उनको दरखास्तें देनी होती हैं। मैंने एक प्रश्न किया था कि लोगों ने कनैक्शन लेने के लिये कितनी दरखास्तें दी हैं और कितनों को अब तक कनैक्शन दे दिया गया है लेकिन उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। इसलिये, उस पर चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन, मैं कहता हूँ कि पहला कदम सराहनीय है और उसका फायदा हमको तभी हो सकता है कि जब हम इस बात की तरफ चलें कि जितनी दरखास्तें आती हैं उनको कनैक्शन जल्दी दिया जाये और इसके लिये अगर बोर्ड को कुछ ज्यादा कानून (Rules) बदलने की जरूरत हो तो वह भी बदल दिया जाना चाहिए। अगर एस.डी.ओ. को या लाईन सुप्रीटेंडेट को केसिसि को जल्दी ऐक्सपिडाईट करने के लिए कुछ अख्तियार देने की जरूरत हो तो वह कर दे देने चाहिए। वरना अगर कागज इधर से उधर चक्कर काटता रहेगा तो

उससे तरक्की नहीं हो सकती। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में यह गुण है कि वे फैसला शीघ्र करते हैं। अगर वे शांति से इस बात को सुनेंगे और कागजात को देखेंगे तो इस पर जरूर ऐसा आदेश देंगे और हमने जो बिजली की लाईनें हैं, उनका लोगों को पूरा फायदा पहुंचेगा।

अब मैं कुछ सुझाव आपके द्वारा सदन में सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्दर जो विभाजन से पहले पंजाब था, सबसे पहले जो पानी से बिजली पैदा होती थी, वह जोगिन्द्र नगर में अहल रिवर की स्कीम से होती थी। मुझको मालूम नहीं कि इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन जोगिन्द्र नगर का पॉवर हाऊस वैसे तो हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन उसको पंजाब का मान लिया गया है। पंजाब वहां से 70 या 100 मील की दूरी पर है। अगर उनका हक है तो हमारा भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी सस्ती बिजली वहां पर पैदा होती है, उतनी और किसी जगह पर नहीं होती। वहां पर एक पैनस्टॉक लगा हुआ है और दूसरे पैनस्टॉक के लिए जगह खाली है। जब यह विभाग मेरे पास था, मैंने डॉ. के.एल. राव को सुझाव दिया था कि हमें यहां पर डैम बनाने की मंजूरी दी जाए। अगर वह मंजूरी मिल जाती तो उस दरिया के ऊपर मामूली पैसा खर्च करके एक छोटा सा डैम बन सकता था और सस्ती बिजली पैदा की जा सकती थी। क्योंकि वहां पर चार हजार फीट का फाल है। हमारी बदकिस्मती यह है कि जब पंजाब का रिआर्गेनाईजेशन हुआ, उस वक्त जितना हिस्सा हरियाणा का बनता है था या तो वह माना नहीं गया या हमने अपने हिस्से को छोड़ दिया, यह मुझे मालूम नहीं। हमें वहां पर अपना हिस्सा कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे कई दोस्त बताते हैं कि डेसू (DESU) में जो थर्मल प्लांट लगा है, वह हरियाणा को मिला। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि थर्मल प्लांट से पैदा हुई बिजली के खर्च और पानी से पैदा हुई बिजली के खर्च में बहुत ज्यादा अन्तर है। थर्मल प्लांट से बिजली पैदा करने में पानी की निस्बत चार गुणा खर्च अधिक आता है। इसके अलावा थर्मल प्लांट लगाने में बहुत थोड़ा समय लगता है। तकरीबल दो सालों में यह योजना

बनकर पूरी हो सकती है। लेकिन पानी की बिजली तैयार करने में काफी समय लगता है। अगर पानी की बिजली के बदले में इन्होंने डेसू थर्मल प्लांट के हिस्से को लिया तो मेरी समझ के मुताबिक यह फैसला हरियाणा केहक में अच्छा नहीं हुआ। न जाने कि विशेषज्ञ की समझ में यह बात आ गई। मेरे विचार के मुताबिक तो यह घाटे वाली बात हुई है। अगर आज भी जोगिन्द्र नगर की बिजली के बदले में थर्मल प्लांट की बिजली का ज्यादा हिस्सा देना पड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई घाटे वाली बात नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा में भाखड़ा प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार सदन में रखना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि भाखड़ा प्रोजेक्ट में हरियाणा के लिए बिजली का कितना हिस्सा है ? मैं उन्हें बता देने चाहता हूँ कि उन्हीं कागज में यह भी लिखा है कि भाखड़ा रिजर्वायर में जितना पानी का हिस्सा बनता है, उतना ही बिजली का हिस्सा बनता है। यह भाखड़ा एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के हिसाब से राजस्थान को हिस्सा दिया गया और इसी के हिसाब से हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन लिया नहीं गया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा एक और बात निवेदन कर देता हूँ कि राजस्थान का हिस्सा सतलुज के पानी में नहीं था। लेकिन, अब भाखड़ा प्रोजेक्ट के पानी में राजस्थान का हिस्सा रख दिया गया है। रावी और ब्यास नदियां राजस्थान के नजदीक से नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें जितना हिस्सा बनता है, उसकी हमें मांग करनी चाहिए। अगर राजस्थान इतनी दूर से हिस्सा ले सकता है तो हमें भी अपने हिस्से की मांग करनी चाहिए। पंजाब के रीआर्गेनाईजेशन के वक्त भाखड़ा डैम के इक्कठे पंजाब के पानी के हिस्से में से हरियाणा में हिस्से में 55 परसेंट हिस्सा हरियाणा का होना चाहिए। लेकिन, इस सरकार ने 39.05 परसेंट कबूल कर लिया है। 55 परसेंट पानी का हिस्सा बनता था। इसी हिसाब से बिजली का हिस्सा होना चाहिए था। चला, कोई बात नहीं इस सम्बंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई न कोई समझौता हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई चीजें ऐसी हैं जिन पर जितना हमारा हिस्सा बनता था उतना नहीं लिया गया। बिजली बोर्ड में एक फण्ड है, जब

हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे तो उस फण्ड के अगेन्सट कर्जा लिया जाता था। उस फण्ड में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी और कुछ डिपाजिट में थी। बोर्ड की इस रकम में हमारा हिस्सा 54 परसेंट बनता था। लेकिन, हमको 39.5 परसेंट ही हिस्सा दिया गया। इसी हिसाब से बैंक से उस फण्ड की अमानत पर कर्जा भी लिया, मुझे कर्जा लेने से कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे बिजली बोर्ड से इस किस्म की कोई चिट्ठी गई थी कि हमारा 54 परसेंट हिस्सा बनता है? मैं अक्तूबर, 1969 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारा हिस्सा 54 परसैंट बनता था तो उतना क्यों नहीं मिला? इसके अलावा मैं सदन से अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आज पंजाब का नया बिजली बोर्ड है उको 40 परसेंट से ज्यादा उस फण्ड की पूंजी पर कर्जा उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर राजस्थान का हिस्सा निकाल दें तो 35 परसेंट के लगभग बैठता है, इससे ज्यादा कर्जा उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिये, यह उनके साथ रियासत है। अगर राजस्थान का हिस्सा उसमें से निकाल दें तो पंजाब और हरियाणा का हिस्सा 60:40 की रेशो से बनता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है लेकिन वह अलग बात है। अगर हम बंटवारा ठीक ढंग से करें तो हम दोनों का हिस्सा 60 :40 की रेशो से आता है। लेकिन, यहां पर उलट हो रहा है। हमें 40 परसैंट से कम हिस्सा मिला है। गर्वनमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी जो शुरू में आई थी उसमें लगभग 40-41 परसेंट हरियाणा को देने की बात थी। लेकिन, आज 39.05 परसेंट ही रह गया है। जो हिस्सा हमारा बनता था, क्या इसको लेने के लिए सरकार ने कोई लिखा-पढ़ी की है? कहीं ऐसा न हो कि पंजाब वाले हमारे हिस्से को गहने में धरकर खा जाएं।

उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि हमारी प्रधानमंत्री बहन इंदिरा गांधी ने हमारे हक में एक फैसला दिया था और आज वे फैसले पर कायम हैं। कल ही राज्यसभा में हिन्दुस्तान की सरकार ने दोहराया कि फाजिल्का और अबोहर का इलाका जो हमारा हिस्सा है वह हमारा बन जायेगा। फाजिल्का और अबोहर का इलाका जब हरियाणा में शामिल हो जाएगा तो भाखड़ा डैम

के अन्दर सतलुज के पानी में हमारा हिस्सा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सम्बन्ध में हमें अपने कागजात तैयार करके चालू करने चाहिये। कितना पानी हमारे हिस्से बनता है, इसकी असैसमेंट बिजली और इरीगेशन इन दोनों विभागों से लगवा लें ताकि केस पहले से ही मूव हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, वैस्टर्न जमुना कैनाल पर हाईडल स्कीम बनाने की योजना मेरे वक्त में हुई थी। मुझे इस स्कीम का कोई जिक्र नहीं मिला कि उस पर क्या कार्रवाइ हुई है। हुई भी है या नहीं ? इस स्कीम को बने हुए सात साल हो गये हैं। मैंने क्या कसूर कर दिया था उस वक्त, अब तो उस कसूर को माफ कर दो। मेरे सहयोगी दो भाईयों जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में मेरा साथ दिया वे अब जेल में हैं, वे दोनों भाई, साहब राम और देवी लाल आज जेल में हैं .... (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : वे जेल में नहीं हैं। चौधरी साहब के दिमाग में पुराने विचार अपने घूम रहे हैं, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। We are not responsible for that.

चौधरी रणबीर सिंह : वे जमानत पर छोड़े हैं ..... अगर चौधरी साहब का पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर उनको रिहा कर दिया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री बंसी लाल : ये उनके शुभचिन्तक हैं। यह तो वे भी जानते हैं कि आप कितने शुभ चिन्तक हैं .....

चौधरी रणबीर सिंह : चौधरी साहब आप उन दोनों भाइयों के मेरे से ज्यादा शुभ चिन्तक हैं। मैंने शुभ चिन्तक होने का कोई दावा नहीं किया और न ही करता हूँ। मैं आपको ही ज्यादा शुभ चिन्तक मानता हूँ। मैं अन्दर वाली बात नहीं जानता। लेकिन, अगर आपने उनको छोड़ दिया है तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। जो कार्यवाई उनके हाथ में है, वे करें .....

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, ऑनरेबल मैम्बर को इररेलेवैंट बोलने की आदत है। He should be confined to time. That is my

submission. He should not speak on law and order what is happening and what is not happening. I would also like to point out here that for all electric faults and everything Chaudhri Ranbir Singh is himself responsible.

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने इसलिये कहा था कि हमारा कसूर है क्या? (व्यवधान)।

श्री बंसी लाल : तुम्हारे कसूर ने तो हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया है।

चौधरी रणबीर सिंह : हरियाणा की तरक्की की बागडोर तो तीन साल से आपके पास है, अब तुम्हीं कुछ कर दो।

श्री बंसी लाल : जितनी तरक्की हरियाणा ने अब की इतनी तो तुम सारी उमर में भी नहीं कर सकते.....

चौधरी रणबीर सिंह : वैस्टर्न जमुना कैनाल की मन्जूरी पड़ी हुई.....

श्री बंसी लाल : इन्होंने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया जिसको हरियाणा 50 साल तक और भुगतेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं ऐसा कहने का आदी नहीं हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि भट्ठा इन्होंने बैठा दिया है या इनके वक्त में भट्ठा बैठा या बैठेगा। (सांय 4 :00 बजे)

श्री बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कह भी नहीं सकते क्योंकि हमारे वक्त में तो तरक्की हुई है। मैं तो साबित करूंगा कि इनके वक्त में भट्ठा बैठा।

चौधरी रणबीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्हें तो चौथी ज़मात के स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा। इनका स्वभाव इनको मुबारक हो। उपाध्यक्ष महोदया मैंने तो पहले इनके काम की तारीफ की। लेकिन, इनके

स्वभाव का हम क्या करें ? यह तो सजैशन सुनने के लिये तैयार नहीं। सुजैशन देना हमारा फर्ज़ है और उसको हम निभायेंगे, ये सुनें या न सुनें। उपाध्यक्ष महोदया, आज आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि पंजाब के लोकसभा के सदस्यगण का, सरदार दरबारा सिंह के नेतृत्व में डा. के.एल. राव से, एक डैपुटेशन मिला और उसने कहा कि उन्हें थाई डैम बनाने की इजाज़त दे दी जाए। उनको कैसे इज़ाजत मिल सकती है ? थाई डैम में हम भी हिस्सेदार हैं। हमारे लोक सभा के सदस्यों, राज्य सभा के सदस्यों और हमारी सरकार को मांग करनी चाहिये कि थाई डैम के प्राजैक्ट पर, जिसकी इंवैस्टिगेशन रिपोर्ट गालबन मेरे वक्त में पूरी हो गई थी, काम करने की हमें भी इजाजत मिलनी चाहिये।..... (व्यवधान)

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, इनके वक्त में तो रिपोर्ट ही होती रही और भट्ठा ही बैठता रहा। आगे काम नहीं चला।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, इनको कहें कि ये कोई चार सौ बार इकट्ठे ही 'भट्ठा बैठता रहा' कह लें ताकि बार-बार सदन का समय नष्ट न हो। मुझको तो इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिये क्योंकि इनके सार्टिफिकेट से मेरा काम नहीं बनता।

उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से एक थरोट डैम प्रोजैक्ट है, जिसकी इंवैस्टिगेशन मेरे वक्त में शुरू हुई थी। अब पता नहीं वह किस हालत में है, यह मुझको नहीं। उसकी इंवैस्टिगेशन जल्दी पूरी हो और हमको हिस्सा मिले इसके लिए हमारी सरकार को लिखा-पढ़ी करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से जम्मू काश्मीर में एक पॉवर हाऊस सलाल के नाम से बन रहा है, वह भी पानी से बिजली पैदा करेगा। इसके बारे में शायद अगर मुझको ठीक याद है, केन्द्रीय मंत्री जी ने कोई चिट्ठी भी लिखी थी कि हमको सौ मेगावाट बिजली का हिस्सा मिल सकता है। हमको इसके लिये लिखकर भेजना चाहिए कि हम तैयार हैं (व्यवधान)..... कागज़ उनके पास होंगे। लेकिन, मेरा कहना यह है कि उनको वे कागज देखने

चाहियें और उसके ऊपर अपनी नज़र हमेशा रखनी चाहिये और तेज़ी से काम करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद थर्मल प्लांट की मंजूरी भटिंडा में पंजाब का जो थर्मल प्लांट बन रहा है, उससे पहले हुई थी। मैंने पिछली दफा भी इसका जिक्र किया था मगर बंसी लाल जी ने कहा था कि प्लांट कागजों से नहीं बनता है। यह मुझको मालूम है कि कोई चीज कागजों से नहीं बनती है मगर उपाध्यक्ष महोदया, अर्ज यह है कि दूसरी चीजों के लिये अगर करोड़ों रुपयों का कागज मिल सकता है। इसके लिये भी कोशिश करनी चाहिये। इसमें एक बात, उपाध्यक्ष महोदया, सही है कि बोआइलर के लिये जो टैन्डर पहले आये वे उनमेंहिन्दुस्तान सरकार की कम्पनी का टैन्डर कम था परन्तु उसको आर्डर देने की बजाय दोबारा टेन्डर मांगे गये। फिर हिन्दुस्तान की सरकारी कम्पनी का टेन्डर कम आया और गालबन अब बोआइलर सप्लाई करने के लिये आर्डर दिया गया है लेकिन इसकी वजह से दो-अढ़ाई साल का फर्क़ पड़ गया। बिजली पैदा करने की शक्ति यदि एक साल या दो साल पिछड़ जाए तो इससे देश और प्रदेश को काफी घाटा होता है।

उपाध्यक्ष महोदया, डेसू (दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग) को भाखड़ा से बिजली दी जाती है। इसी तरह से नंगल फर्टिलाइजर कम्पनी को भाखड़ा से बिजली दी जाती है। इनके बारे में डा. के.एल. राव का फैसला मेरे वक्त में था कि टैरिफ रिवाइज हो। 20 लाख रुपया पुराने रगड़े-झगड़े का कबूल करो और उसे खत्म करो तथा इसके बाद एक रेट बनाया जाए। वह रेट बना। उस रेट की बिना पर करोड़ों रुपया आज तक हमको मिला नहीं। यह तेजी अगर उधर दिखाई जाए हम को को 'भट्ठा भट्ठा करने के' तो शायद प्रदेश बन सकता है।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद जहां तक अचीवमैन्टस का सम्बन्ध है, चूंकि बहुत सारे दोस्तों ने बोलना है इसलिये वही चीजें मैं 'दोहराऊं तो अच्छा नहीं, मेरा निवेदन यह है कि यह 'कागज जिसका शीर्षक है "Progress

at Galnce" अगर आप पढ़ा हुआ मान लें और मेरी तकरीर जो है उसमें शामिल मान लें तो ठीक रहेगा। मैं इसको हरियाणा बिजली बोर्ड की तारीफ समझता हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा स्वभाव है और मैं मानता हूँ कि हर इन्सान में कुछ कमियां हैं और कुछ गुण हैं, चाहे वह चेयरमेन है, मैं हूँ या चौधरी दल सिंह जी हों। अगर गुणों की तरफ देखें तो तरक्की होती है और अगर अवगुणों की तरफ देखें तो अपने में भी अवगुण बहुत होते हैं। लेकिन सुधार के लिये जो बात कही जाए वह इम्पर्सनल ढंग से ही कही जाए अपना यह स्वभाव है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लूंगा। वह बात मैं नहीं कहूँगा। जो रिपोर्ट हमको दी गई है अब मैं आप का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, आप कितना टाईम और लेंगे ?

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मूवर हूँ, इसलिये उसके मुताबिक ही टाईम मिलना चाहिये। जितना टाईम आप देंगे मैं उसके अन्दर-अन्दर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्षा : टाईम देने में मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि टाईम हाऊस का है। मगर, अभी तीन चार बिल पड़े हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने तो उपाध्यक्ष महोदया दोनों प्रस्तावों को इक्कठा कर दिया है लेकिन फिर भी आपकी जो आज्ञा होगी उसकी अवहेलना मैं नहीं करूंगा।

उपाध्यक्षा : आप अपनी बातों को कह सकें, उतना टाईम आप ले लेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं कम से कम समय लूंगा। उपाध्यक्षा महोदया मैंने यह आंकड़े कोई अपने पल्ले से नहीं दिये। लेकिन, कई दफा इनके जवावब देने का तरीका भी अजीब होता हैं। हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी थर्ड

ऐनुअल स्टेटमैन्ट ऑफ अकाऊंट्स 69-70 के सफा 7 को आप देखें। जो बिजली आती है, पैदा होती है और जिससे बनते हैं, बिल बनने तक यूनिटस का हिसाब होता है तो कितने उसमें कम हो जाते हैं, जिसे लाइन लौसीज़ कहते हैं, उसमें चोरी भी शामिल होते हैं, इन सब बातों के बारे में इसमें लिखा है। 67-68 के बारे में इसमें लिखा है कि जैनरेशन टू यूटिलाइजेशन इन्क्लूडिंग आउट-साइड दा स्टेट की फिगर्ज़ 9 परसैन्ट थी, 68-69 में 18.50 परसैन्ट थी और 69-70 में 17.40 थी। कुछ थोड़ा सा सुधार और कुछ बिगाड़ इसमें हुआ है। बिगाड़ ज्यादा हुआ क्योंकि यूटिलाइजेशन में घाटा 9 परसैन्ट से एकदम डबल हो गया। उपाध्यक्ष महोदया, जो हमारी रियास्त के अन्दर बिजली मिली और फिर आगे बंटी या ट्रांसमिशन लौसीज निकाल करके जो हमको घाटा हुआ वह 67-68 के अन्दर 16.60 परसैन्ट है, 68-69 के अन्दर 27.70 परसैन्ट है और 69-70 के अन्दर 25.40 परसैन्ट है लेकिन अब कितना लौस है उसका इसमें उस तरह से खाता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके इलावा मैं आपके द्वारा कहता चाहता हूँ, जैसा कि अभी चौधरी दल सिंह जी ने भी कहा है और हमारी एक कहावत भी है, कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। पैसा होगा तो आराम मिलेगा पैसा ही नहीं होगा तो कहां से आराम मिलेगा। अगर ये सन् 62-63 और 64 की बात करते हैं तो उसके जवाब में मैं बताना चाहता हूँ कि सारे पंजाब स्टैट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को पौने दो करोड़ कर्जा मिला था। शुरु में 12 करोड़ रुपये का स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये कर्जे उठाने के लिये मैंने असैम्बली में प्रस्ताव पेश किया और वह पास हुआ था। आज हमने हरियाणा के लिये ही 50 करोड़ की कर्ज उठाने की हद मुकर्रर कर दी है और कितना कर्जा बाहर से उठाया है यह तो हमें पता नहीं परन्तु कुछ हिसाब खाता दिया हुआ है, उसको मैं यहां हाऊस में बताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया मुझको भी हिसाब खाते का काफी तजुर्बा है। लेकिन, हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। क्योंकि सात साल पुरानी बात है। आशा है पंडित रामधारी गौड़ जी अगर मेरे से कोई भूल हो तो उसको ठीक कर देंगे। तो मैं पंडित जी की

जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर पूंजी का जो खर्चा होता है उसके अन्दर बोर्ड जो पूंजी पर ब्याज देता है वह भी पूंजी खर्चे में लिखा जाता है। बोर्ड ने पूंजी के ऊपर कितना ब्याज दिया इसका ब्यौरा रिपोर्ट के 43 पेज (पृष्ठ) पर दिया गया है। पेज 41 पर लिखा है प्रीवियस और सी.आर.। इसके मायने पिछले साल और इस साल ही होगा। सन् 1969-70 में पांच करोड़ छेतालीस लाख आठ हजार नौ सौ दस रुपया हमारी स्टेट बिजली बोर्ड ने ब्याज का दिया और उस साल प्रदेश और केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता की उसका ब्यौरा इस प्रकार है। सैन्टर और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को 7,81,53,300 रुपये की इमदाद दी जिसमें से 5,46,87,910 रुपये ब्याज अदा करने का खर्च निकाल दें तो इसमें से तो मुश्किल से दो करोड़ और चालीस लाख के करीब बचता है। इसमें सैन्टर और स्टेट लिखा है। यह मुझे मालूम नहीं सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कितना दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना दिया है? पांच करोड़ रुपया का बाजार से कर्जा लिया गया। चौधरी दल सिंह जी ने कहा कि इस कर्जे की किस पर जिम्मेदारी है? लेकिन आमतौर पर तजुर्बा यहां बतलाता है कि बोर्ड के अफसर ही जाते हैं, वहीं कर्जा लाते हैं। मैं इस कर्जे के लाने के लिये बिजली बोर्ड के सब भाईयों को मुबारिकबाद देता हूँ। वे हरियाणा स्टेट के लिये पैसा लायें ताकि हमारे प्रदेश के अन्दर काम हो सकें। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पांच करोड़ रुपया बाजार से कर्जे का उठाया, 54 लाख 47 हजार 800 ऐग्रीकलचर री-फाईनेंस कार्पोरेशन से कर्ज लिया गया है। मैं यह मानता हूँ कि पांच करोड़ रुपया जो बाजार से उठाया गया है, इसमें हिन्दुस्तान की सरकार का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं। लेकिन, बहिन इन्दिरा गान्धी के हम मश्कूर हो सकते हैं कि उन्होंने बैंकों के जरिये हमें पैसा दिया। हम उनको हरियाणा में लट्टू दिखाने के लिये नहीं लाये थे। हम इसलिये लाये थे कि हम उन्हें यह दिखा सकें कि हमने कितना काम कर दिया है। जैसे अब हमें पैसा दिया है आगे भी दे दें। हमें हिन्दुस्तान को सरकार का मशकूर होना चाहिये और खासकर हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री बहिन इन्दिरा गांधी का।

ऐग्रिकल्चर री-फाइनैंस कार्पोरेशन ने 54 लाख 57 हजार रुपया कर्ज

दिया। लाइफ इन्सोरैन्स कार्पोरेशन से दो करोड़ और पचास लाख रुपया लिया है, ऐग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन से दो करोड़ और पचास लाख रुपया लिया है, ऐग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन से एक करोड़ बीस लाख और मीडियम टमर्ज लोन फरोम बैंक एक करोड़ अस्सी लाख रुपये लिया गया। अब मुझको मालूम नहीं कि फाइनेंस एन्ड एकाउन्टस के मैम्बर का इस विषय में कर्जा लाने में कितना हाथ है। परन्तु साहनी साहब के बारे में मैं जानता हूँ कि उनका बैंकों से काफी ताल्लुक है उनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। मैं उन सबका बड़ा मशकूर हूँ। इसी प्रकार से कनज्यूमर कन्ट्रीब्यूशन फार सर्विस लाइन्ज 27 हजार रुपये, स्पैशल आइटम टू बी स्पैसीफाईड 19 लाख, 98 हजार रुपये और सबवैन्शन फरोम गवर्नमेंट जीरो रुपये दिखाया गया है।

किसाऊ डैम, जिसके बारे में बड़े भारी गीत यहां गाये जाते हैं, उसके विषय में भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, इस खाते को देखने से बिल्कुल साफ है कि हमारी सरकार और बोर्ड को विधान सभा ने इस बात की इज़ाजत दी कि पचास करोड़ रुपये पर अंगूठा लगा कर कर्जा ले आओ। वह कर्जा इस प्रदेश की तरक्की के लिये लाये। सरकार ने इस पैसे की इजाजत दी और बोर्ड वालों ने इसका खर्च करने की स्कीमें बनायी। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें पैसा दिया उनका भी शुक्रिया करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदया, अभी कुछ बातें कही गयीं, जिनका बहस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन बातों का जवाब देने के लिये मुझे फिर उठना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा उठने की तकलीफ न करुं। कुछ दोस्तों की सलाह भी, जो मुझे दी गई है, सही ही मालूम देती है। मुझे पता नहीं कि ये कहां-कहां से कागज निकाल कर ले आते हैं। अगर, ये कागज पर लिखी लिखाई का मतलब न समझें, उसको ठीक तरह से पढ़ें नहीं और उसका लत मतलब निकाल लें तो उसमें मेरा कसूर नहीं। किसाऊ डैम बनाना है, जिससे बिजली पैदा होगी परन्तु यहां चर्चा किसी और चीज की कर दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, पंडित रामधारी गौड़ ने इस बात को है या नहीं। परन्तु, मुझे मालूम

है कि जमुना पर जहां ताजेवाला है, जहां रेगुलेटर बना है, जहां से ईस्ट जमुना कैनाल यू.पी. को जाती है और वैस्ट्रन जमुना हमारे यहां को आती है, वहां से ऊपर दरिया पर बहुत सारी बिजली यू.पी.सरकार ने पैदा करनी आरम्भ कर दी है। क्या इस सरकार ने इसकी कभी जानकारी की है? क्या उनको कोई चिट्ठी लिखी गयी है या हिन्दुस्तान की सरकार को लिखी है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है? और हमें वह मिलना चाहिये? उपाध्यक्ष महोदया, जिन्होंने झंडी लगा ली, जिन्होंने जय के नारे लगवाने शुरू कर दिये उनको गालियां तो मिलेंगी ही। झण्डी तो बंसी लाल जी ने लगायी है और गालियां किसी औरकिसी को कैसे मिलेंगी? जब वक्त आयेगा तो गाली इनको ही मिलेंगी। उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर सत्य को असत्य कहा जाये तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है। मेरे विषय में यहां कहा गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसका जवाब अभी दे दूं। अगर जवाब नहीं दिया गया तो लोग यह समझेंगे और यह परिपाटी भी है कि किसी पर अगर इलजाम लगाया जाये और उसका जवाब न दिया जाये।ैपसमदबम पे ेंसि बवदेमदज मानी जाती है। ऐसी बातों के विषय में मैंने कभी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं दी, क्योंकि सत्य के नजदीक कोई बोले तो जवाब भी दिया जाये और अगर कागजों के लफ़्ज़ी मायने निकाले बिना कोई बात कहीं जाये तो उसका क्या जवाब दिया जाये? उपाध्यक्ष महोदया, जमुना से अब जितनी बिजली पैदा होने लगी है यानी ताजेवाला से ऊपर उस जगह पर जहां नदी टांक यमुना से मिलती है उससे नीचे, उस जगह को मंत्री महोदय देखने गये हैं या नहीं? लेकिन, मैं देखकर आया हूँ। वहां जा कर ये देखें क्योंकि बिजली पानी में हमारा हिस्सा है। शायद कुछ हल्ला-गुल्ला करने से या कुछ पैसा देने से हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाये। वे किसी डैम का जिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी बात है वह बने और प्रदेश की तरक्की हो। पानी के बटवारे के लिये तो हम झगड़ा करते हैं लेकिन हम यहां पर ईंट पत्थर लगाने की फिक्र नहीं करते, वह कोई समझदारी की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, फिर यहां कहा गया है कि इन्डस-वाटर ट्रीटी से, जिससे कि बिजली पैदा होगी, 15 मिलियन एकड़

फीट पानी मिलना था। राजस्थान कहीं भी उसके नज़दीक नहीं आता। 8 मिनियन एकड़ फीट में से कुछ पानी तेा राजस्थान को हिन्द की सरकार ने दे दिया। बंसी लाल जी उसमें लड़ाई लड़ नहीं सके। (विघ्न)। आप मुझको जो मर्जी चाहें, कह सकते हो क्योंकि ताकत के हाथ में रहते हुए ही आदमी को अख्तियार होता है। लेकिन, जो काम हमने किया, उसको तो अच्छा मान लें। अब जो प्रदेश के अन्दर तरक्की हुई है, उसकी मुझे खुशी है।

Deputy Speaker : I would request you, Chaudhri Sahib, to be brief. You have already taken more than half-an-hour.

चौधरी रणबीर सिंह : मैडम, मैं तो खत्म ही कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि जो काम अधूरे थे वे आज बंसी लाल जी की सरकार के दोस्तों के वक्त में, पूरे हो रहे हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि जो काम हम नहीं कर सके, वे हमारी आज की सरकार कर रही है। उसके लिये यह सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं उनका इसके लिये शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे वे जो चाहें कह लें, उनको छूट है। आने वाले इलैक्शन के समय पर सब पता लग जायेगा कि ये मेरे ऊपर कितने सच्चे झूठे इल्जाम लगाते हैं। (व्यवधान) अगल इलैक्शन में लोग इनको देख लेंगे। मैं न पहले कभी घबराया हूँ और न अब घबराता हूँ। जो मर्जी आए कहे जायें उनकीं मुझे कोई फिक्र नहीं है।

योजना आयोग में विशेष सेल का गठन*

{पंजाब व हरियाणा विधान सभाओं में अपनी पारी पूरी करके चोधरी रणबीर सिंह वर्ष 1972 में राज्य सभा के सदस्य बने और सदन में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता रहे। 12 मई, 1972 को सदन में उन्होंने योजन आयोग में विशेष सैल के गठन पर बहस में भाग लेते हुए विभिन्न प्रान्तों में विकास से जुड़े सवालो पर बात रखी और उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखने का महत्व बताया। -सम्पादक ।}

————————

पसभापति जी, सरदार अमज़दअली जी ने जो पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के रखने के पीछे उनकी भावना का मैं समर्थन करता हूँ।

पश्चिमी बंगाल की समस्या सारे प्रदेशों के मुकाबले में कुछ ज्यादा पेचीदा व निराली समस्या है। जितने हमारे प्रदेश हैं, उनमें से किसी प्रदेश के अन्दर इतनी शहरी आबादी नहीं है, जितनी कि पश्चिमी बंगाल में है। आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं हैं। लेकिन, मेरा ख्याल है कि 40 फीसदी से ज्यादा आबादी वहां शहरों के अन्दर रहती है। उसका नतीजा यह है कि देहात को बिजली देने में तकरीबन तमाम प्रदेशों से पश्चिमी बंगाल पिछड़ा हुआ है। वहां के देहात पिछड़े हुये रह गये हैं; वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। इसी तरह से जहां तक पढ़े लिखे बेकारों का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि सारे प्रदेशों से पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग बेकार होंगे। यही नहीं, जहां तक

** Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 12th May. 1972, Page 131-138*

राजनैतिक हालत का सम्बन्ध है, मेरे से पूर्व वक्ता डा. भाई महावीर ने इसका जिक्र किया और मिलीजुली सरकारों के चलने से जो स्थिति हुई, वह बताई। यह सन् 1967 ई. के चुनाव के बाद की स्थिति का नतीजा है कि पश्चिमी बंगाल की आर्थिक और राजनैतिक दशा हम देख रहे हैं। उनसे पहले जो पूर्व वक्ता डा. सान्याल बोले थे, उनकी राजनैतिक पार्टी का इसके अन्दर सबसे ज्यादा हिस्सा था। वह पश्चिमी बंगाल, जिसके अन्दर हजारों कारखाने चलते थे और जहां लाखों मजदूर काम करते थे, वहां इनकी राजनैतिक पार्टी के काम करने के तरीकों की वजह से कारखानों को ताले लगे और वहां के लोगों को जितना भी धन्धा मिलता था, वह धन्धा मिलना बन्द हुआ। आज वह फिर कहते हैं कि हम वही आगे करेंगे। लेकिन, बंगाल के लोग अब दोबारा उनको कभी आजमाने के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्होंने आजमा कर देख लिया कि पश्चिमी बंगाल को कहां ढकेल दिया था और मिलीजुली सरकारों ने उनको किस अवस्था में ले जाकर छोड़ दिया था। यह वहां के लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। राजनैतिक वातावरण के अन्दर, वहां काम करने वालों में जितना वैमनस्य उन्होंने पैदा किया, वह भी वहां के लोगों ने देखा।

उपसभापति जी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कारखानेदारों के हितों की रक्षा के बारे में कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कारखानों को सरकारी बनाना है तो पहले पश्चिमी बंगाल से ही तजुर्बा किया जाये और तमाम कारखानों को वहां पर सरकारी बना दिया जाये, ताकि लोगों में कुछ आस्था आये और वहां काम फिर पूरे जोरों से चले। लेकिन, ये कारखाने चाहे सरकारी रहें या गैर-सरकारी रहें, पब्लिक सैक्टर में रहें या प्राइवेट सेक्टर में हों, कामकाज करने वालों और कारखानों का जो भाई इंतजाम करते हैं, उनमें सहयोग होना बहुत जरुरी है। बंगाल के अन्दर प्राइवेट सेक्टर के कारखाने ही नाकामयाब नहीं हुये, बल्कि जो हमारा बहुत बड़ा स्टील का प्रोजेक्ट दुर्गापुर है, वह भी बन्द रहा। वहां भी काम बन्द रहा, क्योंकि, वहां जैसा माहौल था, जैसा राजनैतिक वायुमंडल था, उसका असर पब्लिक सेक्टर पर भी पड़े बगैर नहीं रह सकता था। इस सारे की जिम्मेदारी सी.पी.एम. और जो भाई उनसे मिलकर चलते हैं, उनके ऊपर हैं।

उपसभापति जी, वहां क्या हालत बनी? जो हमारे प्रदेश हैं, जिन्होंने रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, उसके आंकड़े आप देखें तो 31.3.1972 तक 33 करोड़ 75 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट बंगाल की सरकार ने लिया, ताकि वह अपना कामकाज चालू रख सके। वैसे कई और प्रदेश भी हैं जहां की सरकारों ने ओवरड्राफ्ट लिया। उसमें श्रीमान, आपका भी प्रदेश शामिल है, आन्ध्र प्रदेश। आन्ध्र प्रदेश के अंदर 72 करोड़ 72 लाख रुपया 31.3.1972 तक रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया। उसी तरह से मेरा प्रदेश भी शामिल है हरियाणा। हरियाणा ने भी 30 करोड़ 30 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया। सभापति जी, अब रिजर्व बैंक और फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) की तरफ से हिदायत हुई है कि प्रदेशों को जितनी केन्द्रीय सहायता मिलेगी, वह सदायता उस ओवरड्राफ्ट से पहले काट ली जायेगी। न बंगाल को कोई कौड़ी मिल सकेगी, न आन्ध्र प्रदेश को कोई कोड़ी मिल सकेगी और न ही हरियाणा को मिल सकेगी।

मैं प्लानिंग मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह इसकी गम्भीरता की तरफ वित्त मंत्रालय का ध्यान दिलाएं। बंगाल में पिछले साल आपने देखा, जहां कुछ राजनैतिक कारण थे और उनमें एक कारण यह भी था कि पड़ौसी देश में एक गड़बड़ हुई और नतीजे के तौर पर उनको ओवरड्राफ्ट ज्यादा लेना ही पड़ा, क्योंकि, वहां की आमदनी घटी होगी। उसी तरह से हरियाणा प्रदेश की हालत थी। हरियाणा प्रदेश जो छोटी बचत के तहत 27 और 28 करोड़ इकट्ठा कर सकता था, लड़ाई के कारण से वहां वह पैसा इकट्ठा नहीं कर सका। 16-17 करोड़ रुपया जो हम पिछले साल के प्लान में छोटी बचतों से हासिल करना चाहते थे, वह हमनहीं ले सके, चूंकि एक तरफ हमको लड़ना था और लड़ाई में हरियाणा सबसे आगे था और कुर्बानी देने में भी सबसे आगे रहा। उसी तरह से मैं मानता हूँ बंगाल हमेशा आगे रहा। बंगाल के बुजुर्गों ने हिन्दुस्तान की अगुवाई की, हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में हमेशा अगुवाई की और आज भी करेंगे। सी.पी.(एम) को मुंहतोड़ जवाब देने में बंगाल ने अगुवाई की है। जहां प्रजातंत्र आधार हो, जहां उस पर लोगों की आस्था हो, वहां सी.पी.एम. के लिए कहां स्थान है?

महोदय, आप कानून और व्यवस्था को शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ। सी.पी.एम. वाले जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि वे हिन्दुस्तान के संविधान के खिलाफ बोल रहे थे, न कि हिन्दुस्तान के संविधान के मुताबिक बोल रहे थे। हम सबने यहां कसम ली है, शपथ ली है कि हम हिन्दुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं कहेंगे। मुझको तो ऐसा लगता है कि हमारे इस सदन को वे फोरम बनाना चाहते हैं, यह कहने के लिए कि हिन्दुस्तान से बंगाल का रिश्ता तोड़ा जाए। इस बात की कहां तक इस सदन के अंदर इजाज़त देनी चाहिए, इसके ऊपर भी गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

बंगाल की समस्या को मैं मानता हूँ। बहुत दूर, हजार डेढ़ हजार मील दूर बंगाल में रहने वालों के साथ हमारी हमदर्दी है और मुझे मालूम है कि बंगाल को पैसे की सख्त जरूरत है। हमारे योजना आयोग को ज्यादा से ज्यादा बंगाल के लिए पैसा निकालना चाहिए और इसलिए, भी निकालना चाहिए कि हिन्दुस्तान एक इकट्ठा देश रहे और शक्तिशाली रहे। उसके लिए हम 1,000 करोड़ रुपए फौज़ के ऊपर ख़र्च करते हैं। हमारे सान्याल जैसे साथी, उनकी पार्टी अगर बंगाल के अन्दर वैसा ही बावेला करती है, जैसे बंग्लादेश में जुल्म हुए थे। वहां पर तो जुल्म हुए थे; क्योंकि वह लाजमी था। लेकिन, यहां पर कोई जुल्म नहीं है। ये लोग जुल्म खुद ही करते हैं और दोष हमारे ऊपर डालते हैं। ऐसे लोगों के इन्तजाम के लिए यह जरूरी है कि बंगाल की तरक्की के लिए ज्याद से ज्यादा रुपया लगाया जाये, ताकि वहां के लोगों की जो भावनाएं हैं, जो चुनाव ने साबित कर दी हैं, वह हमारे साथ बनी रहें।

बंगाल ने हमेशा देश की अगुवाई की है और आगे भी अगुवाई करेगा। हमारे जो दोस्त हैं वे उनके बहकावे में न आयें; क्योंकि जो बेकार व्यक्ति होते हैं, वह इस तरह के लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वहां पर शिक्षित बेरोजगार बहुत हैं और एक अनपढ़ बेकार के मुकाबले में पढ़ा लिखा बेकार जो है, वह देश के लिए घातक साबित हो सकता है। वहां

पर इतने ज्यादा पढ़े लिखे बेकार हैं, तो वे कभी भी उनके हाथों में खेल सकते हैं। उन लोगों को इस तरह का कोइ भी मौका नहीं देना चाहिये ताकि उनका जो स्वप्न है, वह किसी तरह से पूरा न हो सके और देश के अन्दर किसी तरह की कोई समस्या न खड़ी हो सके। इसके लिए जरूरी है कि योजना आयोग को बंगाल की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ, मैं यह भी योजना आयोग से निवेदन करूंगा और मंत्री जी से कहूँगा कि जिन प्रदेशों ने तरक्की के लिए इरादा किया है और तीन साल के अन्दर तरक्की करके दिखला दी है, उन्हें हर तरह की सहायता दी जानी चाहिये। अभी हमारे भाई डा. महावीर जी कह रहे थे कि ताईवान जाकर देखिये। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली से केवल चार मील की दूरी पर ही जाइये और फिर आपको ताईवान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पर हरियाणा जाइये, जहां पर आज सारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वहां पर आप हर जगह पर पानी का इन्तजाम देखेंगे। जहां पर पहले पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, वहां एक साल के अन्दर एक छोटे से प्रदेश ने प्रदेश के अन्दर पानी का प्रबन्ध कर दिया है। आप वहां पर बिजली का सब जगह प्रसार देखेंगे और आप देखेंगे कि आज हर गाँव में बिजली पहुंच गई है।

जहां तक उद्योगों का सवाल है, हमारे प्रदेश के बुजुर्ग जनरल साहब बैठे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी हमेशा इस बात की शिकायत किया करते थे कि अगर हरियाणा एक अलग प्रदेश बन गया तो वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। हमने हरियाणा की तरक्की के लिए अगर कर्ज लिया, मिन्नते की, या ओवरड्राफ्ट लिया, तो वह केवल प्रदेश की तरक्की के लिए ही किया और जिस पंजाब में हमारा हरियाणा का क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता था, आज उसने पंजाब को भी मात दे दी है।

1966 में जो पंजाब प्रदेश था, जिसके हिस्सेदार हम भी थे, और जब हम अलग हुए तो उस समय पंजाब प्रदेश के ऊपर हिन्दुस्तान का सबसेप्रदेशों के

मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्जा था। पैसे के बगैर कोई प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। हां, यह बात जरूरी है कि जितना पैसा हमने कर्ज़ के रूप में लिया उसको हमने तरक्की पर लगाया। भाखड़ा डैम बना तो दिल्ली को सस्ती बिजली मिली और आज दिल्ली बिजली के लिए पैसा नहीं देना चाहता है और उसकी बिजली से अपना काम चलाना चाहता है। आज पंजाब का पैसा बिजली का है वह दिल्ली वाले नहीं देते हैं और उसकी वकालत हिन्दुस्तान की सरकार के मंत्री करते रहते हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है।

उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं दो, तीन बात कह कर समाप्त कर दूँगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे आपका प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, कोई भी प्रदेश हो, जहां ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो गया है तो उसके कई कारण हैं। एक तो लड़ाई की वजह से इस तरह की बात हुई, कई तरह की मुश्किलात उनके सामने आई जिसकी वजह से उन्हें ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। अब अगर रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय अपना कुल्हाड़ा उन प्रदेशों के ऊपर चलाना चाहता है, तो वहां के प्रदेशों की तरक्की नहीं हो सकेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कटौती का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये और पूरी इमदाद मिलनी चाहिये। उनको रियायत मिलनी चाहिए।

तीन-चार साल पहले हमारे प्रदेश में पम्पिंग सेटों की तादाद सिर्फ 29 हजार थी, 1971-72 में वह 1,01,500 थी। यह बंगाल में भी हो सकता है, अगर बंगाल को पैसा दिया जाये। 125 गाँवों में पीने के पानी की योजना को चालू किया, यह वहां पर भी हो सकता है। इसी तरह से देहातों में सड़क पहुंचाने के लिए 1971-72 में 3,292 किलोमीटर सड़क बनी। इसी तरह से बंगाल में भी बन सकती है। उपसभापति जी, हमको पैसा मिला, कर्ज उठाया, ओवरड्राफ्ट से या दूसरे तरीकों से। वह खाली नहीं गया। गेहूँ हम देते हैं। उसका पिछले तीन वर्षों का फर्क देखें तो उसकी कीमत से ही पता लग जायेगा। उपसभापति जी, आजकल कृषि मंत्रालय पर और खेती में काम करने वाले लोगों के ऊपर काफी टीका-टिप्पणी होती है। इस देश के अन्दर

530 करोड़ रुपए का अनाज बाहर से आता था। इम्पोर्ट होता था। वह इम्पोर्ट आगे नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए,, हम अमरीका को आंख दिखा सकें। न कृषि मंत्रालय की तरफ कोई ख्याल करता है, न हरियाणा की तरफ करता है, न पंजाब की तरफ करता है, जिन लोगों ने हमारे देश को इस लायक बनाया।

कई दोस्त समझते हैं कि यहां जो लड़कर आए हैं उन्हीं को अधिकार है और जो प्रदेशों में 1972 में चुनाव लड़कर आए हैं वे लोगों के नुमाइन्दे नहीं हैं। उनको मालूम नहीं है कि पेरीनियल (Pereneal) इरीगेशन की परिभाषा के मुख्तलिफ स्टेटों में क्या है (Time bell rings) मैं आपको दुबारा घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तरक्की हरियाणा प्रदेश में हुई उससे ज्यादा तरक्की बंगाल के भाई कर सकते हैं, चूंकि वे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे कहां से आए, यह भी एक बड़ा अजीब प्रश्न है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): घंटी फिर बजने वाली है।

श्री रणबीर सिंह : एक ही मिनट लूंगा, आपके कमीशन से बहुत वास्ता है। इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीती) के नाम से इस देश की तरक्की को रोका गया। नोट छापने का कारखाना इनके पास है। भाखड़ा डेम के लिए 175 करोड़ रुपये लगे और हम 300 करोड़ रुपये का अनाज पैदा करते हैं। भाखड़ा के नाम पर नोट छाप दें तो उसमें कौन सी घाटे की बात हुई ? इसी तरह से, बंगाल की तरक्की के लिए, बंगाल के नाम से नोट छाप दें। यह ठीक है कि तनखादारों को घाटा होगा। इन्फ्लेशन का नाम लेकर इस देश को तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकते हैं। इनफ्लेशन में तरक्की हुआ करती है। डिंफ्लेशन से तरक्की नहीं होती। तरक्की रुक जाती है। हां, एक बात जरूर है कि तनखादारों को इनफ्लेशन (मुद्रास्फीती) में घाटा होता है और डिंफ्लेशन में फायदा होता है (Time bell rings), इसलिए, बंगाल प्रदेश की तरक्की के लिए नोट ज्यादा छाप दें और इनफ्लेशन से न डरें तो मैं समझता हूँ कि इससे देश का भला होगा।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1968*

{11 अगस्त, 1972 को राज्य सभा में दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक-1968 पर बीस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने दूसरे अनेक महत्वपूर्ण मसलों के अलावा पुरानी दिल्ली को हरयाणा की राजधानी बनाने का सुझाव रखा जिससे वहां की अनेक समस्याओं का हल भी होगा। -सम्पादक ।}

————————

सभाध्यक्ष जी, डा. भाई महावीर जी का इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन में तब्दीली लाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उससे हमें भी एक मौका मिला। उन्होंने इस सदन को एक मौका दिया और इस देश को दिल्ली के इतिहास को जानने का और दिल्ली के इतिहास को सदन के सामने रखने का हमको अवसर मिला। दिल्ली के आसपास के जो भाई हैं वे दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी बातों को सदन में रखने का भी हमको मौका मिला है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन, उनके विधेयक का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। उसका कारण भी वही है। उपसभापति जी, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान को आजादी की सबसे पहली लड़ाई 1857 में दिल्ली के आसपास ही शुरू हुई थी। उस समय की दिल्ली एक बहुत बड़ा प्रदेश था, जिसमें वेस्टर्न यू.पी., हरियाणा और दिल्ली प्रदेश और कुछ राजस्थान का इलाका, यह सब मिलकर एक प्रदेश होता था। यहां अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ जब बड़ी जोर से आवाज उठी, हिंसा के साथ भी।

** Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 11th August. 1972, Page 196-205*

फौजों में यहां आसपास के रहने वाले भाई, चाहे वे हिन्दू थे या मुसलमान, या किसी भी जाति के थे, उन सबने मिलकर, फौजों के साथ मिलकर, अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत की। मेरठ से वह लड़ाई शुरू हुई और फिर सारे देश में फैली। उसके बाद, जब अंग्रेजों का राज्य दिल्ली पर फिर से कायम हुआ तो दिल्ली के आसपास के लोगों को सजा देने के लिए हिन्दुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश की। वह मेरठ, जो कभी दिल्ली स्टेट का हिस्सा था, उसको इलाहाबाद और लखनऊ के साथ जोड़ दिया गया, जिसको आज हरियाणा कहते हैं, उसकी बन्नू और कोहाट तक का जो इलाका था पंजाब का, उसके साथ जोड़ दिया गया, लाहौर के साथ हमको जोड़ दिया गया। उधर से कुछ रियासतें पैदा कर दी गई। कुछ महाराजा पटियाला को इलाका दे दिया गया। कुछ महाराजा जींद को दिया गया और कुछ दूसरे महाराजाओं को दे दिया गया। उपसभापति जी, यही नहीं, उसके बाद 1914 ई. तक दिल्ली जिला जो था उस जिले के अन्दर हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। वहां तक भी बात कायम नहीं रखी गई और बिल्कुल अलहदा करके एक दिल्ली का प्रदेश बनाया गया।

उपसभाध्यक्ष जी, मुझको आज से 25 साल पहले की बात याद है जब कांस्टीटएंट असेम्बली में इस बात के बारे में सोच-विचार हो रहा था कि आजाद हिन्दुस्तान का क्या नक्शा बनाया जाये ? उस वक्त मैंने भी एक सुझाव दिया था। आप जानते हैं कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो पंजाब भी बंटा था और बंगाल भी बंटा था। पंजाब के पास कोई कैपिटल, कोई दारूल खिलाफ नहीं थीं, कोई राजधानी नहीं थी। उनको राजधानी बनाना था, उस वक्त मैंने यह सुझाव दिया था कि नयी दिल्ली को छोड़ कर, पुरानी दिल्ली और पुरानी दिल्ली के जो देहात हैं उनको पंजाब के साथ मिला दिया जाए और दिल्ली को पंजाब की राजधानी बना दिया जाये।

आज 25 साल के बाद, कुछ नक्शा बदला है। अंग्रेजी-राज में जो इलाका पटियाला के अन्दर शामिल था, जींद रियासत के अन्दर शामिल था या किसी दूसरी रियासत के अन्दर शामिल था, उसमें से कुछ रियासतों का

इलाका तो राजस्थान का हिस्सा बना। उनमें से बहुत सी रियासतों के और कुछ इलाके जो हैं वह इकट्ठा हुये। पहले पेप्सू बना, पटियाला और जो दूसरी आठ रियासतें थीं, उनको मिला करके एक सूबा बनाया गया। उसके बाद पंजाब और पेप्सू को इकट्ठा किया गया।

1966 में पंजाब के दो हिस्से किये गये जिससे हरियाणा का जन्म हुआ। आज भी हरियाणा के पास कोई राजधानी नहीं है। पुरानी दिल्ली हरियाणा की एक बहुत अच्छी राजधानी बन सकती है और दिल्ली की जो समस्या डा. भाई महावीर ने रखी, उन सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। उसके बाद जो सजा हमें अंग्रेजों ने दी थी, वह उलट सकती है। आज हम पच्चीस साला रजत जयन्ती मनाने जा रहे हैं। मंत्री महोदय, इस रजत जयन्ती के अवसर पर हमारे ऊपर कृपा करें और अंग्रेजों ने हमको जो सजा दी थी, उस सजा को उलटने का फैसला करें।

मैं समझता हूँ कि इसमें समय लगेगा। उत्तर प्रदेश से भी बातचीत करनी होगी। वह बहुत बड़ा सूबा है। वह इतना बड़ा सूबा है कि उसको एक सूबा रखना कोई बहुत ज्यादा समझ की बात नहीं है। बहुत सारे वहां के भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वह हाथ हिला रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम पंजाब के अन्दर इस बात की आवाज उठाते थे तो पंजाब के भाई भी हमारे खिलाफ हाथ हिलाया करते थे। उपसभापति जी, मुझे याद है कि आज कांग्रेस (ओ) के नेता महावीर त्यागी जी कभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदस्य होते थे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के ओहदेदार भी होते थे। कोई 1927 या 1928 ई. का जिक्र है जिस वक्त आसफअली जी ने एक आवाज उठाई थी। श्री देशबन्धु गुप्ता, आसफअली जी और महावीर त्यागी जी, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन सबने मिलकर और हरियाणा के नेताओं ने एक आवाज उठाई थी और उस वक्त कहा था कि दिल्ली एक अलहदा प्रदेश बनना चाहिये।

मुझे आज मौका मिला है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम शुक्रिया अदा करें जिनका हमें इसके लिये आशीर्वाद मिला। जिस वक्त हिन्दुस्तान के

अन्दर कोई और सूबे की बात नहीं थी, अब पहली राउंड टेबिल कान्फरेंस हो रही थी, उस वक्त एक समस्या आई थी। एक सुझाव आया था कि क्या यह नया राज्य बने। लेकिन, आप जानते हैं कि जिन भाईयों से हम अलहदा हुये हैं वह बहुत होशियार थे। बहुत ज्यादा पढ़लिखे थे। धर्म के नाम पर, कोई सिक्खों के नाम पर, कोई हिन्दुओं के नाम पर हमको अलहदा नहीं होने दिया गया। उस वक्त हम मान गये, यह समझ कर कि हम पंजाब के अन्दर ही रहें तो इससे ही शायद वह सूबा सेक्युलर बना रहेगा तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ तो न्याय हो गया। लेकिन, दिल्ली प्रदेश के लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, हम देखते हैं आज कितने लोग मकान बना रहे हैं, जहां पहले चारों तरफ देहात थे। आज से 25 साल पहले-महावीर त्यागी जी शहादत देंगे-जिस वक्त वे उधर देहरादून की तरफ से जाते थे या इधर से जाते थे, देखते थे कितनी अच्छी खेती होती थी। आज वहां पर बड़े विशाल भवन हैं और वे भाई जो कभी जमीन के मालिक होते थे उनका पता नहीं कहां दर-दर मारे फिरते हैं। किसी को जमीन के बदले जमीन नहीं मिली। अगर पेशा छीना जाए, तो पेशे के बदले पेशा मिले। उनका पेशा छीना गया, उनका कारोबार छीना गया। यह तब हुआ, जब देश आजाद हुआ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि इस दिल्ली के अंदर बहुतों ने राज किया। लेकिन, पुरानी दिल्ली के रहने वालों और दिल्ली के आसपास रहने वालों की सभ्यता को कोई बदल नहीं सका। चाहे कितना ही कोई शक्तिशाली राजा आया, उनके रहन-सहन में तब्दीली नहीं कर सका। वह एक तरह से अपना स्वराज्य अलग बनाए हुए, अपने ढंग से चलता आया। जबसे हम आजाद हुए हैं, उन भाईयों को, जिनको हम उजाड़ते हैं, जिनके खातिर दिल्ली की तरक्की होना लाजिमी है, जिनके देश की यह राजधानी है, उनके लिए भी हमें कुछ करना है। जो भाई और जहां से यहां आएंगे, उनके लिए मकान भी बनाना जरूरी है, जमीन लेना भी जरूरी है। इसको अगर एक बड़ा प्रदेश बना दिया जाए और महावीर त्यागी जी के पहाड़ तक हमको पहुंचा दिया जाए तो जिन भाईयों को यहां से उठाने की आवश्यकता हो उनको तराई

में बिठाया जा सकता है....

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : हम कहते हैं कि दिल्ली प्रदेश बना दिया जाए हरियाणा और यू.पी. का हिस्सा मिला कर।

श्री रणबीर सिंह : महोदय, हमें इस बात पर भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है कि उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया जाए। लेकिन, एक प्रदेश बन जाए। चाहे दिल्ली नाम रख दिया जाए, हरियाणा रखा जाए या उत्तर प्रदेश। महावीर त्यागी जी को याद है मैं और ये कांस्टिट्यूएन्ट असेम्बली में इकट्ठा बैठा करते थे.....

श्री महावीर त्यागी : नहीं, दिल्ली नाम नहीं हो। दिल्ली जनाना शब्द है।

श्री रणबीर सिंह : महावीर त्यागी जी और मैं एक बैन्च पर बैठा करते थे, जिस रोज उत्तर प्रदेश का नामकरण संस्कार हुआ, उस समय बहुत जोर से उन्होंने कहा–वे इशारा कर रहे हैं। इसलिए, मैं नहीं बताऊंगा तो मैंने लाबी में बताया था कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों रखा गया ? उन्होंने कुछ बात कहीं। अगर हम वैसा ही रखना चाहते हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, किसी भी नाम से मिले। उपसभाध्यक्ष जी, इस इलाके के साथ न्याय तभी होगा। यह बात सही है कि दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है। मुझे याद है, जब बहुत बड़े–बड़े नेता लोग कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो सारी दुनियां में उसका असर खराब होता है। अगर दूर कहीं लड़ाई हो तो उसका पता नहीं चलता। यह ठीक है कि आज दिल्ली की अहमियत बढ़ी है। इसमें हमें खुशी है। लेकिन, दिल्ली की अहमियत होते हुए दिल्ली का इंतजाम ठीक न हो, उसमें हमें दुख है।

अभी डा. भाई महाबीर ने पानी की समस्या का जिक्र किया। दिल्ली की पानी की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती, जब तक कि महाबीर त्यागी जी साथ न दें। मुझे याद है, जब मैं पंजाब में बिजली पानी का मंत्री था तो उस वक्त किसाऊ डैम बनाने की आवाज बहुत जोर से हमने उठाई थी।

उस समय महाबीर त्यागी कहते थे उनका हल्का है किसाऊ डैम के साथ, उनके लोक सभा के हल्के में पड़ता था। लोग उस समय कहा करते थे, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम लोगों को डुबोना चाहते हो। परन्तु, डुबोने की बात नहीं थी .....

श्री महाबीर त्यागी : यह आप गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे यह कहा था, जिस डैम को आप बना रहे हैं अगर उसकी वजह से मेरी कांस्टीटूयएन्सी की 20 स्क्वायर मील आबादी पानी में डूबेगी तो उसका क्या असर होगा ?

श्री रणबीर सिंह : मैंने यही बात अपने शब्दों में कही। मैं माफी चाहता हूँ अगर त्यागी जी ने महसूस किया। मेरा कहने का मतलब यह था कि त्यागी जी ने उस वक्त मेरी बात को कहा था। होना भी चाहिए। अगर कोई भी सदस्य, जिस इलाके से चुन कर आता है, वह अपने मतदाताओं की फिक्र न करे, जिनका घर उजड़ता हो, उनके बारे में फिक्र करना लाज़मी है। लेकिन, दिल्ली में पानी की, बिजली की व्यवस्था तब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक कि किसाऊ डैम बनाया नहीं जाता, जो जमुना की ट्रिब्युटेरी टौंस के ऊपर बनना है। मुझे याद है आज से 8 साल पहले ...

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् महता) : आप किस साहू जैन का जिक्र कर रहे हैं ?

श्री रणबीर सिंह : यहां पर साहू जैन का जिक्र नहीं है। 1963 की बात है, जब डा. राव की सदारत्त में पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली प्रदेश के ले. गवर्नर और राजस्थान सरकार के नुमायन्दों की एक मीटिंग हुई थी। उस समय यह फैसला हुआ था कि एक साल के अन्दर इस स्कीम की जांच कर ली जायेगी। मैंने उस वक्त पंजाब सरकार की तरफ से कहा कि भाखड़ा डैम का सामान हमारे पास है। हमारे पास नो हाऊ है। हमारे जिम्मे यह काम छोड़ दीजिये और हम इसे छः महीने में पूरा कर देंगे। उत्तर प्रदेश की

सरकार ने विश्वास दिलाया था कि इस स्कीम की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साल के अन्दर आ जायेगी। डा. राव कहा करते थे कि किसाऊ डैम भाखड़ा डैम से ऊंचा होगा और वह पांच साल के अन्दर बन जायेगा। आज लगभग नौ साल हो गये हैं, मगर वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जो चीज़ हरियाणा के हित में है वह चीज दिल्ली के हित में भी है। क्योंकि, ये दोनों पडौसी राज्य हैं।

इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक बहुत छोटा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हम से आठ गुना ज्यादा बड़ा प्रदेश है। लेकिन, आज सरकारी मोटर हरियाणा में ज्यादा चलती हैं। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। हमारे पास तजुर्बा है। इसलिए, दिल्ली को हरियाणा प्रदेश के साथ मिला दिया जाए। यहां पर बसों की जो कमी है वह भी दूर हो जायेगी।

इसके अलावा आप जानते हैं कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को जो भैंसे और गाय जाती हैं वे हरियाणा के रोहतक और जींद जिलों से जाती हैं। दिल्ली तो बहुत नजदीक है और दिल्ली की जो दूध की समस्या है, उसको हल करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां पर भाई महाबीर फिर यह हौसला नहीं कर सकेंगे कि वे यहां पर बोतल में चूहे को लाकर खड़ा कर दें।

डा. भाई महाबीर : आप तो दूध में भैंसा डालेंगे।

श्री रणबीर सिंह : इसलिए, जहां तक दूध की समस्या का ताल्लुक है, अनाज की समस्या का ताल्लुक है, पानी की समस्या का ताल्लुक है, बिजली की समस्या का ताल्लुक है, बसों की समस्या का ताल्लुक है और दूसरी आराम की समस्याओं का ताल्लुक है, वे सब दिल्ली को हरियाणा के साथ मिलाने पर ठीक हो जायेगी।

मैं यह भी मानता हूँ कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हरियाणा के पास होगी, तो फिर कोई भी किसी तरह का बावेला या गड़बड़ नहीं कर सकेगा। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको जल्दी ठीक कर दिया जायेगा। इस तरह का जो नया प्रदेश बनेगा, उससे देश को कोई खतरा नहीं होगा। हिन्दुस्तान की जहां

तक रक्षा का सवाल है, चाहे यह प्रान्त छोटा बने या बड़ा बने, हिन्दुस्तान की जो फौज है, उसके अन्दर सबसे ज्यादा सिपाही और अफसर इसी इलाके से आते हैं। इस देश की रक्षा करते हैं। वह जो नया प्रदेश बनेगा, वह आज तक जिस तरह से हिन्दुस्तान की रक्षा करते आया है, देश का नाम लड़ाई के मैदान में ऊंचा करते आया है, उसी तरह से अमन के समय में भी वह देश का नाम ऊंचा करता रहेगा। जिस तरह की खराबियां आज दिल्ली के अन्दर होती हैं और दूसरे देशों में हमारे देश का जो नाम ऊंचा नहीं होता है, वह समस्या नहीं आएगी।

मैं आपकी मार्फ त अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ जो अन्याय हिन्दुस्तान की पहली आजादी की लड़ाई छेड़ने की वजह से हुआ, देश को आजाद कराने की खातिर जो अंग्रेजों ने हमको सजा दी वह रजत–जयन्ती के वक्त में सरकार बदले। हिन्दुस्तान की सरकार उस फैसले का ऐलान करे, साल के बजाय दो–तीन साल में हो जैसे कि अभी हुआ हमारे लिए फैसला हुआ। फाजिल्का और अबोहर जो हैं वे हरियाणा के साथ मिलेंगे, भले ही वे दो साल के बाद मिलेंगे। उससे हमें शांति होगी और प्रदेश के लोग शान से आगे बढ़ेंगे। डा. महाबीर जैसे दोस्तों की शक्ति भी हमको खराब नहीं कर सकेगी।

श्री ओम् मेहता : और असेम्बली भी मिल जायेगी।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक डा. भाई महाबीर ने पेश किया इसको मैंने पढ़ा, उनका भाषण भी सुना और चौधरी रणबीर सिंह का भाषण भी सुना। दोनों भाषणों को सुनने के बाद मैं बड़े असमंजस में हूँ कि इस विधेयक का समर्थन करूं या विरोध करूं।

डा. जैड.ए. अहमद (उत्तर प्रदेश): यह आप हर सवाल पर कहते हैं।

श्री नवल किशोर : डा. साहब को मेरी सोहबत बहुत दिनों से है। जो हालत उनकी है, उसका कुछ असर मेरे ऊपर पड़ना लाजमी है।

डा. जैड.ए. अहमद : हमारी हालत तो बिलकुल साफ है।

श्री नवल किशोर : इनकी हालत बड़ी खराब है। यह न हिमों में हैं न शिमों में। मैं कह रहा था कि डा. महाबीर ने जो विधेयक पेश किया है उसमें कहीं दिल्ली के स्टेटहुड की बात नहीं है। उनके भाषण का सम्बन्ध इस विधेयक से कम था। वे यह प्रस्ताव करते कि दिल्ली को स्टेटहुड दे दिया जाये तो उनका भाषण उसके ज्यादा नजदीक होता।

चौधरी रणबीर सिंह ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता। उनकी नीयत और ज्यादा खराब है। उन्होंने यह फरमाया कि 1857 में जो दिल्ली प्रदेश था और जिसके यहां की 1857 की भारतीय क्रान्ति के बाद अंग्रेजों ने टुकड़े किए, कुछ पेप्सू को दे दिया, कुछ पटियाला को दे दिया, कुछ पंजाब को दे दिया, कुछ यू.पी. को दे दिया। इस तरह की बातें उन्होंने कहीं और लुबोलुबाब यह था कि हरियाणा की केपीटल दिल्ली को बना दिया जाये। साथ ही उन्होंने छेड़खानी में, मसखरी में, जैसी उनकी आदत है, यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा हमको दे दिया जाये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आपसे मुहब्बत तो बहुत है। लेकिन, आप अपनी बदनिगाह उत्तर प्रदेश पर मत डालो, । हमकोई चीज आपको देने वाले नहीं। उन्होंने एक बात और कही कि पंजाबी भी यह कहते थे। लेकिन, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पंजाब और है और यू.पी. और है। आप कृपा करके जहां हो, वहीं रहो। उन्होंने यह कहा कि दिल्ली केपिटल हो जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर फिर भी नाम तो उसका दिल्ली प्रदेश होगा। हरियाणा तो समाप्त हो जायेाग, हरियाणा नहीं रहने वाला है।

हरयाणा में रेल मार्गों की मांग*

{रेल बजट-1973-74 पर राज्य सभा में 6 मार्च, 1973 को भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने रेल प्रशासन की कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाया तो दूसरे महायुद्ध में उठा दी गई रोहतक-पानीपत रेल लाइन को गोहाना से पानीपत तक बिछाने, तथा रोहतक से भिवानी को रेल से जोडने तथा भिवानी से हिसार को बडी लाइन में बदलने की पुरजोर मांग उठाई। -सम्पादक ।}

————————

उपसभापति महोदया, जिस तरह से पिछले 25 साल में देश के मुख्तलिफ सेक्टरों में तरक्की हुई है, उसी तरह से रेल मंत्रालय में तरक्की हुई है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त हमारे देश की रेलों की हालत बहुत खराब थी। दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने रेलों को बुरी तरह से इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से रेलों की हालत बहुत खराब थी। उस वक्त हमारे देश की रेलों के ऊपर जो रुपया लगा हुआ था, वह तकरीबन 600 करोड़ रुपये था। उस वक्त रेल के इंजनों को बदलना था। रेल के वैगनों को बदलना था, डिब्बों या कम्पार्टमेंट्स (Compartments) को बदलना था, कोचेज (Coaches) को बदलना था और बहुत जगह लाइन जो खराब थी उसको भी बदलना था। देश की तरक्की के साथ उसमें भी तरक्की हुई और हमारा देश आगे बढ़ा। यात्रियों की संख्या बढ़ी, देश की तरक्की के साथ ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत पैदा हुई, हमारा देश आगे बढ़ता गया और रेल मंत्रालय भी इन जरूरतों को पूरा करता गया।

** Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 6 March, 1973, Page* 203-212

उपसभापति महोदया, हमारे देश के अन्दर 1950-51 में जो सर्माया (पंजी) रेलों के ऊपर लगा हुआ था, वह 834 करोड़ रुपये के लगभग था। बीस साल के बाद 1971-72 में 3,523 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह से जहां तक रेल की आमदनी का ताल्लुक है ग्रास अर्निंग्स जो हैं वे 262 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1,101 करोड़ रुपये हो गई। देश की जनता की मांगों को जहां तक इसने पूरा किया। उसके साथ-साथ हमारे देश के अन्दर कुछ समस्याएं उभरी और उन समस्याओं का भी मुकाबला किया।

यह आप जानते हैं कि देश की तरक्की के साथ-साथ देश में रेलों का जाल बिछाना भी आवश्यक है। लेकिन, यह खाली रेल मंत्रालय के वश की बात नहीं थी। रेलों को बिछाने के लिए, रेलों का माइलेज बढ़ाने के लिए, स्टील मंत्रालय की सहायता जरुरी थी। उनके लिए रेलों की आवश्यकता थी और उनको बाहर से मंगाना आसान नहीं था। देश की शक्ति बढ़ी। लेकिन, इस साल भी रेल मंत्रालय को जितनी रेलों की मांग है स्टील मंत्रालय उतनी दे नहीं सका। शक्ति तो है। लेकिन, यह बात माननी होगी कि जहां हमारे देश में सड़कों के क्षेत्र में पता नहीं कितनी माइलज में तरक्की हुई, उसके मुकाबले में रेलों के माइलेज में देश की तरक्की की जरूरत के मुताबिक तरक्की नहीं हो सकी। इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए।

आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सबसे पहली दफा देश की आजादी के बाद जब कुछ लोगों ने समझ लिया था कि देश की आजादी के बाद शायद अब रेलों में भी बिना टिकट चलने की आजादी है, उनमें टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है और इसकारण देश में टिकटलैस ट्रैवल में भी तरक्की हुई। उसको रोकने के लिए सबसे आगे हमारा प्रदेश हरियाणा आगे बढ़ा और वहां रेल मंत्रालय की सलाह से इस टिकटलैस ट्रैवल को एक तरह से बिलकुल खत्म किया गया। अब जहां तक हरियाणा का संबंध है, बहुत कम बिना टिकट ट्रैवल करने वाले वहां होंगे।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : हरियाणा में यह अभियान सबसे पहले इसलिए, रखा गया कि सबसे ज्यादा टिकटलैस ट्रैवल वहीं थी।

श्री रणबीर सिंह : उसका झगड़ा तो शायद उत्तर प्रदेश में ज्यादा था। उस वक्त था जबकि श्री मान सिंह वर्मा जी वहां के एक मंत्री थे। वहां उन्होंने कुछ ऐसी फिजां चलायी कि लोगों ने समझा कि अब तो देश में सभी आजाद हैं और आजादी के माने यह हैं कि कोई भी कायदा और कानून न माना जाये।

संसदीय कार्य विभाग तथ निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओउम् मेहता) : मेरठ ज्यादा नजदीक भी है दिल्ली के।

श्री रणबीर सिंह : अभी बलात्कार का जिक्र आया था। वह वाक्या भी मेरठ जिले का ही था। वह भी मान सिंह वर्मा जी के करीब का वाक्या था। इसलिए, कि उनकी वजह से देश में एक गलत फिजां फैली .....

श्री मान सिंह वर्मा : रेल में हुआ यह भी तो कहिये।

श्री रणबीर सिंह : आप छेड़ते क्यों हैं? अगर आप कहते हैं तो जवाब भी सुनिये। जहां तक अनाज की समस्या है, उसको भी हल करने में हमारा प्रदेश आगे रहा है। इसलिए, मैं रेल मंत्रालय से प्रार्थना करुंगा कि वह इस प्रदेश की तरफ कुछ खास ध्यान दें। कुछ लाइनें जो दूसरी लड़ाई के दौरान में उठा दी गयी थी और अंग्रेजों ने यह समझा था कि इन रेलों को देश की गुलामी को मजबूत करने के लिए दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फौज के लिए इस्तेमाल किया जाये। इसलिए, उन्होंने कुछ लाइनें उखाड़ दी थी। अंग्रेज हमको सजा दे कर गये थे। लेकिन, आज देश को आजाद हुए 25 साल हो गये, वह सजा आज भी हमारे लिए कायम है। उपसभाध्यक्षा जी, एक लाइन रोहतक से पानीपत की थी। मैं जब लोक सभा का मेम्बर था, बड़ा शोर करने के बाद, बड़ी मुश्किल से उसको रोहतक से गोहाना तक ले जा सका था। अब दस साल के बाद मैं जब राज्य सभा में आया तो उस समय तक वह एक इंच भी नहीं बढ़ी थी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करुंगा कि जो अधूरा काम वहां बाकी है, उसे पूरा करने की कृपा

करें। उससे रेल मंत्रालय को भी फायदा होगा; क्योंकि उसे आमदनी तो तभी होगी जब रोहतक को पानीपत से जोड़ा जाये और पानीपत चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है।

सारे हरियाणा की तरक्की के लिये और रेल मंत्रालय क्रे लिये जरुरी है कि जो रेलवे लाइन का हिस्सा लड़ाई में उठा दिया गया था और जिसको कि अभी तक दुबारा नहीं बिछाया गया है यानी गोहाना से पानीपत वाला जो हिस्सा है उसको फिर दुबारा बिछाया जाये। इसी तरह से मेरा निवेदन है कि भिवानी अभी जिला बना है। रोहतक से भिवानी मुश्किल से 30 मील है और रोहतक दिल्ली से कोई 44 मील है, मुश्किल से 74 मील का फासला है। आज भी वहां छोटी लाइन से जाना पड़ता है। फासला तय करना पड़ता है कोई 125 मील का। मैं प्रार्थना करुंगा कि रोहतक से भिवानी को जोड़ दिया जाये और उसके साथ-साथ भिवानी से हिसार तक मीटर गेज के बजाय ब्राडगेज लाइन बिछाने का प्रोग्राम हाथ में लें।

मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। जो लोग यह कहते हैं कि रेलों का किराया और भाड़ा ज्यादा कर दिया गया है, यह एक गलत बात है। आज देश के अन्दर कोई भी चीज सस्ती नहीं है। जहां तक किराये का सम्बन्ध है, रेलों से सस्ता किराया और कहीं भी नहीं है। जहां तक भाड़े का सम्बन्ध है, सबसे कम भाड़ा रेलों का ही है और इसके बावजूद भी इस तरह की बात कही जाती है। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि The Hon'ble colleagues should also take note of it that :-

"Over the last 22 years, while the per capita staff cost had gone up by 197 per cent, cost of coal by 145 per cent, diesel oil by 130 epr cent, electricity by 97 per cent, iron and steel manufactures by 263 per cent and cement by 176 per cent, it is significant to note that the average passenger fare and freight rate during this period had increased by 74 per cent and 82 per cent, respectively.

श्री कृष्ण कान्त (हरियाणा) : कुछ और बढ़ना चाहिये।

श्री रणबीर सिंह : श्री कृष्ण कान्त की तरह से मुझे यह बात कहने में झिझक नहीं आती है कि अगर ज्यादा किराया बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाये तो अवश्य बढ़ाया जाना चाहिये। देश के लिए हमको कुर्बानी देनी होगी, आपको भी कुर्बानी देनी होगी और उधर के लोगों को भी कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुर्बानी के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता है। रेलों का किराया कम करके रेल मंत्रालय देश की सेवा नहीं कर सकता है। इस तरह से आप देश को पीछे की ओर ले जायेंगे। देश की सेवा तो तब ही होगी जब रेलवे मंत्रालय द्वारा देश में ज्याद रेल की लाइनें बिछाई जायें और रेलों की तरक्की हो। रेलों की तरक्की तब होगी जब पैसा बढ़ेगा और पैसा तब ही बढ़ेगा जब आप रेलों का ज्यादा किराया देंगे। जब रेलवे की आमदनी ज्यादा होगी तो वह जनता को सुविधा भी ज्यादा दे सकती है। सस्ते नारे से तो देश का काम चल नहीं सकता है। इस तरह की चीप पापुलरिटी से देश का काम नहीं चल सकता है। आज हमें हौंसले से आगे बढ़ना होगा।

मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कृष्ण कान्त जैसे दोस्तों की झिझक के बाद भी रेलों की आमदनी बढ़ाने के लिये किराये और भाड़े में कुछ वृद्धि की। मैंने जो आंकड़े दिये वह इसलिये दिये कि जो प्रचार किया जा रहा है कि रेलवे न बहुत किराया बढ़ा दिया है वह एक गलत बात है। जितनी खर्चा बढ़ा है, उसी के मुताबिक थोड़ी बहुत किराये में वृद्धि की गई है। वह भी मुकाबले में कम है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति का दुरुपयोग*

{राज्य सभा में 30 मार्च, 1973 को चौधरी रणबीर सिंह का भाषण हरियाणा की राजनीति के कुछेक अनजाने पहलुओं को छूता है। -सम्पादक ।}

————————

उपसभापति जी, प्रश्न इस बात का है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन था या राजनैतिक ज्ञापन? मैं आपके द्वारा सदन में निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। 1968 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव हुए और हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में से 34 सदस्यों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, यह लिख कर दिया कि पंडित भगवत दयाल को, जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस पार्टी का नेता अथवा मुख्यमंत्री बनाया जाये। पं. भगवत दयाल के दिल में शायद यह बात थी कि मुझको मुख्यमंत्री बहन श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री, नहीं बनने देना चाहती। यही कारण था कि जब पहला ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में ही दर्ज है–अगर आप उस ज्ञापन को पढ़ें– वह भ्रष्टाचार बंसीलाल के खिलाफ एक बहाना दिखायी देता है। उस ज्ञापन में ही दर्ज है कि हमको प्रधानमंत्री पर कोई ऐतबार नहीं है। पहले ही यह दर्ज है।

उपसभापति जी, आप देखें कि इन्होंने 37 विधायकों का जिक्र किया। वे 37 विधायक कौन थे? उनमें से 17 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के थे, जिन्हें भगवत दयाल भगा कर ले गये थे। उनके दस्तखत थे।

** Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 30 March, 1973, Page* 121-127

श्री महावीर त्यागी : क्या वे नाबालिग थे? क्योंकि नाबालिगों को ही भगाया जाता है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : क्या आपका भी नाम था?

श्री रणबीर सिंह : मेरा नाम नहीं था। श्री भगवत दयाल 1967 के चुनाव से पहले हमारे मुख्यमंत्री थे। ये कांग्रेस पार्टी में थे और मैं भी उनके मंत्रीमंडल में था। मुझको विरोधियों से मिलकर 1967 के चुनाव में हरवाया। वे उस समय कांग्रेस पार्टी में थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के साथ दगा किया। इस नाते उनकी आत्मा मानेगी, रोयेगी कि उन्होंने जो कुछ किया है वह गलत किया है। (व्यवधान) खैर, उन्होंने जो कुछ किया उसका भुगतान अब कौन करेगा? जो गलती उन्होंने की, उसका भुगतान अब उनको ही करना पड़ेगा और पड़ रहा है। लेकिन, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि यह जो ज्ञापन दिया गया है यह केवल एक राजनीतिक ज्ञापन है। इसमें 121 पार्लियामन्ट के मेम्बरों का जिक्र किया गया है। 1971 के चुनाव में हमारी प्रधानमंत्री बहन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विरोधी पार्टियों को एक गहरी चोट दी। उसके बाद ही विरोधी दलों के मैम्बरान सदस्यों ने हस्ताक्षर किये। जनसंघ वालों को दिल्ली में इतनी करारी हार दी कि वे दिल्ली छोड़कर भाग गये, जबकि वे समझते थे कि दिल्ली में उनका राज होने वाला है। इसलिए, यह जो ज्ञापन है वह बिलकुल राजनीतिक ज्ञापन है।

उपसभापति जी, उन्होंने डिफेन्स वालों के एतराज का ज़िक्र किया था। डिफेन्स वालों की जो जमीन है, उसका उन्होंने हवाला दिया और एक कर्नल की चिट्ठी का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने जिस चिट्ठी का हवाला दिया उस समय उस स्थान में गुड़गाँव ग्राम के 400 मकान बन चुके थे। उन्होंने जो हवाला दिया वह ऐम्युनीशन डिपो से 1500 गज के पैरीमीटर का है, व 64 एयर फील्ड काम्पलैक्स के रनवे से 3500 गज़ के पैरीमीटर के अन्दर जमीन लेने का सवाल था। उसके अन्दर एयरफोर्स का मैस भी बना हुआ है। उसके अन्दर गुड़गाँव वालों के 400 मकान बने हुए हैं और 29 मकान और बने हुए हैं। उसके

अन्दर कारखाना बना हुआ है जिसका जिक्र उन्होंने किया। नेशनल हाईवे नम्बर सात है, वह उसी जमीन के बीच से निकलती है जिस जमीन का उन्होंने जिक्र किया है कि इतने गज के अन्दर आती है। मारुति का कारखाना भी वहीं पर बना हुआ है। आप पूछेंगे कि यह चिट्ठी सही है या गलत है। मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ। यह बात तो पंडित जी को मालूम होगी।

पंडित जी ने जमीन के भाव का जिक्र किया और जमीन वालों के साथ व्यवहार का जिक्र किया। जो ये चिट्ठियां आपको भेजते हैं उनके कारनामे क्या हैं? 25 ऐसे एयर फोर्स के अफसर हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों, बीबी, अपने भाई के नाम से जमीन खरीदी है। जमीन खरीदी है किस तरह? उनको डरा कर खरीदी है कि ये एयरफोर्स के इलाके में आती है, यहां कोई मकान नहीं बना सकता। फिर, किस भाव से खरीदी है? एक श्रीमती इन्दरा, जो दुख्तर हैं रघुवीर सिंह की, उन्होंने 25 कनाल 17 मरले जमीन खरीदी 24,500 रुपए में। यह 8 हजार रुपए फी एकड़ से कम बनता है। इसके अलावा एक श्री विद्या सागर हैं, वल्द नानक चन्द, उन्होंने 11 कनाल 15 मरले जमीन एक हजार रुपए में खरीदी है। एक-डेढ़ एकड़ जमीन एक हजार रुपए में खरीदी है। इसी तरह, 25 आदमियों की फे हरिस्त मेरे पास है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने 8 हजार रुपए फी एकड़ से ज्यादा पर जमीन खरीदी हो और यह सारी जमीन उस जगह पर है, जहां मारुति कारखाना बना है, जो 1500 गज और 3500 गज के अन्दर-अन्दर आती है। जिक्र किया गया कि वहां पर पुराना हवाई अड्डा था। वह हवाई अड्डा खत्म हो गया। पंडित जी, वह चिट्ठी क्यों नहीं पहुंची डिप्टी कमिश्नर को? उसनोटिफिकेशन की सूचना डिप्टी कमिश्नर गुड़गाँव के पास पहुंचनी चाहिए थी। वह क्यों नहीं पहुंची? वह इसीलिए, नहीं पहुंची क्योंकि एक साजिश थी, गरीब काश्तकारों की जमीन सस्ते भाव से खरीदने की साजिश थी। हम मशकूर हैं संजय गांधी के कि उन्होंने एक कारखाना लगाया जो हरियाणा की तरक्की करेगा। उन्होंने एक कारखाना लगाया जिसकी वजह से किसानों को 11 हजार रुपया फी एकड़ के हिसाब से जमीन का पैसा मिला, जबकि एक, दो, चार और आठ हजार रुपए

फी एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी जा रही थी। अगर आप चाहें तो मैं इन 25 आदमियों का ब्यौरा दे सकता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस ब्योरे को सदन के पटल पर रख देता हूँ।

एक माननीय सदस्य : सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री रणबीर सिंह : ठीक है, सभापटल पर रख देता हूँ यहां जिक्र किया गया है मारुति वहां डिफेंस के नियम को तोड़ कर बन रही है। वहां 29 मकान बने हुए हैं, 400 मकान गाँव वालों के बने हुए हैं। इसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। जमीन का मुआवजा 11 हजार रुपए फी एकड़ के हिसाब से दिया गया है और कुओं का मुआवजा 1 लाख 41 हजार 624 रुपए दिया गया। इसी तरह से दरख्तों का मुआवजा दिया गया। उस जमीन में से जो जमीन कुओं से विंचित हो सकती थी उसका जो ज्यादा से ज्यादा भाव दिया गया वह 12,535 रुपए फी एकड़ के हिसाब से दिया गया। इसके अलावा वहां पर बिलकुल मारुति के सामने रानी सुमेर पोल्ट्री है उसको जमीन दी गई 8,480 रुपए फी एकड़ के हिसाब से एक्कायर करके, 1971 में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट गुड़गाँव की बनी, जिसका जिक्र किया गया, उसके लिए जमीन एक्कायर की गई 9,360 रुपए फी एकड़ के हिसाब से। गुड़गाँव से एक मील डेढ़-मील के ऊपर जिले के मुकाम पर। पंडित जी ने जिक्र किया कि उसको बड़ा महंगा बेचा जा रहा है। पंडित जी को मालूम नहीं है। मेरी जमीन यहां दिल्ली में ली गई थी

एक माननीय सदस्य : आपकी ?

श्री रणबीर सिंह : मेरे एक अजीज की और मुआवजा मिला, दो रुपया गज। मकान बनाने के लिए 45 रुपया की रियायत के तौर पर जमीन मिली और 45 रु. फी गज का उसका भाव है, डेवलपमेंट चार्जेज लगाकर। मारुति को कोई डेवलप करके नहीं दिया हैं। मारुति की जमीन जिस भाव ली है, उसी भाव दी है। अदालतों में दावे हैं। पंडित जी, आपने जिक्र किया, इनके फैसले होने हैं और दीवानी अदालतों में कितना समय लगता है, आपको

मालूम है। इसी केस में ज्यादा लगा है, इसका हमें इल्म नहीं है।

श्री महावीर त्यागी : आपने कहा कि मारुति को जो जमीन दी गई है, वह उसी भाव पर दी गई है, जितना मुआवजा दिया गया उतने में दी गई है। लेकिन, मारुति का रुपया नकद वसूल नहीं होगा। वह दस-बीस वर्ष में होगा, किस्तों में।

श्री रणबीर सिंह : उपसभापति जी, मारुति को जमीन 11249 रु. फी एकड़ के हिसाब से दी है। इसके अलावा उनके ऊपर शर्त यह है कि अगर अदालत में-सुप्रीम कोर्ट तक ये ले जायेंगे, क्योंकि यह राजनीति का प्रश्न हो गया है, ज्यादा मुआवजा दिया गया तो वह भी मारुति को ही देना होगा। वही नहीं देना होगा, बल्कि जो दावे का खर्चा है वह भी मारुति से ही लिया जाएगा। मैं तो मानता हूँ कि मारुति के साथ हमने रियायत नहीं की। मारुति को सारे हरियाणा और पंजाब में जितने कारखानों के लिए जमीन दी गई है, उन सबका ब्यौरा मंगाकर देखें। अगर कोई जमीन जिसको सरकार ने कारखानों के लिए एक्कायर करके लिया और इतने महंगे दामों पर और इतनी कड़ी शर्तों पर बेचा, तो त्यागी जी आप मान जायेंगे कि जो भी हुआ, जो बात हुई वह ठीक हुई, तो अपने दस्तखत वापस कर लें। अगर उसमें कोई गलती हो तो मैं भी आपके साथ दस्तखत कर दूंगा। त्यागी जी तो खुद उधर गये। आप तो खुद ही छोड़कर गये थे। बहन इंदिरा गांधी ने आपको मंत्री मंडल से निकाला नहीं था, आप इस्तीफा देकर गये थे। (*Interruptions*)

श्री महावीर त्यागी : बहन तुम्हारी होगी, हमारी तो भतीजी है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : भतीजी होती तो आप चाचा होते। अगर भानजी कहते तो मामा होते..... (*Interruption*)

श्री रणबीर सिंह : जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि देश की रक्षा में कोई गड़बड़ न आये। जो इलाका है जिसे अम्यूनिशन डिपो कहते हैं उसमें एक तार की बाड़ लगी हुई है। उस तार को पीछे किया जा सकता है। उसके

लिए जमीन डिफेंस के पास है। उन्होंने हरियाणा सरकार को कहा है कि वह जमीन डी रिकवीजिशन कराना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। इस जिद के लिए भी यह कारण है चूंकि सरकार के भी कुछ अफसर ऐसे हैं जोकि नाराज हैं, जिनको आज की सरकार से नाराजगी है। वह इनको जाकर कागज देते हैं, इनको सही और गलत बातें पढ़ाते हैं। वे राजनीतिक पार्टियां क्यों नाराज हैं? कौन-सी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से हारी नहीं है? सबको करारी चोट लगी है। यही नीरेन घोष को गिला है। श्री कुरियन और हमारे सोशलिस्ट भाई हैं। उनके नेता तो सीधे हार कर आये और राजनारायण जी तो प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में हारे हैं। कैसे ये इस बुखार को भूलेंगे, ये उस बुखार को कैसे उतारेंगे? वह हार के दुख को भूल नहीं सकते हैं।

उपसभापति जी, जहां तक हमारे सम्बन्ध में पंडितजी ने जिक्र किया, जो मैंने सवाल किये थे, हरियाण एसेम्बली में जब मैं मेम्बर था और उन्होंने पोल यानी खम्बे की कीमत का जिक्र किया।

पंडितजी इस बात को भूल गये। साहनी साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि अगर पोल ज्यादा कीमत पर खरीदे गये हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त सदन को विश्वास दिलाया कि इसकी इंक्वायरी की जायेगी। उसकी इंक्वायरी की गई। उस इंक्वायरी का जवाब मिर्धा साहब ने अपने जवाब में दिया था। चेयरमैन ने यह लिख कर दिया कि अगर कोई खराबी हो तो हम तैयार हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। मुख्यमंत्री का इससे कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद इंक्वावयरी की गई स्टेट विजिलेंस कमिश्नर की मार्फत। उसमें कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद साहनी साहब, जो चेयरमैन है उन्होंने यह लिख कर दिया कि आफुटर जनरल से जांच कराई जाये। असल में, जैसा सुल्तान सिंह जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश तरक्की कर रहा है और उसमें पंडितजी का कोई योगदान नहीं है, इसीलिए उनको दर्द है। इसीलिए, उनको गिला है। इन राजनैतिक पार्टियों को इसलिए, गिला है कि प्रधानमंत्री ने उन पर करारी चोट की।

उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या हो*

{राज्य सभा में 10 अगस्त, 1973 को उच्च शिक्षा के पुर्नगठन पर बहस में भाग लेते हुए चोधरी रणबीर सिंह ने शिक्षा के लक्ष्य तथा योग्यता व मेरिट जैसे मूलभूत सवालों पर चर्चा की जो शिक्षा आज छात्र को कारीगर तो बनाती है, मनुष्य नहीं बनाती। -सम्पदाक ।}

————————

उपसभाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव हमारे सामने हैं, जहां तक उसके पहले भाग का संबंध है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जहां तक दूसरे हिस्से का संबंध है उसमें भी बहुत दूर तक कोई दो राय नहीं हो सकतीं। उनको मौका दिया जाये, इसमें कोई दो राये नहीं हो सकतीं। योग्यता के आधार पर चयनात्मक उच्चतर शिक्षा की नीति को अपनाया जाये इस में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं।

पहली बात तो यह है कि कौन सी चीज की छांट की जाये और उस की क्या मेरिट हो? किस चीज को मेरिट माना जाये? मैं ने देखा है कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा डैम जिसे भाखड़ा डैम कहते हैं, वह अमरीका के एक मिस्त्री ने बनाया। वह न तो इंजीनियर था और न कोई डिग्री होल्डर था और न कोई डिप्लोमा होल्डर था। उसको अमरीका से यहां तक आने का मौका मिला और हिन्दुस्तान के लिए उसने सबसे बड़ा काम, शोभा का काम किया और उस बहुत बड़े डैम को उसने बनाया। तब अगर मेरिट ही रखनी है तो इंजीनियरिंग में दाखिल होने के लिए मेरिट मिस्त्री की होनी चाहिए। डाक्टरी में दाखिल होने के लिए उनमें सेवा का भाव होना चाहिए। आज के

** Rajya Sabha, Parliament (Parliamentary Debates) Official Report, Vol. LXXIX, 10th August, 1973, Page 131-140*

डाक्टरों में सेवा का भाव नहीं होता। इंम्तहान में वह फर्स्ट डिवीजन हैं या सेकिंड डिवीज़न हैं, कितने अच्छे मार्क्स हैं, यह हमने आज मेरिट मान ली है। लेकिन, यह सही नहीं है। डाक्टरी के लिए यह चाहिए कि वह आदमी सेवा कर सके। मैं समझता हूँ कि जो नर्सेज भर्ती होती हैं चाहे वे आदमी हों या औरतें, उनमें से डाक्टरी के लिए भर्ती की जाये तो वे ज्यादा सेवा कर सकती हैं। आप लुधियाना जायें।

लुधियाना ने हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया है। छोटे-छोटे कारखाने कायम करने के लिए। वहां आप विनती करें कि आपके कितने इंजीनियर, कितने डिप्लोमा होल्डर और कितने डिग्री होल्डर हैं, कितने मिस्त्री हैं और देश की कितनी जरूरत को वह पूरा करते हैं? इससे पता लगेगा कि आज जो हमारी कीमती शिक्षा है वह देश के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ता चौधरी साहब ने कहा कि यह बात सही है कि आज हमारे देश के अंदर, 25 साल के अंदर, शिक्षा का काफी प्रसार हुआ। कालेजों की तादाद बढ़ी, यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ी और प्राइमरी और सेकेन्डरी एजूकेशन की जो संस्थाएं हैं उनकी भी तादाद बढी तथा शिक्षितों की भी तादाद बढ़ी। पढ़ने वालों की भी तादाद बढ़ी। लेकिन, शिक्षा मंत्री जी को शायद ज्ञान हो, न भी हो, आज हम कहां पहुंचे हैं? गाँवों में स्कूल के अंदर अध्यापक शराब पीकर पढ़ाने आ जाता है। यह हमारी तरक्की हुई?

श्री सीताराम सिंह (बिहार) : शराब की दुकानें आप खुलवाएंगे तो पीएंगे नहीं?

श्री रणबीर सिंह : आपके लिए भी दुकान चाहिए? हमारी मुश्किल है हम नहीं करेंगे तो आप हल्ला करेंगे। आप लोगों को भी तो चाहिए। मेरा कहना है कि शिक्षकों के लिए दुकान नहीं खोलिए (*Interruption*) यादव जी को भी कुछ नशा रहता है, कहते हुए। मैं जो जिक्र करता था वह यह कि शिक्षक कौन हो? वह फर्स्ट डिवीजन वाला, सेकेंड डिवीजन वाला शिक्षक बने या नहीं बने, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले गुरुओं की पूजा होती थी। आज तो युनिवर्सिटटियों में, डा. ओ.पी. दत्त साहब को मालूम

है, गुरुओं की कैसी पूजा होती है, कैसा उनका आदर होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े शिक्षा विशेषज्ञ से मेरी बात हुई। मैंने उनसे मज़ाक किया कि भाई, पहले आप कहा करते थे कि राजनीतिज्ञ जो हैं, उनको समाज में चलना नहीं आता। इसलिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। यह सन् 1967 के बाद बताओ, आपका कैसा हाल रहा? आपको शिक्षा-दीक्षा देनी नहीं आई, क्या मामला हो गया? उन्होंने भी मज़ाक में कहा कि मेरे जितने साथी हैं, मैं उनसे कहता हूँ अगर जिस दिन मां-बहन की गाली से काम चल जाए तो भगवान से शुक्र करो कि आज का दिन अच्छा बीता है। जिस दिन जूता लग गया, उस दिन समझना आज कुछ खराब दिन आया है। आज हमारे देश की एक अजीब हालत बन गई है। वह मैकाले की जो प्राणाली थी, 25 साल में हमने ज़मीन का तरीका बदल दिया, हमने ज़मीन को इकट्ठा कर दिया। कहीं के कहीं खेत जोड़ दिए और किसी नवाब को, कहीं दुकानदार बना दिया, कहीं होटल चलाने वाला बना दिया। लेकिन, शिक्षकों की शिक्षा प्रणाली को हमनहीं बदल सके। इसका एक कारण मैं सबसे बड़ा यह मानता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार का यह ख्याल कि हिन्दुस्तान की शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा के विशेषज्ञ को बदलना है, यह एक सबसे बड़ी ग़लती है। यह भूमिका ही ग़लत है।

डा. ज़ाकिर हुसैन साहब का ज़िक्र हुआ। डा. ज़ाकिर हुसैन ने हिन्दुस्तान को महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर बेसिक सिस्टम या वर्धा सिस्टम की कोई बात सूझी थी। डा. ज़ाकिर हुसैन हिन्दुस्तान के प्रधान बन गए। हिन्दुस्तान के सबसे बड़े, नम्बर एक नागरिक, बन गए। सबसे शक्तिशाली ओहदे पर पहुंच गए। लेकिन, शिक्षक की प्रणाली को बदलने में वे भी असमर्थ रहे; क्योंकि शिक्षा क विशेषज्ञ जो हैं, उन्होंने ठेका लिया है कि इल्म की जानकारी उनके सिवाए किसी के पास नहीं है। माफ करें दत्त साहब और हमारे मंत्री महोदय, वे यह न समझें कि मैं डिग्री-होल्डर नहीं हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ और दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ। इनके वाइस-चान्सलर के साथ का ग्रेजुएट हूँ। लेकिन, एक बात मैं जानता हूँ उपसभाध्यक्ष जी, अपने प्रदेश में ही देखिए, आपके

प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली के कनेक्शन पम्प्स के हैं और वे किस वक्त ज्यादा शुरू हुए-जब श्री कामराज मुख्यमंत्री रहे। उनके वक्त में एकदम से मद्रास राज्य, जो कभी डेफिसिट एरिया था, जिसको आन्ध्र वाले डराते थे कि तुमको हम भूखा मार देंगे वरना हमारे साथ आओ। उसने इतनी तरक्की कर ली कि वह तमिलनाडु दूसरों को अनाज देने वाला बन गया। वे कोई डिग्री-होल्डर नहीं, कोई डिप्लोमा-होल्डर नहीं थे। उनकी शिक्षा क्या थी ? मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है कोई दोस्त उससे नाराज हों। लेकिन, जो तालीम आज की शिक्षा के वास्ते जरूरी है, उससे बहुत कम थी या नहीं के बराबर हो। लेकिन, उन्होंने हिन्दुस्तान को एक रास्ता दिखाया। अपने प्रदेश में भी मैंने यह बात देखी है। मेरे पास इरिगेशन और पावर मिनिस्ट्री रही, पी.डब्लू.डी. का महकमा रहा, वह सारा इन्जीनियरों का और विशेषज्ञों का महकमा है।

मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वे इम्प्लीमेन्टेशन करने में पीछे हैं। उनको इस देश की आम बात के सम्बन्ध में समझ नहीं है। वे तो भर्ती करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन डिग्री-होल्डर हैं, जो अच्छे नम्बर पर आया है, जो पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, जिनका हिन्दुस्तान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, उनको वे नौकरियों में भर्ती करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन सब लोगों के लिए खुली नहीं होनी चाहिये। लेकिन, वह कैसे बन्द हो सकती है, यह सोचने वाली बात है।

मैं इस बात को जानता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय के पास इसका कोई हल नहीं है। गृह मंत्रालय या हिन्दुस्तान की सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई है। हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आई.ए.एस. वाले हैं, आई.पी.एस. वाले हैं, प्राविन्शियल सर्विस वाले हैं और पुलिस तथा दूसरी सर्विस वाले हैं, वे सब डिग्री-होल्डर होते हैं। अगर यह बात कर दी जाये कि इस तरह की सर्विसेज में डिग्री-होल्डर वाले नहीं होंगे, उनमें इंजीनियर्स में आ सकते हैं, डाक्टर भी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो यह जो आम लोग हैं, एम.ए. की डिग्री-होल्डर हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, वे इनमें नहीं जायेंगे।

आज हमारे देश में उल्टी बात हो रही है। बिजली का जो महकमा है उसमें आई.ए.एस. वाला ठेकेदार बना हुआ है। हिन्दुस्तान के नीति निर्धारण करने वाले भी आई.ए.एस. वाले ठेकेदार बने हुए हैं। फिर इस बात में झगड़ा होता है कि तुम इन जगहों में नहीं आ सकते हो। अगर, बी.ए. और एम.ए. के डिग्री-होल्डर को इस प्रकार की नौकरियों में नहीं लिया जायेगा तो इस तरफ कोई नहीं देखेगा और विश्वविद्यालय खाली रहेंगे। आज डिग्री की दौड़ है, वह इसलिए, है कि इसके सिवाये कोई धन्धा ही नहीं मिलता है। मेडिकल कालेज के अन्दर एफ.एससी. और प्री-मेडिकल पास किये हुए लड़कों को ही मेडिकल कालेजों में दाखिला मिलेगा। रोहतक में एक मेडिकल कालेज है और उसके अन्दर सिवाये स्पोर्ट्स-मैन के कोई दाखिला प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई प्री-मेडिकल पढ़ा हुआ बच्चा दाखिला प्राप्त नहीं कर सकता है; क्योंकि वहां पर बी.एससी. वाले हैं, एम.एससी पास किये हुए लड़के आते हैं और वे कहते हैं कि हम डाक्टर बनेंगे।

हिन्दुस्तान के अन्दर आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैरिस्टर बने थे। उन्होंने यहां से दसवीं पास किया था। मैट्रिक वहां से पास किया था और इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टरी का इम्तिहान पास किया था। इस तरह से वे हिन्दुस्तान के और दुनिया के गरीबों के सबसे बड़े वकील बने और कामयाब वकील बने। उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति के साथ लड़कर दिखला दिया।

1967 में दिल्ली और सारे हिन्दुस्तान के विश्वविद्यालयों में इस बारे में झगड़ा शुरू हुआ कि बी.ए. के बाद जो लड़के दो साल तक लॉ पढ़ते हैं उन्हें एक साल और लॉ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ने पर मजबूर न किया जाये। इस तरह से कानून पढ़ाने वाले कालेजों से झगड़े की बुनियाद शुरू हुई कि दो साल लॉ पढ़ने के बाद एक साल की जो टेऊनिंग रखी गई है वह न रखी जाये। महात्मा गांधी जी जब 10वीं पास करके बैरिस्टरी पास कर सकते हैं, तो इन लोगों के लिए इस तरह की सीमा क्यों रखी गई?

आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वह शुरू से लेकर अन्त तक गलत

है। यह बात जरूरी है कि इस देश की जनता के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, ताकि उसको कोई गुमराह न कर सके, कोई उसे गलत रास्ते पर न ले जाये। इसलिए, अक्षर ज्ञान का होना जरूरी है। लेकिन, हमारे यहां जो शिक्षा प्रणाली है वह मैकाले प्रणाली पर चल रही है। जब मैं कालेज में पढ़ता था तो घी की कौली भी हाथ पर ले जाने में हमारे सहपाठी शर्म महसूस करते थे। अपने बर्तन उठाने में शर्म महसूस करते थे। हम अपना बैग नहीं उठ सकते थे। हम रोजाना घी झूठा खाते थे।

मैंने जापान में देखा कि जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उन्होंने हमें हर चीज अपने हाथ की बनाई हुई खिलाई। जब हमने उनसे मालूम किया तो यह बात सामने आई कि वे अपने हाथ से रोटी भी बनाते हैं और बर्तन भी साफ करते हैं। इस तरह से वे पढ़ाई के समय भी कुछ न कुछ कमा लेते हैं।

हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है, कालेजों में जो शिक्षा दी जाती है, वह बिलकुल बेकार की होती है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो सबसे खतरनाक चीज हो रही है वह शिक्षा प्रणाली द्वारा ही हो रही है। हम जिसे उच्च शिक्षा कहते हैं यह एक खतरे की चीज है।

उपसभाध्यक्ष जी, आज देश के अन्दर जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसके साथ कुछ अजीब हालत हो गई है। एक तरफ जो अनपढ़ आदमी है, मजदूर है, हाथ से मेहनत करने वाला है उसकी कमी है। आप हरियाणा में चले जाइए, सड़क बनती हुई मिलेगी, राजस्थान का मजदूर मिलेगा, केरल का मजदूर मिलेगा। लेकिन, हरियाणा में इतने मजदूर नहीं मिलते, जितना काम वहां तेजी से होता है। दूसरी तरफ पढ़े-लिखे बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है। इंजीनियर बेकार, डाक्टर बेकार और जितने भी विशेषज्ञ हैं, जिनकी सेवाओं से देश आगे जा सकता है, वे बेकार फिरते हैं,। इसलिए, कि उन्होंने सीखा ही नहीं है कि कैसे काम करें। डाक्टर भी नौकरी की तलाश में फिरते हैं। वे गाँव में बैठ कर, सेवा करके तनख्वाह से ज्यादा कमा सकते हैं। निजी क्षेत्र में जाने का हौसला नहीं करते। सरकारी क्षेत्र में उनको नौकरी नहीं मिलती। आज पढ़ाई की

जो प्रणाली है वह शुरू से ही ऐसी है कि नौकरी करना सीखें, आई.सी.एस. बनें, प्रदेश सिविल सर्विस में जाएं, आई.ए.एस. बनें, आई.पी.एस. बनें। अजीब हालत है, हमारे देश की। फौज के अन्दर भर्ती होती है, उसमें भी एम.ए., बी.ए., फर्स्ट डिवीजन और सेकेन्ड डिवीजन देखी जाती है और जब आगे बढ़ने का वक्त आता है तो फर्स्ट डिवीजन वाला भाग नहीं पाता। इसमें हौसले का इम्तिहान होना चाहिए। वहां मेरिट हौसला होना चाहिए। आज नौकरियों में भर्ती का जो सिस्टम है या शिक्षा की जो प्रणाली है दोनों ही गलत हैं। माननीय सदस्य ने बात सही कहीं थी कि भर्ती करने वाला कौन है?

पहले मैंने यह प्रश्न पूछा था कि हिन्दुस्तान-के किस-किस मंत्रालय में किस प्रदेश के सेक्रेटरी हैं और उस प्रदेश के कितने आदमी नए भर्ती किए गए हैं तथा दूसरे प्रदेशों के कितने भर्ती किए गए हैं? उसका जवाब देना ही बन्द हो गया; क्योंकि सवाल यह था कि जिस प्रदेश का सेक्रेटरी होता है उसी प्रदेश की भर्ती होती है। हिन्दुस्तान की बाकी आबादी की कोई फिक्र नहीं।

मेरिट जो है वह क्या हो? अगर मेरिट सही हो तो वह ठीक हो सकती है। अब आपने दाखिले के लिए 70 फीसदी रख दिया है, इसको हटाइए(नहीं तो फिर हम भी कहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय और खोले जायें। नौकरियों के लिए भी जो मेरिट है वह बदला जाये तब तो इसका इलाज हो सकता है, नहीं तो अगर मेरिट रखा तो दत्त साहब आपके खिलाफ भी शिकायत आएगी कि आपने रियायत की है, पंजाबी की रियायत की है। कोई कहेगा कि वाइस-चांसलर हरियाणा का है, हरियाणा वाले की रियायत की है। कोई किसी जाति का नाम लेगा, कोई किसी धर्म का नाम लेगा। फिर वह मेरिट, मेरिट नहीं रहती और झगड़े की जड़ हो जाती है।

पंजाब नगर परिषद (चण्डीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1974*

{राज्य सभा में 4 सितम्बर, 1973 को पंजाब नगर परिषद (चंडीगढ संशोधन) विधेयक-1974 पर बीस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने हरियाणा की राजधानी तथा पंजाब में रह गए हिंदी भाषी क्षेत्र पर अपना नजरिया रखा ओर एक बार फिर पंजाब से अलग हो जाने के बावजूद बचे रह गए मसलों को स्पष्ट किया। -सम्पादक ।}

————————

श्रीमन, जो विधेयक हमारे सामने है, वह बहुत ही साधारण सा विधेयक है। उसकी जरूरत इसलिए, आई कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि चण्डीगढ़, जो हमारे देश का एक आदर्श नगर है, उसके अन्दर जो रेहड़ी चलाने वाले हैं, वे दुकानों के सामने या सड़कों के बीच में रेहड़ी खड़ी कर देते हैं, उनमें ऐसी चीजें बेचते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती हैं। ये लोग इस प्रकार की चीजें न बेच सकें। उसके लिए यह बिल यहां पर आया है। श्री शेखावत जी ने विशेष रूप से रेहड़ी चलाने वालों का जिक्र किया और कहा कि इससे उनको दिक्कतें होंगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो बैंक राष्ट्रीयकृत हो गये हैं, उनको हिदायत है कि वे इन लोगों को कर्जा दें। उनको कर्जा मिलता है, मिल रहा है। अगर कर्जा नहीं मिलता है तो शेखावत साहब को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिलाने के

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 4th September, 1974, Page 118-122*

लिए उनको अपनी सहयोग दें।

जहां तक इस बात का संबंध है कि चण्डीगढ़ एक आदर्श नगर है और (संयुक्त) पंजाब की राजधानी बनाया गया था। लेकिन, उसको केन्द्र शासित क्षेत्र बनाना पड़ा। यह काम सन् 1966 में हुआ। पंजाब में से और हरियाणा में से कुछ इलाके हिमाचल प्रदेश को दिये गये। उसी वक्त यह चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। स्टेट रिआर्गेनाइजेशन में चण्डीगढ़ को किसी भी प्रदेश को नहीं दिया जा सका।

आप जानते हैं कि चण्डीगढ़ को केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने के बाद अलग से चौथा कानून आया। मैं इस बात को मानता हूँ कि चण्डीगढ़ एक आदर्श नगर है और हमारे देश का आदर्श नगर बनना चाहिए। लेकिन, क्या जरूरी है कि रोज-रोज हमारे सदन के सामने चण्डीगढ़ के बारे में कानून आएं? इसलिए, मंत्री महोदय से, सरकार से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि चण्डीगढ़ के बारे में कोई फैसला जल्दी कर दिया जाये।

चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाये, इसके लिए हरियाणा की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। आप एक कानून लायें और चण्डीगढ़ को पंजाब के हवालेकर दें। आप जानते हैं कि इस सदन के एक सम्मानित सदस्य सरदार फे रुमान ने इसके लिए अपनी कुरबानी दे दी थी। लेकिन, हम यह जरूर चाहते हैं, हरियाणा की जनता यह चाहती है कि पंजाब के पास जो अबोहर और फाजिल्का के हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र हैं उनको हरियाणा को दे दिया जाये। बाउंडरी कमीशन ने यह फैसला देना था कि जो इलाके पंजाबी भाषी हैं वे पंजाब में जायें और जो हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र हैं उनको हरियाणा को दे दिया जाये। इसके लिए एक बाउंडरी कमीशन का गठन होना था, वह अभी तक नहीं हुआ। इसकाम के लिए जो समय रखा गया था, वह भी चन्द महीनों में समाप्त हो जाएगा।

इसलिए, हरियाणा की जनता और हरियाणा की सरकार को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जाये। हरियाणा के लोग अपनी राजधानी किसी गाँव में ले जाने के लिए तैयार हैं। हम यह भी चाहते हैं कि अबोहर और फाजिल्का का जो इलाका हिन्दी भाषा-भाषी हैं और जिनको शाह कमीशन ने माना था कि ये हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं, अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस बात को माना है, इनको जल्दी से जल्दी हरियाणा को दे दिया जाये। लेकिन, आज हालत यह है कि पंजाब की सरकार वहां के लोगों को जबरदस्ती पंजाबी पढ़ाती है।

उनकी वह अपनी जगह है, वे तरक्की कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि बजाय इसके कि बार-बार इस सदन को मजबूर करें और रेड़े के लिए या किसी मामूली बात के लिए या कभी चंडीगढ़ की पेरफी री के लिए तरह-तरह का कानून लाएं, आप एक दफा इस सारे झगड़े से ही निपट लीजिए। जितनी देर यह झगड़े की बात रहेगी, उसमें उतनी ही परेशानियां ज्यादा होंगी।

अभी जो हरियाणा के और फाजिल्का के भाई हैं, उनको परेशानी है। उनको अपनी खेती के लिए सिंचाई का पानी उतना नहीं मिलता जितना मिलना जरूरी है। वे अपने खेत की पैदावार नहीं बढ़ा सकते, अपने बच्चों को मातृ जबान में शिक्षा नहीं दे सकते। दूसरी तरफ, जो भाई उनको कब्जे में रखे हैं वे तरह-तरह की बातें करते हैं, झगड़े की। झगड़े को लम्बा करने की बजाय, मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे एक कानून लाकर सदन में या इस सदन के सत्र के समाप्त होने के तुरन्त बाद एक आर्डिनेन्स के जरिये फैसला करें कि चण्डीगढ़ पंजाब को दें और अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दें। बाकी जो झगड़ा है वह कभी बाउण्डरी कमीशन बन जाए, उसके बाद जो फैसला हो, उसको लागू कर दिया जाये।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ, कि बाउण्डरी कमीशन की

जो हम बात कहते हैं, उसके लिए फाजिल्का और अबोहर के भाईयों को इंतजारी में देखना पड़ रहा है तो क्या वह इतनी अमूल्य चीज़ है? इस देश के अंदर कमीशन बना था और जिस कमीशन के चैयरमैन शाह थे। शाह आयोग ने एक मैजारिटी फैसला दिया था कि चंडीगढ़ और खड़क तहसील हरियाणा को दिया जाए। वह मिस्टर शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने।

लेकिन, उनकी सलाह के बावजूद भी उनकी बात को नहीं माना गया। कल बाउण्ड्री कमीशन की बात को मान लिया जाएगा, यह कौन जानता है? जब हरियाणा और पंजाब का दोबारा जन्म हुआ तो उस वक्त यह फैसला किया गया था कि चंडीगढ़ को अलग केन्द्र-शासित रखा जाए। लेकिन, मैं मानता हूँ कि आज उसकी आवश्यकता नहीं है। न तो हरियाणा की सरकार को इसमें कोई आपत्ति है। लेकिन, आज वे हरियाणा के लोग इस बात को भी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिन भाईयों को उनके साथ मिलना है, हिन्दुस्तान की सरकार के फैसले के मुताबिक मिलना है, उनको अनगिनत साल तक हमसे दूर रखा जाए। उनकी तरक्की में बाधा पड़ी हुई है। उनकी शिक्षा में बाधा है। उनको स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अब हमें और इंतजार न दिखाएं और इसके लिए कानून लाएं। चंडीगढ़ पंजाब का हो। उनका भी बुखार आप उतारना चाहते हैं। लेकिन, एक नहीं पंजाब की तमाम मुख्तलिफ पार्टियां हाथ में डंडा उठाकर कहती हैं कि चण्डीगढ़ हमारा है। उनकी जेब में डालें। मैं अपने पंजाब के प्रधान से कहता था कि हम तो आपकी जेब में अभी चंडीगढ़ डाल देते हैं और आप हमें हमारा इलाका दे दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हरियाणा के लोगों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि फाजिल्का और अबोहर के लोगों की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि सदन में एक छोटी सी, रेढ़ी जैसी बात को लेकर आएं, एक नगर का कानून लाने के लिए मजबूर किया जाए, इस सदन का सही फायदा उठाया जाए और एक कानून लाया जाए जिससे चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को दे दिया जाए,

ताकि संसद में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होगी। शेखावत जी को भी कम से कम यह रेड़े के झगड़े वाली बात की शिकायत नही होगी।

मैं मानता हूँ रेढ़े वालों की, रिक्शा वालों की बात बहुत सही है। दु:ख की बात है। उनका इंतजाम होना चाहिए। उनके रहने का भी इंतजाम नहीं है। उनके लिए टट्टी और पानी का भी इंतजाम नहीं है। वह इंतजाम होना चाहिए। यह हमारे समाज की आज की कमजोरी है। इस बात की मुझसे ज्यादा और शेखावत जी से ज्यादा भोला पासवान जी जानते हैं। लेकिन, इसके साथ-साथ इसके नाम को बराबर न घसीटा जाये और इसीलिए, मैं फिर मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे गृह मंत्रालय को सलाह दें कि जल्द से जल्द इस झगड़े को मिटाया जाये और चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाये तथा फाजिल्का और अबोहर हरियाणा को दे दिया जाये।

विनियोग बिल विधेयक*

{विनियोग बिल विधेयक 1975 पर राज्य सभा में 6 मई, 1975 को भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने बिजली-पानी पर सरकारी नीतियों तथा उनपर हरियाणा पंजाब के अपने अनुभवों को सदन के साथ सांझा करते हुए कहा कि खेती को बडावा देने की नीति लेनी चाहिए। नीति ऐसी बने जिससे समाज के कमजोर हिससों को लाभ मिले। -सम्पादक ।}

————————

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

श्री भूपेश गुप्त (पश्चिम बंगाल) : समर्थन करने के लिए आप बैठा भी तो हुआ था।

श्री रणबीर सिंह : अभी माननीय भूपेश गुप्त जी ने कहा कि समर्थन बैठे-बैठे भी हो सकता है। बात तो उनकी सही है। लेकिन, कभी समर्थन करने के लिए अपनी भावना भी प्रकट करनी पड़ती है।

मैं वित्त मंत्रालय और वित्तमंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ कि महंगाई का भूत जो व्हाइट-कालर्ड क्लास ने देश पर चढ़ाया था वह कुछ कम हुआ। लेकिन, कम करने की देश को क्या कीमत अदा करनी पड़ी है, यह सोचने की बात है। मैं अपने प्रदेश के बारे में जानता हूँ। हमारे प्रदेश में पानीपत

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 6th May, 1975, Page 165-171*

में बिजली घर बनने जा रहा था। भाप का बिजली घर बनाने के लिए हमारे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा लेने की बात तय की और पंजाब नेशनल बैंक ने उसको 12 करोड़ रुपया कर्ज देना कबूल किया। उससे हमारे देश प्रदेश में इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बढ़ती और वह देश के हित में कितनी थी या उससे महंगाई दूर करने में हम कितनी मदद दे सकते थे, इस बात का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा कारखाना, साइकिल बनाने का है और उससे बड़ा कारखाना सेनीटरी वेयर्स का है। मोटरों के टायर और दूसरे टायर बनाने का भी सबसे बड़ा कारखाना हरियाणा में है। इसी तरह के और भी कई बड़े और छोटे कारखाने वहां हैं। कारखानों की इस पैदावार को हम कायम नहीं रख सके इसलिये कि बिजली हमारे पास नहीं थी। इसलिये, 60 प्रतिशत बिजली उनकी काटी गयी और उससे उनकी पैदावार घटी। यही नहीं, खेत की पैदावार में भी कमी हुई। लेकिन, वह पैसा न दिया जाये यह सलाह रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों ने पंजाब नेशनल बैंक को दी। वह सलाह कितनी सही थी यह सोचने वाली बात है।

इसी तरह से उपसभापति जी आप जानते हैं और आप को भी तजुर्बा है कि हमारे देश में जितने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह सारे बोर्डस अपने कर्ज का ब्याज भी अदा नहीं कर सकते। जितना रुपया उनपर लगा हुआ है, उसका वह ब्याज भी अदा नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यह तरीका हिसाब-किताब रखने का सही नहीं है।

उसके साथ-साथ उसका एक और कारण भी है। जितनी ज्यादा बिजली बोर्ड खर्च करता है उसकी दर उतनी ही कम है। गरीब आदमी बिजली कम खर्च करता है। छोटे कारखाने वाले बिजली कम खर्च करते हैं, तो उनकी बिजली की दर अधिक है। जो आदमी 5 यूनिट तक बिजली खर्च करता है। उसकी दर कहीं 45 और कहीं 35 नया पैसा है। जो आदमी मकान को ठंडा करता है, पानी को गर्म करता है, बिजली से बर्तन साफ करता है और बिजली से खाना पकाता है उसकी दर उसके लिये 8 या 9 पैसा फी यूनिट है। कहा जाता है कि चूंकि बिजली देहातों को भेज दी गयी है, इसलिये

स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता। कहने वाले वही लोग हैं जिनके हाथ में अख्तियार है। उन्हीं के हाथ में भाषा है, कायदा भी। इसके अलावा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी वही लोग बोलते हैं।

मुझे याद है पंजाब में जब सिंचाई व बिजली विभाग मेरे पास था तो एक बार प्रश्न उठा और उस वक्त मैंने देखा कि जो भाई 40 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे उनको बिजली 6 नया पैसा के हिसाब से दी जाती थी। जो 15 यूनिट तक इस्तेमाल करते थे उनके लिए 34 पैसे की दर थी। हमारे प्रदेश में यह सवाल पैदा हुआ कि आमदनी बढ़ाई जाए। उस समय के हमारे मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों थे। मैंने उनसे कहा कि यह आसानी से हो सकता है। उस पर जो हम पैसा लगायेंगे या लेंगे उससे न खेती की पैदावार पर असर पड़ेगा, न इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। लेकिन, उससे असर होगा जो बड़े-बड़े भाई हैं। मैंने सुझाव दिया था कि जो भाई 6 पैसे की दर पर बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी दर बढ़ाई जाए। उनको छोटे आदमी के बराबर कर दिया जाए, चूंकि हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद तभी आ सकता है यदि हम जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनकी सहायता करें। जो आर्थिक तौर पर शक्तिशाली हैं उनको कुछ नीचा करें। उस समय हमने एक दर की।

आज भी हमको याद है कि हमारे प्रदेश के उस समय के वित्त सचिव कैबिनेट में यह प्रश्न उठाते थे कि इससे मर जायेंगे। मैंने उनसे कहा कि कौन मर जाएगा? ये जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर असर पड़ेगा। मैंने देखा कि देहात में लोग 15 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली खर्च होती है 15 यूनिट से ज्यादा या 40 यूनिट से जयादा वह केवल 6 पैसे की दर देते थे और वह बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले थे। वह मंत्रालय के सचिव या कारखानेदार थे जो अपने मकानों को ठंडा या गर्म करते थे। तमाम प्रदेश के अखबारों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई।

हमें उसमें इतनी कामयाबी मिली कि 6 पैसे की बजाये 12 पैसे तक

हम उसकी दर ले गये। जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का हम घाटा पूरा करते हैं उसका एक ही तरीका है कि जो भाई बिजली कम खर्च करते हैं उनकी दर कम हो और जो कूलर चलाते हैं, मकान को ठंडा या गर्म करते हैं उनके लिये दर ज्यादा हो। उस समय यह कहा जाता था कि ये बिजली खर्च नहीं होगी। जब हमने पंजाब में यह फैसला किया तो हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि यह बिजली जो पैदा हो रही है उसकी खपत नहीं हो सकेगी, बिजली बची रहेगी।

लेकिन, आज तो देश में हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जितनी बिजली है उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा बचाकर खेती व कारखाने में खपाया जाए, वह देश के हित में है। यह हवाइट कालर्ड के हित में नहीं है। क्यों हिसाब-किताब इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का गड़बड़ है? उसका कारण यह है कि सरकार के मुलाजिम स्ट्राइक करते हैं। उनको मंहगाई भत्ता भी मिलता है।

उधर, विरोधी दल के भाई जो देहात से आते हैं या शहर से आते हैं, चाहे उनके भाई मुलाजिम हैं या नहीं हैं। लेकिन, तमाम उनकी बातों की मदद करने और समर्थन करते हैं। जैसे अभी भूपेश जी ने कहा कि तनख्वाह बढ़ाने के लिए समर्थन और गेहूँ का भाव घटाने के लिए समर्थन करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सस्ता अनाज खाना चाहते हैं, सस्ता आलू खाना चाहते हैं, सस्ती चीजें खाना चाहते हैं क्या वह इस ढ़ंग से चला सकते हैं? जो पैदा करते हैं, उनका खर्चा पूरा न किया जाए तो फिर सस्ता मिल सकेगा?

पिछले साल का हिसाब खाता देखें तो हमारे देश में विदेशों से ढ़ाई सौ रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ बाहर से मंगाया गया और 700 करोड़ रुपये का गेहूँ खर्च किया गया। मैं मानता हूँ कि अनाज की कमी से लोगों को भूखे नहीं मरने दिया जाना चाहिए। लेकिन, प्रश्न यह है कि आया हम इतनी पैदावार बढ़ा सकते थे या नहीं? मुझे याद है कि अभी कुछ पहले भाषणों में गोरे जी ने एक सवाल किया था अपने प्रदेश के बारे में कि डेढ़ सौ रुपया खर्च हो गया। लेकिन, पैदा कुछ नहीं हुआ।

अगर कोई भी हमारे देश में सेक्टर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा

फीसदी पैसा ठीक इस्तेमाल होता है तो वह खेती का सैक्टर है। अगर, आप माइनर ईरीगेशन के सैक्टर को देखें तो इसकी जानकारी श्री टी.एन. सिंह जी ने दी थी, जब वे एक कमेटी के सदर थे, शुरु में। उस वक्त भी देखा गया था कि कुओं के लिए जो पैसा दिया गया है उसका 85-90 फीसदी सही इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से आज भी अगर जानकारी ली जाए तो मैं मानता हूँ कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए जितना पैसा दिया गया है वह सही इस्तेमाल हुआ है। छोटी सिंचाई योजनाओं की तीन प्रदेशों में तरक्की हुई। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हुई है। आपके यहां भी कोई दो लाख के करीब पम्पिंग सैट्स लगे हैं। आन्ध्र प्रदेश में हरियाणा और पंजाब में। जब तमिलनाडु बना था तो मद्रास प्रदेश बंटा था। आपके प्रदेश आन्ध्र प्रदेश के भाई यह समझा करते थे कि मद्रास भूखा मरेगा। मद्रास आन्ध्र के कदमों में गिरेगा। जो कुछ वहां हुआ, वह सब आपने देखा। छोटी सिंचाई योजना की वजह से वे अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। दूसरी तरफ, हमारा पंजाब प्रदेश है, हरियाणा है जिसका पानी, जमीन के नीचे बहुत स्थानों पर खारा है। वित्तमंत्री जी प्रदेश का पानी, जमीन के नीचे मीठा है। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के प्रदेश में भी जमीन के नीचे पानी मीठा है। अगर 700 करोड़ रुपये के ट्यूबवेल वहां गाड़ देते और छोटी सिंचाई की योजना को बढ़ावा देते तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम 2-4 साल के बाद अनाज का कभी घाटा नहीं रहता।

अभी आपने देखा कि कपास के भाव बाजार में गिरे। यहां तक गिरे कि कपास के लिए सरकारी जो कौटन कारपोरेशन है उसको कपास खरीदने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये चाहिये थे। दिए गए सिर्फ 10 करोड़ रुपये। नतीजा यह हुआ कि जो साहूकार मिडलमैन थे, उसने कपास खरीदा। हालांकि 104 सरकारी कारखाने हैं और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिए कपास चाहिए थी। वह भी सरकारी अदारा है, उसको भी सरकार ने, रिजर्व बैंक ने पैसा देना ठीक नहीं समझा। उन्होंने समझा कि यहां पैसे का प्रसार हो जाएगा। पैसे का प्रसार नहीं हुआ, बल्कि साहूकार की जेबों का प्रसार जरूर हो गया।

वह भाई जिसने सस्ती कपास खरीदी थी, अब मंहगी बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। जो हमारे वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ हैं वे देश को क्या इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभी हाल की बात है, आलू का भाव गिरा 18 रुपये क्विंटल तक। उत्तर प्रदेश के भाव रहे, और दूसरी तरफ गुजरात में लोग भूख से मरते रहे। फूड कारपोरेशन है जिसको 1 हजार करोड़ रुपया दिया गया, अगर वह 10 करोड़ रुपये के आलू खरीद कर गुजरात में भेजता तो गुजरात में भूखे लोग जो हैं उनको राहत मिलती। जो भाई आलू पैदा करते थे उनको मदद मिलती। लेकिन, वह नहीं किया।

उपसभाध्यक्ष जी, उसी तरह से आप जानते हैं कि सरसों के भाव गिरे। सरसों के तेल को वनस्पति के कारखाने इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह कहा गया। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कि सरसों के तेल से जो वनस्पति बनेगा कोई नुकसानदेह होगा, बल्कि इसलिए सस्ते भाव पर कुछ भाई तेल खा सकेंगे। इस प्रकार से जो भाई सरसों पैदा करते हैं, वे तो भूखो मर जायें। लेकिन, दूसरे लोगों को फायदा मिलता रहे, यह ठीक बात नहीं है। एक तरफ सरसों पैदा करने वालों को पूरी कीमत न मिले, और वह साढ़े तीन सौ रुपये के भाव गिर कर दो सौ रुपये क्विंटल तक जाए और दूसरी तरफ लोग वनस्पति घी भी न बना सकें तो यह बात समझ में नहीं आती कि यह किस प्रकार की योजना है, कौन-सी सोच या विचार है।

आज हमारे देश में इस प्रकार की हालत पेदा हो गई है। जो भाई खेतों में काम करते हैं या जो मजदूरी करते हैं उनको राशन की चीनी नहीं मिल सकती है और उनको राशन का सस्ता अनाज नहीं मिलता है। लेकिन, हमारे मंत्रालयों के जो सचिव हैं या जो बहुत बड़ी तनख्वाह लेते हैं, उनको राशन पर सस्ती चीनी मिलती है, राशन का सस्ता अनाज मिलता है।

यद्यपि, हमारे देश को आजाद हुये 27 साल हो गये। लेकिन, आज भी ऐसा लगता है कि कुछ भाइयों को मत देने का अधिकार नहीं है। यद्यपि हमने उनको मत देने का अधिकार विधान में दिया हुआ है। हमने ग्रामीण मजदूर को मत देने का अधिकार दिया है। लेकिन, हम उसको सस्ता राशन

नहीं देते हैं। एक किसान और मजदूर जो स्वयं खेतों में काम करते हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। लेकिन, उनसे देहात के आम आदमी को फायदा नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की नीति कब तक चलेगी ?

आज अन्य लोगों की तरफ से तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है। बैंकों और एल.आई.सी. के चपरासी को भी छः सौ और सात सौ रुपये तनख्वाह मिलती है। यह ठीक है कि जो लोग सरकार का कामकाज करते हैं उनको रहन-सहन के लिये तनख्वाह मिलनी चाहिये। लेकिन, यह बात भी सही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये।

मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि जिस चीज से हमारी जेबों पर असर पड़ता है उसका हम विरोध करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं और उनकी दर हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वे सरकार को रुपया दे सकें। जब उन्होंने बिजली की दर को महंगा किया उनके लिये जो थोड़ी बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनको उचित पैसा नहीं मिल सका। अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले की दर बढ़ायी नहीं जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो भेदभाव की नीति है, इसको वित्त मंत्रालय जल्दी समाप्त करे।

मैं यह भी मानता हूँ कि पिछले 27 सालों में बहुत से काम हुए हैं। देहातों की भी उन्नति हुई है, किसानों की स्थिति भी बदली है और मजदूरों की स्थिति भी बदली है। लेकिन, जितनी तेजी से उन्नति होनी चाहिये उतनी नहीं हुई है। यह इसलिये कि हमारे नीति निर्धारित करने वाले भाई हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, वे अपने पेट के और जेबों के ही फे र में रहे हैं। इसलिए, वित्तीय अवस्था नहीं सुधरी है।

विश्वविद्यालय शिक्षा का केन्द्र रहें, हिप्पी बनने का नहीं*

{राज्य सभा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर बीस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने विश्वद्यिालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाया जिनमें हिंदुस्तान की सभ्यता का कोइ नामोनिशान नहीं दिखाई देता है। उन्होने प्रश्न उठाया कि जो छात्र मां-बाप का इतना पैसा खर्च करके और स्कूलों में क्या सीखते हैं? -सम्पादक ।}

————————

उपसभाध्यक्ष जी, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर जो चर्चा शुरु हुई, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जबसे यह आयोग बना, तब से देश में विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ी। देश में महाविद्यालयों की भी तादाद बढ़ी और उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों की भी तादाद बढ़ी। लेकिन, मंत्री जी मैं यह कहूँगा कि जो शिक्षा उन्हें मिली, वह शिक्षा कैसी है?

जिन विश्वविद्यालयों को हम अनुदान दे रहे हैं वे हिन्दुस्तान में कैसे नौजवान पैदा कर रहे हैं? आया उनके जीवन में हिन्दुस्तान की सभ्यता का कोई नामोनिशान बाकी रह गया है या सब हिप्पी बन गए हैं। अनुशासन जैसी चीज, जो भारत की सभ्यता में थी वह बाकी रही है या नहीं? अगर अनुशासनहीन स्नातिका, स्नातक पैदा किए तो वह देश की सेवा सही नहीं कर पायेंगे। वे देश

**Parliament Debates, Rajya Sabha, Official Report, Vol. LXXXIX, 4th August, 1975, Page 97-103*

के हितों के खिलाफ जायेंगे। बेकारों की तादाद तो बढ़ी ही है। मुझे याद है कि आज बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री बोले और पहले भी बोलते रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा शिक्षा शास्त्री इस बात के ऊपर जोर देते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के इंतजाम में वह खुद मुख्तियार रहना चाहिए। सरकार की दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, वे यह भी मानते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में कोई कानून के खिलाफ बात हो तो भी पुलिस हस्तक्षेप न करे। वह प्रवेश तब करे, जब वाइस-चांसलर उन्हें इसकी इजाजत दें। लेकिन, उस वक्त तक पुलिस विश्वविद्यालय में नहीं आ सकती है। इस प्रकार की स्थिति हिन्दुस्तान में चल रही थी।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान पुराने जमाने में एक ऐसा देश था, जहां पर शिक्षा का सबसे अधिक प्रसार था। पुराने जमाने में दरखत या वृक्ष के नीचे बैठकर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस जमाने में हिन्दुस्तान की सभ्यता के मुताबिक स्नातक पैदा किए जाते थे। उन दिनों के विश्वविद्यालय भूखे लोगों को नहीं पैदा करते थे, अनुशासनहीन लोगों को नहीं पैदा करते थे। पुराने जमाने के शिक्षक विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाते थे। लेकिन, आज हमारे स्नातकों को अनुशासनहीनता सिखाई जा रही है। जो बच्चे जब तक कालेज या विश्वविद्यालय में नहीं जाते हैं तब तक अपने माता-पिता का हुक्म मानते हैं। लेकिन, जैसे ही बच्चे यहां विद्यालय, विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं वे अपने मां-बाप का हुक्म नहीं मानते हैं।

आज हम अपने विश्वविद्यालयों को लाखों करोड़ों रुपए अनुदान के रूप में देते हैं। हमारे अन्दर यह भावना चल गई है कि विश्वविद्यालय में किसी किस्म की दखल-अन्दाजी न की जाये। क्या यह सही विचार है? अगर हम हिन्दुस्तान के पिछले 29-30 साल का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि यह भावना बिलकुल गलत है। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यही कारण है कि जिस तरह से हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों में आपातकालीन स्थिति में तबदीली आ रही है, जिस तरह तेजी से उनमें कई मामलों में परिवर्तन आया है, उस तरह की तबदीली या परिवर्तन हमारी शिक्षा संस्थाओं

में नहीं आया है। अभी सम्मानित सदस्य, गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में यूनियनें बनाई जाती हैं। इसी तरह की बात चौधरी साहब भी कह रहे थे कि विश्वविद्यालयों में अनेक किस्म की पार्टीबाजी चलती है।

हमारे देश में होना तो यह चाहिए था कि जो लड़के-लड़कियां विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जायें, वे किसी प्रकार की राजनीति में न पड़ें और सुयोग्य और लायक नागरिक बनें। लेकिन, वे लोग यूनियनों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। आज हालत हमारे देश में यह हो गई है कि जिसने भी इसकी मुखालफत की, जिसने भी यूनियनों के बारे में खिलाफ बात कही, उसको इस देश में प्रोग्रेसिव नहीं माना गया। इस देश में प्रोग्रेसिव वही है जो स्टूडन्ट्स यूनियन की आवाज उठाता है, स्टूडेन्ट्स यूनियन की बात की ताईद करता है। आप दिल्ली की स्टूडेन्ट्स यूनियन की बात भी जानते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले जो उपकुलपति थे, वे मेरे गाँव के रहने वाले थे। मैंने एक दफा उनसे मजाक में कहा कि डाक्टर साहब आप तो पहले कहा करते थे कि राजनीतिक लोग ही विश्वविद्यालयों में झगड़ा खड़ा करते हैं। मुझे बताइये कि सन् 1966 के बाद हमारे विश्वविद्यालयों में जो कुछ हो रहा है और जो आपके शिक्षा शास्त्री हैं उनकी अक्ल के दिवालियेपन का क्या कारण है? उन्होंने कहा कि मैं अपने शिक्षकों से कहता हूँ कि जिस रोज उन्हें मां-बहन की गाली मिले, उस रोज वे भगवान् का शुक्र करें कि इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन, जिस रोज सिर पर जूते पड़ जायें तो उस रोज समझें कि आज कुछ-कुछ हुआ है।

यह उस हिन्दुस्तान की स्थिति है जहां पर गुरु की पूजा होती थी। पढ़ने के वक्त ही नहीं, पढ़ने के बाद भी जब वह बूढ़े हो जाते थे, तब तक भी गुरु के चरण छूते थे। आज विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में इतना पैसा दिया जा रहा है। लेकिन, हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी बनाये जा रहे हैं जो शिक्षकों को जूता मारते हैं। इसलिए, मैं कहता हूँ कि हमारी जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, वह सही शिक्षा-पद्धति नहीं है।

मैं आपको याददिहानी कराना चाहता हूँ कि 1966 में हिन्दुस्तान के बच्चों में किस तरह से अनुशासनहीनता आई थी? वह अनुशासनहीनता वकालत के इम्तिहान के झगड़े पर आई थी। यह बात दिल्ली से शुरू हुई। आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी केवल मैट्रिक पास थे। उन्होंने विलायत में बैरिस्टरी पढ़ी थी। उन्होंने तीन साल का कोर्स नहीं पढ़ा था। जैसा उन्होंने हिसाब लगाया कि 14 साल तो बी.ए. तक लग जाता है और इसके बाद तीन साल वकालत पढ़ने में लग जाते हैं। इस तरह से 17 साल के बाद एक लड़का वकील बनकर आता है। हमारे पूज्य नेता सरदार पटेल भी मैट्रिक तक पढ़े थे। उन्होंने भी बैरिस्टरी पास की थी। वे भी विलायत से ही पढ़कर आये थे। आजकल जो लड़के 17 साल तक पढ़ने के बाद, वकालत करते हैं, उनमें कुछ भी लियाकत नहीं होती है। वे लोग मां-बाप का इतना पैसा खर्च करते हैं, खाने-पीने में काफी पैसा उड़ाते हैं और स्कूलों से क्या सीख कर आते हैं? यह आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किसी तरह की कोई अर्जी देनी आती है, न कोई पत्र लिखना आता है। जो वकालत पास करके आते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं आता है। यह कोई पढ़ाई का तरीका है? इस तरह का सिलसिला आजकल हमारे देश में चल रहा है। इन लड़कों ने तीन साल की पढ़ाई की बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। यह सिलसिला और विश्वविद्यालयों में भी शुरू हो गया। हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ जो सस्ती राजनीति में यकीन करते हैं, उन्होंने समझा कि यह हम लोगों को एक अच्छा साधन मिल गया है और इसी वजह से वे लोग यूनियनों में घुस गए। इस तरह से उन्होंने वहां जाकर राजनीति को बढ़ाया और हिन्दुस्तान की सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की।

मैं आज शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि इम्तहान का जो यह तरीका है, क्या यह सही तरीका है? दसवें दर्जे का बच्चा किताब देखकर इम्तहान नहीं दे सकता है। अगर किताब देखता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जो डाक्टरी का इम्तहान देता है, वह किताब से नकल करता है। यह सोचने की बात है कि पैसा देकर डाक्टरी थीसिस

लिखने वाला क्या डाक्टर हो सकता है?

हमारे देश में जो शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं, वे पुराने जमाने की सोच के चले आ रहे हैं। अब देश की शिक्षा की बागडोर उन शिक्षा शास्त्रियों के हाथों में सौंप देनी चाहिये जो देश को आगे ले जा सकते हैं और बदलते हुए जमाने के साथ देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो एक रामजस कालेज था जो पहाड़ी के पास था। दूसरा कश्मीरी गेट के पास हिन्दू व मिशन कालेज था। अब पता नहीं किस समझदार आदमी ने दिल्ली के सब कालेजों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज कालेजों में जाने के लिए लड़कों को बसों में जगह नहीं मिलती है। उन्हें काफी समय तक के लिए बसों का इन्तजार करना पड़ता है, जिसके कारण बसें जलाई जाती हैं।

हमारा देश गरीब है और मां-बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। एक जगह पर जब कालेजों के होने का नतीजा यह हो रहा है कि किसी ने कोई चिन्गारी फूंक दी तो सारा देश जल उठता है। इस तरह से जिस आदमी ने भी एक जगह पर कालेजों को रखने की सलाह दी है, वह गलत दी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सारी चीज के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये। इसके बारे में पता लगाया जाना चाहिये कि किस समझदार शिक्षा शास्त्री ने सारे कालेजों को एक ही जगह पर रखने की सलाह दी है?

इसी तरह से जो हमारे सेक्रेटेरिएट का कम्पलेक्स है, उसको भी एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। किस समझदार आदमी ने इस तरह की सलाह दी कि सारे कम्पलेक्स को एक जगह पर रख दिया। यह तो देश को तबाह करने वाली सलाह है। जब पांच बजे दफ्तर खत्म होता है तो सात बजे तक लोगों की बसों के लिये लाइन लगी रहती है। बसों की इन्तजार में लोग खड़े रहते हैं। अगर यह कम्पलेक्स जगह-जगह पर बना दिया जाता, तो सिर्फ

डाकखाने का ही खर्च ज्यादा होता। सरकार का और जनता का खर्चा तो इतना नहीं होता। अगर इसके कुछ हिस्सों को रोहतक ले जाये जाता तो उसमें किस तरह से सरकार को घाटा होता? किसी दूसरे को और जगह ले जायें। यहां एक फौज की छावनी खड़ी कर रखी है और उसका परिणाम है कि जब भी एक नारा दिया गया, सब एक जगह आ जाते हैं। आज वेतन पाने वालों का एक युग आ गया। चाहे वह बीमा कम्पनी के हों या किसी दूसरी जगह के हों, चाहे कहीं काम करते हों। जब तक यह आपात्कालीन स्थिति नहीं आयी थी, तब तक उनको पता नहीं लगा कि उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने इस देश की ईंट से ईंट भिड़ाने की कोशिश की है। यह एक समस्या थी जो हमारे सलाहकारों की वजह से खड़ी हुई। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे सलाहकारों की वह छुट्टी कर दें। देश की हालत को जो समझते हों ऐसे शिक्षा शास्त्रियों को वह साथ रखें। विश्वविद्यालय बनें तो शहरों में नहीं, जितने गाँव हैं उनमें विश्वविद्यालय बनें। गाँव-गाँव में विश्वविद्यालय बनें तो इसमें मुझे एतराज नहीं। लेकिन, वह दिल्ली और दूसरे शहरों में न बनें। जो इकट्ठा एक छावनी बनायी जाती है, इस ख्याल को हम छोड़ें। अनुदान का तरीका बदलें। जिस कालेज में हिप्पी बच्चों की ज्यादा तादाद हो, उसको कोई अनुदान न दिया जाये। जो अनुदान देने वाले हों, वह कालेज की बिल्डिंग देखकर अनुदान न दें, बल्कि यह देखें कि उस कालेज के बच्चे कैसे हैं। वह कालेज हिप्पी बच्चे तो नहीं बना रहा है? अगर कोई कालेज या स्कूल हिप्पी बच्चे बना रहा है, तो उसको अनुदान की फूटी कौड़ी नहीं देनी चाहिए। हमारा हिन्दुस्तान गलत रास्ते पर चला गया था, उसे छोड़कर जब हम सही रास्ते पर आयेंगे तभी हम देश को आगे ले जा सकेंगे।

संविधान बनाते वक्त अंग्रेजी राज की गलतियां जुड़ी रह गईं*

{राज्य सभा में जब संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक 1976 पर बहस हुई उसमें 11 नवम्बर, 1976 को भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने प्रश्न किया कि देश का संविधान बनाने में वे लोग आगे थे जो हिंदुस्तान की गरीब जनता में से थे तब भी इसमें इतने संशोधन क्यों करने पड़े? स्वयं ही जवाब देते हुए उन्होंने अपना मत जाहिर किया कि हमने अंग्रेजी राज को हटा दिया किन्तु अंग्रेजी राज की भाषा और अंग्रेजी राज के तरीकों को अपने संविधान में रहने दिया। उन्होंने आगे कहा कि जितनी तेजी से देश तरक्की कर सकता था वह क्यों नहीं कर सका इसका एक कारण यह है कि वे जो कानून बनाने वाले कानूनदां हैं, वे अंग्रेजी सभ्यता व भाषा को ही याद रखते हैं वे हिंदुस्तान की तरक्की में रोड़ा रहे हैं और दूसरे ये अंग्रेजी राज के तरीकों हैं। इन तरीको को जितना जल्दी हम छोड़ेंगे, उतनी ही देश की भलाई है।-सम्पदाक ।}

————————

उपसभापति जी, इस सदन में ऐसे सदस्य जिनको संविधान सभा का सदस्य रहने का अवसर मिला और उसके बाद में जो संशोधन आये थे उनके संबंध में किसी न किसी जगह कुछ बोलने का जिनको अवसर मिला, ऐसे दो ही सदस्य है। एक तो हमारे इस सदन के नेता माननीय श्री कमलापति

**Rajya Sabha, Constitution (Forty-fourth Amdt.) Bill, 1976, 11 Nov. 1976, Page 68-76*

त्रिपाठी जी है और दूसरा मैं हूँ। दो सदस्य हमारे साथ और संविधान सभा में थे, जिनमें से एक आन्ध्र प्रदेश के श्री केशव राव जी हैं, जो इस समय सदन के सदस्य है और दूसरे उत्तर प्रदेश के श्री भगवानदीन थे। हम लोगों ने बहुत से संशोधन संविधान में किये। मैं समझता हूँ कि संविधान बनाने वालों में वे लोग सबसे आगे थे, जो हिन्दुस्तान की गरीब जनता में से पैदा हुए थे और उनमें डा. बी. आर. अम्बेडकर भी एक थे। लेकिन, इसके बावजूद इस संविधान में इतने संशोधन क्यों किये गये? इस बारे में भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं। मेरा विचार तो यह है कि हमने अंग्रेजी राज्य को हटा दिया, लेकिन, अंग्रेजी राज्य की भाषा और अंग्रेजी राज्य के तरीकों को अपने संविधान में छोड़ा नहीं (रहने दिया)। हमने इस बारे में।--मैंने नहीं, मैं तो वकील नहीं हूँ, कभी वकालत नहीं की--लेकिन, हरियाणा के जो पहले सदस्य थे, जिन्होंने 1885 में जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनी थी, उस वक्त उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, लाला मुरलीधर जी वकील थे और वह एक माने हुए वकील थे, उनकी राय जो विधि संहिता इस देश में है, उसके बारे में क्या थी? उसको कुछ समय बाद अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा।

मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जितनी तेजी से हम तरक्की करना चाहते थे, वह तरक्की क्यों नहीं हुई? मैं मानता हूँ कि इसके लिये दो-तीन प्रकार के लोग हैं, जो इस किस्म की तरक्की के रास्ते में रोड़ा रहे हैं। विधि मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, विधि मंत्रालय से भी मैं माफी चाहता हूँ। एक तो ये जो कानूनदां है, जो वकील हैं, वे हिन्दुस्तान की तरक्की के रास्ते में रोड़ा रहे हैं और दूसरे अंग्रेजी राज के जो तरीके है वह रहे हैं। वे बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई है और वह बहुत आले दर्जे की निकली। लेकिन, मुझे दुख है क्योंकि, उसमें तमाम वकील थे, इसलिए, देश की जरूरत क्या है? इसको वह सोच नहीं सकते थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मोतीलाल जी, गाँधी जी, जवाहर लाल जी, सरदार पटेल और श्री अम्बेडकर भी वकील थे।

श्री रणबीर सिंह : पंडित जी ने जो कहा वह मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू बैरिस्टर थे, महात्मा गाँधी जी भी बैरिस्टर थे। लेकिन, ये लोग जब देश की लड़ाई लड़ने लगे तो इन्होंने बैरिस्टरी भुला दी, जनता की बात को याद रखा। जनता के विचारों को, जनता की जरूरतों को आगे रखा। लेकिन, हमारे जो विधि, कानून बनाने वाले भाई हैं, जो इसमें दखल रखते हैं, वे अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी भाषा को ही याद रखते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा एक नहीं है, चौदह हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे प्रदेश में पैदा हुआ, जिसकी भाषा देश की राजभाषा मानी गई। लेकिन, मैं यह कहता हूँ कि हमारी राजभाषा एक नहीं हैं। बल्कि 14 राजभाषाएं हैं। 14 राजभाषाओं में हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहां अगर, तेलुगु चले, तमिल चले या किसी भी अन्य भाषा में कार्य चले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन, अंग्रेजी में नहीं चलना चाहिए। यह जो हमारे कायदे कानून हैं, वे हमारे देश की जरूरत के मुताबिक हों और ऐसे कायदे-कानून हम न बनायें जो अंग्रेजी तरीके से चलते हों। इनको हम जितना जल्दी छोड़ेंगे, उतनी ही देश की भलाई है।

इस सिलसिले में उपसभापति जी, मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जिन्होंने, इस देश को आजाद कराया, उनका निधन हुआ और कातिल मौके पर गिरफ्तार हुआ। लेकिन, चूंकि कानून अंग्रेजी तरीके के थे, इसलिये, कातिल को तत्काल फांसी पर नहीं लटकाया जा सका। दो-तीन साल यों ही खत्म हो जाते हैं। अदालत बैठेगी, बहस होगी और इसका कोई पता नहीं कि वह छूटेगा कि नहीं। यह सब होता है।

सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो हिन्दुस्तान के एक प्रदेश को बनाने वाले थे, उनके कातिलों को सजा या मौत तो मिली। लेकिन, फांसी पर लटकाने के लिये दो साल लग गये। इतने सब अनुभवों के बावजूद, विधि मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय से माफी चाहता हूँ कि इनकी कार्य प्रणाली वही विदेशी है और इसीलिये, हमें इसे तब्दील करने पर.....

श्री ओम मेहता : श्रीमन, गृह मंत्रालय का इसमें क्या कसूर है जो

कलप्रिट होता है, उसको पकड़ लिया जाता है और सौंप दिया जाता है। यदि उसको जल्दी सजा नहीं होती है तो इसमें हमारा क्या कसूर है?

श्री रणबीर सिंह : गृहमंत्री महोदय से माफी चाहता हूँ। यह गृह मंत्रालय की जिम्मेंदारी है देश में इन्तजाम करना। इस इन्तजाम को करने के बाद भी एक आदमी का सारा सामान लूट लिया जाये, वह चोर पकड़ा जाये, सामान मिल जाये तब भी उसे साबित करना है, यह कोई तरीका है

श्री एच. आर. गोखले : श्रीमन इस झगड़े को मिटा दूं। मैं मानता हूँ कि सब कसूर हमारा है।

श्री रणबीर सिंह : मेरा गोखले जी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन, मैं मानता हूँ कि देश को सही रास्ते पर लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर, मेरा यह सुझाव मान ले तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अंग्रेजी छोड़ दें, अंगेजी कानून का तरीका छोड़ दें। इस देश का जो पुराना तरीका रहा, उपसभापति जी, आप जानते हैं। हमारे देश में तमाम हिस्सों में पंचायत मानी जाती है। पंचायत में झूठ बोलना पाप है, कभी पंचायत में बैठ कर कोई हिन्दुस्तानी झूठ नहीं बोलता था। दूसरी तरफ, कहते हैं कि अदालत में सच बोलना पाप है, अदालत में सच बोलना गलती है तो यह सिखाया है अंग्रेजी तरीके के इन्साफ ने हमारे देश को। इसी सिलसिले में जैसा मैंने कहा- में लाला मुरलीधर जी की राय पढ़ना चाहता हूँ। मुरलीधर जी अम्बाला के रहने वाले बहुत बड़े नामी वकील रह चुके। सन् 1885 में बम्बई में (होने वाले) पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जल्से में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा :

"Lala Murlidhar described the judicial system calling it costly and unsuitable and foreign to the Indian temperament-"

टेम्परामेंन्ट का बड़ा जिक्र, बड़ा झगड़ा था कल। में विधि मंत्री जी से टेम्परामेंन्ट की ही बात करता हूँ :

"According to him, litigation was completely unsuitable and alien to the Indian system of living and was one of the chief reasons that led to their moral and material decay. Millions who would otherwise have remained honest and truthful men became rogues and professional liars. He was of the opinion that these courts of justice were merely constituted to loose the poor Indians and to swell the pockets of the Britishers."

Now those who have replaced Britishers-I do not want to say anything. He goes on to say :

Those who ever went to seek justice with their pockets full were reduced to paupers for the fees stamps and legal charges of innumerable kinds-to say nothing of bribes-were levied heavily on them. Obviously the system of judicature was injurious to the health of the nation and helped starve the people.

मैं जानता हूँ कि 1885 में लाला मुरलीधर ने जो बात कही थी, वह आज हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद हमारा अपना संविधान और अपने कानून बनने के बाद भी, उतनी ही सत्य है। आज गरीब के लिये यह कहा जाता है कि उसको मौका मिलता है। इसलिए, कि जजेज के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट तक कौन पहुंच सकता है? हाईकोर्ट तक कौन पहुंच सकता है? हिन्दुस्तान का गरीब नहीं पहुंच सकता है। वहां पहुंचते हैं, वकील, पैसा लेने के लिए, वहां पहुंचते हैं, साहूकार, गरीब को लूटने के लिए। यह तरीका गलत है क्यों मैंने ऐसी कड़वी बात कही? क्योंकि, जिस वक्त संविधान में तब्दीली करने की बात सोची गई थी तब तो वहां 2 अनुच्छेदों के बारे में काफी जिक्र था, एक 226 और एक 311। अनुच्छेद 226 के मुताबिक हाईकोर्टस की कुछ शक्ति छीन लेने के बारे में था। हम मानते थे कि इस शक्ति में देश में न्याय को खत्म किया। दूसरा अनुच्छेद 311 था। संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना, इसके बारे में-

अधिकार अदालत को है, वह हमारा बड़ा ख्याल था। देश की तरक्की को रोका है। हमने सारे देश में कोने-कोने में प्रचार किया था कि इन दो अनुच्छेद की वजह से देश की तरक्की में रोड़ आया। इसलिए, उनको हटाया जाए। भूपेश गुप्त जी ने सबसे पहला गिला किया था कि कोई बात सलाह करके नहीं मानी गई। मुझे गिला है कि इतनी सलाह किया वकीलों से और जजों से और नतीजा हुआ कि हम वही के वहीं जाकर सब खड़े हो गए। वही का वही अनुच्छेत 226 और 311 है।

आई.जी. चाहे जो करे, आई.ए.एस. अफसर चाहे जो करे, उसकी कोई पदच्युति नहीं हो सकती। वह अदालत में जा सकता है। जिसके पास पैसा है वह रिट दायर कर सकता है और जज उसको स्टे आर्डर देगा। जहां से हम चले थे वहीं पहुंच गये। मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ही हमको तब्दीली करनी होगी।

उपसभापति जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। भूपेश गुप्त जी यहां नहीं है। उन्होंने पंडित जवाहर लाल जी के विचारों की याद दिलाते हुए चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र किया। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि पिछले चन्द दिन पहले एक पार्लियामेंटरी डेलीगेशन सोवियत रूस गया था, उसमें मैं भी सोवियत रूस गया था। हमारे साथ सी.पी.आई. के एक और सदस्य थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पहुंचकर कुछ देखा, कुछ बदले, कुछ समझे? मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपने सावियत रूस को कुछ देखा, कुछ समझे, कुछ बदले? वह हंस पड़े कि हमें क्या समझना है? मैंने कहा कि भाई मेरे, मुझको बताओ कि जहां सरकार का संगठन हो, लोगों का इन्तजाम हो, वहां क्या कोई हड़ताल कर सकता है? क्या वहां बन्दी हो सकती है? कहीं पर रेल बन्द की जा सकती है? कहीं कोई रेल का पहिया जाम करने की बात कर सकता है? इतना बड़ा उनका इतिहास है, वह उसे नहीं पढ़ेंगे। मैंने मजाक मैं उनसे कहा कि आप हमारे देश को यह सिखाना चाहते हैं कि एक हेक्टेयर में खेती हो सकती है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि सोवियत रूस में कहीं भी एक हेक्टेयर में खेती होती हो? वहां बड़े-बड़े खेत हैं। मैं मानता हूँ कि

सोवियत रूस से अगर, किसी को शिक्षा लेनी है तो वह चौधरी बंसीलाल को नहीं लेनी है, वह शिक्षा लेने की आवश्यकता है भूपेश गुप्त जी को और उनकी पार्टी के सदस्यों को। उनको सावियत रूस जाकर उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने देश को बनाया है। वहां से सीख कर आना चाहिए कि कर्मचारियों को हड़ताल करने को नहीं उकसाना चाहिए। कहते हैं कि यह सदन सर्वशक्तिशाली है और ऐसा कहते हुए कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार दिलाना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए उनके दिमाग में भावना यह रहती है कि किसी तरह से रेल का पहिया जाम हो। अगर, वे ऐसा नहीं कहे तो उससे रेल कर्मचारी नाराज हो जाएंगे। लेकिन, इस देश में और गार्ड भी तो है। उनकी नाराजगी की फिक्र उनको क्यों नहीं होती ? उनको केवल उन कर्मचारियों की फिक्र है (समय की घंटी बजती है।) में एक ही मिनट और लेना चाहता हूँ। उपसभापति जी, हमारे देश के संरक्षक कौन है ? वह जो 17 हजार फुट की ऊंचाई पर बैठा हुआ है, जिनकी वजह से आज देश आजाद है। वह हमारी फौज का जवान है वह हमारी पुलिस के जवान है। लेकिन, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है और जो हमारे जीवन बीमा निगम का चपरासी है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है ? उसे साढ़े सात सौ रूपये तनख्वाह मिलती है। जो बैंक का चपरासी है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है ? और वहां का जो सुप्रीटेंडेट है उसको डिप्टी कमिश्नर से, एक आई.ए.एस. से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।

चाहे रेल का चालक हो या हवाई जहाज का चालक हो, भले ही उसे पांच हजार रूपये तनख्वाह मिलती हो उसके बाद भी वह हड़ताल करता है। सी.पी.आई. के भूपेश गुप्त की और उनकी पार्टी जो उनके समर्थन में खड़ी होती है। उनको मैं मानता हूँ कि सोवियत रूस से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। उनको जानना चाहिए वहां रह कर कि अगर, किसी को संरक्षण देने की आवश्यकता है। एल.आई.सी. के चपरासी को नहीं, स्टेट बैंक के कर्मचारियों को नहीं बल्कि उसको संरक्षण देना चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए बर्फ में बैठा है, उसकी हमें आमदनी बढ़ानी चाहिए। उस किसान की मदद करनी

चाहिए, जो भले ही बर्फ पड़ रही हो या पानी नहीं बरस रहा हो वह रात में जाग–जाग कर भी अपना काम करता है और देश के लिये अन्न पैदा करता है। उस गरमी में अपने खेत में जाकर काम करता है, जिस गरमी में उनके पास कोई सी.पी.आई. का कार्यकर्ता नहीं जाता, जो उस गर्मी में अपने खेत पर काम करता है। उस किसान के लिये लड़ो, न कि एक एल.आई.सी. के चपरासी के लिए लड़ो। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ, इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

राजनीति का चेहरा नहीं बदला*

{देश में आपातकालीन स्थिति की समाप्ती पर वर्ष 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय राज्य सभा में विपक्ष की भूमिका में रहे चौधरी रणबीर सिंह ने सदन में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पेश आम बजट-1977-78 पर बहस में भाग लेते हुए नये परिप्रेक्ष्य में सवालों को रखा और कहा कि राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव का ध्यान में रखकर सरकार ने बजट पेश नहीं किया ताकि जनता पार्टी का चेहरा देश के सामनं दिखाना नहीं चाहते थे। इसे अब रखा है।-सम्पादक ।}

————————

उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री महोदय ने जब काम चलाऊ बजट पेश किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि उन्होंने समय बहुत कम होने की बात कही थी। लेकिन, मैंने जिक्र किया था कि आज के वित्त मंत्री बहुत तजुर्बेकार है और उनको सरकार चलाने और उनको सचिवालय का इतना तजुर्बा है कि वे एक दो दिन में ही देश का बजट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। पहले ही कागज तैयार थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आज वह साबित हो गया कि उन्होंने स्टेट ऐसेम्बिलयों के चुनाव के पहले बजट को पेश नहीं किया। इसीलिए, नहीं किया कि यह अपना चेहरा, जनता पार्टी का चेहरा देश के सामने दिखाना नहीं चाहते थे। आज पता लगा कि जनता पार्टी का चेहरा क्या है? वह मानते हैं कि जनता के ऊपर टैक्स जरूर होना चाहिए और मानते हैं

**Rajya Sabha, Budget (General) 1977-78 - General discussion., 22 June 1977, Page 195-207*

कि गरीब आदमी ही जनता है। इसलिए, जो उस वक्त पूरा बजट पेश नहीं किया गया, वह चुनाव के जीतने की एक चालाकी थी और होशियारी थी। वे उसमें कामयाब हो गये। लेकिन, चुनाव तो आये पांचवें छठे साल आयेंगे ही। उससे पहले भी हो सकते हैं। चूंकि ये तो घटकों में काम करते हैं। जनता पाटी कोई पार्टी नहीं है। कल ही भानु प्रताप सिंह जी बोल रहे थे। पटेल साहब यहां हाजिर नहीं थे। अभी चौधरी जगबीर सिंह जी से मैंने जिक्र किया था कि कभी हम भी उधर बैठ कर बोलते थे और आप इधर बैठकर बोलते थे। जरा मुकाबला कीजिये। कृषि की बात कही, देहात की उन्नति की बात कही। अगर, उसको आंसू बहाना कहे तो आपसे ज्यादा अच्छे आंसू बहाते थे, आपसे ज्यादा जोरदार तरीके से बात करते थे। कल तो यहां वित्त मंत्री महोदय भी नहीं थे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे और शायद उनको डर यह था–एक तरफा सौदा नहीं था ?, दो–तरफा सौदा था––कि कृषि की दुहाई देने वाले जो लोग अपने आपको बी.एल.डी. और बी.के.डी. कहते थे और जनसंघ के हमारे भाई दोनों घटकों ने मिलकर प्रदेशों की सरकार जनता पार्टी के नाम से बनाई है।

यह उस डर की वजह से जोरदार कृषि व देहात की तरक्की की बात नहीं कही और फिर कहते हैं कि हम देश की तरक्की करना चाहते हैं। देहात की तरक्की करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, वित्त मंत्री महोदय किसान के घर पैदा हुए, गुजराती किसान के घर में पैदा हुए। लेकिन, भगवान ने उनको मौका दिया देश का एक बहुत बड़ा अफसर बनने का। उन्हें कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों का तजुर्बा है। जब वह सचिव थे, मेरा लोक सभा सदस्य के नाते उनसे वास्ता पड़ा और पंजाब में और हरियाणा में जब हम मंत्रीमण्डल में काम करते थे, उस वक्त भी उनसे वास्ता पड़ा। अभी पूर्ववक्ता चौधरी जगबीर सिंह जी ने कहा कि इसमें तरक्की के लिए बहुत सी बातें कही गईं हैं और जब मैंने कहा कि यह शुरूआत भी नहीं है तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे अखरता है।

मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अखरता नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां आपने बहुत सारे कमीशन बनाए हैं, वहां जरा मेहरबानी करके इन दोनों सदनों में से कुछ सदस्यों को लेकर एक समिति बनाओ और पता लगाओ कि देश के हर हिस्से में किस तरह से तरक्की हुई है। हमने आंसू नहीं बहाये। पंजाब, जिसमें इतना अनाज पैदा नहीं होता था जिससे कि पंजाब के रहने वालों का पेट भर सके। उनके लिए हमने देश के दूसरे हिस्सों से अनाज मंगाया। हमने पेसा खर्च किया और इसका नतीजा यह हुआ कि आज देश में जो अनाज बाजार में बिकता है और जो हमारे देश में पैदा होता है, उसका 75 फीसदी हिस्सा आज पंजाब और हरियाणा से आता है।

मैं जानता हूँ कि ये भाई जो बहुत ज्यादा कहानियां कहने वाले है, बोलने वाले है, इन्होंने कमीशन बैठाया था, सरदार प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ, जिसने उस वक्त पंजाब को बनाया, आंसू बहाकर नहीं पैसा निकाल कर। हिन्दुस्तान की सरकार से कर्जा लेकर और हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के खिलाफ भी बैठाया, जिन्होंने यमुना के पानी को, 400 फुट ऊंचा सिंचाई के लिए जिसको कि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े नेता 10 फुट ऊंचा भी नहीं चढ़ा सके।

श्री जगबीर सिंह : बंसीलाल जी ने जब इतना काम किया है तो क्यों उनको बाहर निकाला गया, जरा रहम करते ?

श्री रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं आज राजनीति के ऊपर बहस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से कल मेरे लायक दोस्त आपके प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और आज के इस्पात मंत्री बीजू पटनायक साहब काम कर रहे थे, वह काम करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ बजट पर बात करूंगा। मैं कहता हूँ कि आप जाकर देखिए कि यह यमुना जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में से बहती है। उस यमुना के पानी को कितने फुट ऊंचा सीढ़ी लगाकर हरियाणा में चढ़ाया है और कितना फुट ऊंचा उत्तर प्रदेश में चढ़ाया है वड़ा आसान काम है कमीशन बैठाने का। जो सरकार बदलती है,

वह पिछली सरकार के ऊपर कमीशन बैठाया ही करती है। लेकिन, कमीशन अगर, बैठाना है तो देश की तरक्की के लिए बैठाया जाये। वह यह देखे कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश, जो कभी भूखा प्रदेश था, सूखा प्रदेश था, आज लहरा रहा है। देहात की तरक्की की दुहाई देने वालों से कृषि की उन्नति की दुहाई देने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि जरा मुकाबला करें यमुना के उस पार के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जहां यमुना का पानी 10 फुट ऊंचा भी नहीं उठाया गया और यमुना के इस पार के प्रदेश यानी हरियाणा का जहां यमुना का पानी 400 फुट ऊंचा उठाया गया।

सवाल यह पैदा होता है कि कैसे पैसा लिया गया और कहां से लिया गया ? आज तो आपकी हकूमत है चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से जब वे कांग्रेस पार्टी में थे, तब हम उनका समर्थन करते थे। आज भी मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दुस्तान के जो आयोजक विशेषज्ञ है या जो वित्त विषयों के विशेषज्ञ है, उनका खेती के ऊपर उतना ध्यान नहीं गया है, जितना जाना चाहिये था। यह भी ठीक है कि खेती के लिए जितने साधन जुटाये जाने चाहिये, उतने नहीं जुटाये गये हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में अब तक 12 हजार करोड़ विदेशी रूपए कर्ज लेकर खर्च किये गये और विदेशों का कर्जा है। लेकिन, इसके साथ ही लगभग इतना ही रूपया बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च किया गया है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बात के आंकड़े नहीं दिये है कि कितने करोड़ रूपयों का अनाज अब तक बाहर से मंगाया गया है। कल जब श्री बीजू पटनायक साहब बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि हमें रूपये की जरूरत है। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान को हमारे देश से चीनी भेजी जाती थी, उस वक्त हमारे यहां चीनी का भाव 40 रूपये मन था। लेकिन, पाकिस्तान में 10 रूपये मन हमारी चीनी बिकती थी। हम विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अपने देश में महंगी चीजें बेचते हैं। यही स्थिति आज चाय की भी है हमारे देश में चाय कितनी महंगी बेची जाती है और विदेशों को किस भाव पर दी जाती है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसी हालत में आज हमारी जनता पार्टी की सरकार कहती है कि

हम कृषि और देहात की उन्नति करना चाहते हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो इक्नोमिक्स पढ़ी है और जो मर्कन्टाइल इक्नोमिक्स पढ़ी है, उसको वे भूल जायें। अब उन्हें कृषि के अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर, कृषि शास्त्र के मुताबिक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे तो वे उस देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे।

इनकी आर्थिक समीक्षा कहती है कि कृषि के ऊपर टैक्स बहुत कम है, कितने अफसोस की बात है और कितनी गलत बात है कि इस प्रकार की बातें लिख दी जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर, चीनी के ऊपर उत्पादन शुल्क न हो और चीनी का निर्यात शुल्क न हो तो करोड़ों रूपया किसानों को मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बात का भी हिसाब लगाए कि चीनी के उत्पादन के ऊपर कितना उत्पादन और निर्यात शुल्क है, चाय के ऊपर कितना है और काफी के ऊपर कितना है, इससे देश को कितनी आय हुई ? यहां पर यही समझा जाता है कि सारा हिसाब बाबू लोग ही जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया है कि देहातों की तरक्की के लिए वे क्या कर रहे हैं ? मैं उनको याद दिलाना चाहात हूँ कि हिन्दुस्तान में 80 फीसदी लोग देहातों में रहते हैं। उन्होंने अपने भाषण मैं यह भी बताया है कि हमारे देश की आमदनी का 50 फीसदी भाग कृषि से आता है। इसके विपरीत उन्होंने यह भी बताया है कि कृषि व देहात की तरक्की के लिए जो रूपया खर्च किया जाएगा, वह 30 प्रतिशत के लगभग है। ऐसी हालत मैं यह बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग किस तरह से कहते हैं कि हम किसानों की तरक्की कर रहे हैं। कल श्री बीजू पटनायक जी ने कहा कि पिछले 30 सालों में कुछ नहीं हुआ है। उनके यहां हीराकुण्ड डैम है। उसको उन्होंने अवश्य देखा होगा। इसके अलावा जब वे उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और मैं पंजाब मंत्रीमण्डल में इरीगेशन और पावर मिनिस्टर था तो वे पंजाब में भाखड़ा डैम देखने के लिए भी आए थे। लेकिन, वे अब इन सब बातों को भूल गए हैं। आज उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे देश में अनाज

की पैदावार बढ़ी है और पिछले सालों में चीनी की पैदावार 10 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन तक हुई है। पिछली दफा इस देश में। 20 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ, जबकि पहले 50 मिलियन टन से कम था। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह तरक्की नहीं है तो क्या है? आप कहते हैं कि सरकार का ध्यान उद्योगों से खेती की तरफ मोड़ दिया है।

उन्होंने यह दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल योजना के ऊपर 10 हजार करोड़ रूपए खर्च हो गया है। मैं बीजू पटनायक साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह 10 हजार करोड़ रूपया घर से लाए है? क्या यह धनराशि वित्त मंत्री या अन्य दूसरे जनता पार्टी के मंत्री या जनता पार्टी के सदस्यों के घर से आया है? यह पैसा देश के साधनों से जुटाया गया है। पहले पांच साला योजना में 2400 करोड़ लगाए और इस देश को इस लायक बनाया कि एक साल में जनता पार्टी की सरकार का योजना का बजट दस हजार करोड़ रूपए का बन सका। यह है तरक्की जो पिछले 30 सालों में की है और जिसे यह जानना चाहते थे।

(समय की घंटी बजी।)

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूँ। कल मैं आपकी जगह बैठा था और मैंने देखा कि एक-एक घण्टे तक और 30-30 मिनट तक सदस्य बोले थे। परन्तु, जब देहात का समय आया तो आप घण्टी बजा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : आप तो चेयरमैन थे, आपको रोकना चाहिए था।

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके लिए उपसभापति जी ने एक सिलसिला रखा। वही मुझे रखना चाहिए और वही आपको रखना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किस तरह से देश की तरक्की हो सकती है ? यह जिक्र करते हैं कि पैसा कहां से आयेगा ? पैसा कहां से आयेगा, यह मैं आपको बता सकता हूँ। योजना आयोग ने यह निर्धारित किया था कि 10 मिलियन टन अनाज जो है उसे भण्डारों में रखा जाना चाहिए। आज 18 मिनियन टन अनाज हमारे पास है 18 मिनियल टन अनाज पर कितना करोड़ रूपया आपने लगा रखा है, 5400 करोड़ रूपये। 5000 करोड़ के करीब रूपया आपने देश के भण्डारों में बन्द कर रखा हुआ है और 900 करोड़ रूपये से ऊपर पिछली दफा अनाज बाहर से मंगाया था। उससे पहले साल और कई बार 1200 करोड़ रूपए का अनाज बाहर से मंगाया गया। कम से कम भगवान के लिए इस अनाज को चूहों को मत खिलाईये, कीड़े मकोड़ों से इसे नष्ट न होनें दे। 250-300 करोड़ रूपये जो एफ.सी.आई. ब्याज की शक्ल में देगा, तो यदि वही पैसा हम किसानों को दे दें तो किसान तरक्की कर सकते हैं। आपके भाषण से किसी की तरक्की नहीं हो सकती, आपके भाषण से देहात तरककी नहीं कर सकते। भाषणों से अगर, तरक्की होती तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेसी राज में यह तरक्की हो गई होती। अगर, भाषण से तरक्की होती तो उत्तर प्रदेश की तरक्की हरियाणा से ज्यादा होती और पंजाब से ज्यादा होती। उत्तर प्रदेश वाले भाषण हमसे आगे देते थे, हमसे ज्यादा भाषण देते थे देहात की तरक्की के लिए। लेकिन, जरा मुकाबला करो, हरियाणा और पंजाब के किसानों का उत्तर प्रदेश के किसानों से।

आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। अगर, आप 8 मिलियन टन अनाज भेज दे। इस देश में अनाज बाहर पड़ा है, बारिश में पड़ा है। उनसे कितना अनाज खराब होगा, कितना घाटा होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। मेरा ख्याल है कि यह 300-400 करोढ़ रूपये का होगा। जरा इस देश के ऊपर रहम करो। जनता की दुहाई देने वालों जनता के ऊपर रहम करो। फालतू अनाज जो है, उसको विदेशों में भेजो।

आपने अपनी आर्थिक समीक्षा में लिखा है कि 5 लाख वर्ग मील किलोमीटर धरती ऐसी है, जिसमें माईनर इरीगेशन हो सकता है। जो विशेषज्ञ हैं,

उन्होंने बताया है कि हमारे यहां माइनर इरीगेशन से बड़ी तरक्की हो सकती है। अगर, हरियाणा और पंजाब में एक-एक साल में लाखों ट्यूबवैल लग सकते हैं तो मैं वित्तमंत्री महोदय से पूछना चहाता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और बंगाल में क्यों नहीं लग सकते, जहां पर मीठा पानी भगवान ने जमीन में दिया है उसकी व्यवस्था कर देने से कितना घाटा आपको आने वाला है?

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने एक बात देखी। पहले भी और अब भी। हमारे देश के वित्त विशेषज्ञ ही वित्तमंत्री थे। आज के जो वित्त मंत्री है, वे मुद्रा-स्फीति का सवाल उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कागज के जो रूपये छपते हैं, इसकी जोड़-तोड़ में इसकी हेराफेरी में वित्त मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन की कहानी इसी चक्र में फंसी रहती है।

मुद्रा स्फीति का संबंध तनखादारों से मतलब है और वह भी आपसे हल नहीं होता। मुझे याद है, पटेल साहब के वक्त के एक आई.सी.एस. अफसर हमारे पंजाब में फाईनेंशियल कमिश्नर थे। वे जब हमारे साथ दौरा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप यह छः मीनार की सिगरेट क्यों पीते हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं एस.डी.ओ. भर्ती हुआ था उस समय मुझे 250-300 रूपये मिलते थे और उस रूपये में क्रय शक्ति ज्यादा थी, बनिस्बत 3500 रूपये महीने के। आपके यह जो विशेषज्ञ है, तनख्वाह को चीजों की शक्ल में बचा नहीं सके। इस देश को बचाओ तो उनकी तनख्वाह भी बच सकती है। यह तनख्वाह को बचाने का फिक्र, कागज फिक्र, नोटों का फिक्र क्यों है? कल ही बीजू पटनायक साहब ने कहा था कि रूपया चाहिये। रूपया तो बाबा कागज को छापने के लिए मिल जाता है। फिर रूपये की कमी कहां रह गई! एक साल में आप ट्यूबवैल लगाने के लिए कर्ज देकर रूपये देवे। इतना रूपया तो एक साल में खेती की पैदावार बढ़ने से ही प्राप्त हो जायेगा। जब बतायें कि यह घाटे का सौदा कैसे हुआ? जो इसे घाटे का सौदा बताते हैं, वे क्या योजना बनाएंगे? जो योजना बनाते हैं, वे यह देखें कि देश के साधन क्या है? इस देश में कितने हाथ है जोकि काम चाहते हैं? मुझे मंत्री पद पर रहने का मौका मिला और मैंने देखा, इन विशेषज्ञों को बड़े नजदीक से पढ़ा। मशीन

खड़ी है, तनख्वाह पूरी देनी होती है। सामान पड़ा है, कहते हैं। काम पर लगा देंगे। यह बजट से ऊपर हो जायेगा। ऐसी गलतियों ने इस देश को मारा है।

कौन से ऐसे संस्थान है, जिनमें करोड़ों रूपयों का सामान नहीं पड़ा, जिनको सरकारी काम पर को लगा दिया है और मुलाजिम तथा अफसरों से पूरा काम लिया जाता है? (समय की घंटी बजी) आप मुझको मजबूर कर रहे हैं। खेती 80 प्रतिशत आदमियों का धन्धा है और उसके लिये बोलने वाला मेरे जैसा इस सदन में अभी तक कोई नहीं उठा। कल आपके प्रदेश के मंत्री श्री बीजू पटनायक जी बोल गये। ;समय की घंटी बजीद्ध। लेकिन, मैं आपकी आज्ञा पर दो चार मिनट के बाद मानूंगा। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर, वास्तव में उन्होंने गाथा, कथा लिखी है, अपनी स्पीच में। अपने अभिभाषण में जो कथा लिखी है, वह दिल का दर्द है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ और चौधरी चरण सिंह जी से भी उनकी मार्फत निवेदन करता हूँ कि वे उन पर दबाव डाले। वित्त मंत्रालय को सीधा करे। योजना कमीशन को सीधा करें कि जितनी माइनर इरीगेशन जो एक साल में पूरी हो सकती है। उसके लिये अगर, दो हजार करोड़ रूपया दे दीजिये। पिछले साल हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से मंगवाया था। साल 1976 दिसम्बर तक 900 करोड़ रूपये के ऊपर का अनाज मंगवाया था। इतना अनाज बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। आप माइनर इरीगेशन के ऊपर, छोटी सिंचाई योजनाओं के ऊपर पैसे की कोई पाबन्दी न लगाये। इसी तरह से अगर, आप चाहते हैं। देहातों में छोटे-छोटे कारखानें बनें तो जो काम छोटे है उसके ऊपर रूपये की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

सामान जितना है उसके लिये जितने नोट छाप के देने हों, आप दीजिये, आपको घाटा नहीं होगा और रूपया अगर, आपको बनाना ही है तो यह अनाज देश से बाहर बेचकर आप कई हजार करोड़ रूपया हासिल कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं एक और निवेदन आपसे करता हूँ। यह जो पड़ी वाली बात है, इसे आप छोड़ दीजिये। अगर, मंगाना ही है तो बिजली पैदा करने

की मशीनें मंगाये। हमारे यहां इतनी शक्ति है कि यन्त्र जो बिजली पैदा करते हैं। कई दफा खाली पड़े रहते हैं। स्टेट इंलैक्ट्रिसिटी बोर्ड खरीद नहीं सकते। देश के बिजली बोर्ड ब्याज नहीं दे सकते। अगर, वास्तव में आप देहातों की तरक्की करना चाहते हैं, तो एक बात कर दीजिये कि जितना सरमाया खेती के ऊपर, सिंचाई के ऊपर लगाया जाये, उसके ऊपर प्रदेश सरकारों से कोई ब्याज न लिया जाये। जितना पैसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली की तारों को देहातों में पहुंचाने में लगायें, उस सरमाये के ऊपर उस कैपिटल के ऊपर, हिन्दुस्तान की सरकार कोई ब्याज वसूल न करे। यह कोई बहुत बड़े घाटे की बात नहीं है। जो ब्याज देंगे या जो आपने अनाज कैद कर रखा है, इससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। मुझे याद है कपास के बारे में एक दफा आपके प्रदेश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गुजरात वालों ने और महाराष्ट्र वालों ने लम्बे रेशे की पैदावार के बारे में खरीद करने का 1974 में प्रश्न उठाया था कि उसको खरीदा जाये 10 करोड़ रूपये दिये और आज 120 करोड़ रूपये बाहर से कपास लेने के लिये, बाहर का अनाज खरीदने के लिये 2000 करोड़ रूपये। यह कहां से आर्थिक विज्ञान आ गया? इस देश का आर्थिक विज्ञान सीखिये। यह जो भाई हमको गलत कहानी पढ़ाते हैं, उनकी किताबें जो है कुएं में डाल दीजिये। उस तरह से चलिये जिस तरह से सरदार प्रताप सिंह कैरों पंजाब में चले और बंसीलाल हरियाणा में चले, आर्थिक उन्नति के लिये, देहातों की उन्नति के लिये, सड़कों को बनाने के लिये और बिजली के तार बिछाने के लिये। अगर, आप पैसा देना चाहते हैं, तो लोगों को मजदूरी, नौकरी देंगे। मिट्टी हमारी और डालने वाले मजदूर उनको आपको धंधा देना है तो फिर पाबंदी कैसी? देहातों की तरक्की के लिये कोई रूपये की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये, जितना जो प्रदेश खर्च कर सके उसकी व्यवस्था आप करें। यही सबसे अच्छा तरीका प्लान चलाने का हो सकता है।

पाकिस्तान के नागरिकों को शत्रु मानना गलत*

{राज्य सभा में शत्रु संपत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977 पर बहस में 05 दिसम्बर, 1977 को भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने इस विधोयक के नाम को बड़ा खतरनाक घोषित किया। प्रश्न किया किस दुश्मन की जायदाद का सवाल है? मिसाल देले हुए बताया कि डा.जाकिर हुसैन खुद हमारे राष्ट्रपति थे उनके भाई पाकिस्तान में थे। क्या वे हमारे दुश्मन हो गए? यह बहत गलत है। -सम्पादक । }

————————

उप-सभाध्यक्ष जी, विधेयक तो बहुत साधारण है और जैसा खान साहब ने कहा था, विधेयक का नाम बड़ा खतरनाक है-'दुश्मन की जायेदाद। किस दुश्मन की जायेदाद है? डा. जाकिर हुसैन खुद जो हमारे प्रधान थे, राष्ट्रपति थे, उनके भाई पाकिस्तान में थे। इसी तरह से भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरूद्दीन अली अहमद के बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तान में है। वे सब हमारे दुश्मन हो गये। यह किस तरह का विचार है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और फिर से बसाने की इसके पीछे जो धारणा है, उसके संबंध में भी विचार करने की जरूरत है जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है, जहां तक फिर से बसाने का संबंध है, हमदर्दी के नाम पर पिछले 30 सालों में काफी गलत काम हुए है। जिस वक्त शाही जी बोल रहे थे तो मैंने यह कहा था कि कुछ भाईयों को यहां से खदेड़ दिया गया था।

**Rajya Sabha, Enemy Property (Amendt.) Bill, 1977, 5 December 1977, Page 170-175*

इस पर उन्होंने कहा कि आप जैसे जिम्मेंदार सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन, वे इस बात को भूल गये कि उधर से आने वालों को बसाने मैं यहां से वहां जाने वालों में दिक्कत का सामना करने वालों में अगर, कोई पहला प्रदेश था तो वह हमारा पंजाब प्रान्त था। वहीं पर सबसे पहले लोगों को बसाने का काम शुरू हुआ। अगर, इस सारी कहानी को देखा जाये तो एक अजीब सी स्थिति दिखाई देती है। हमारी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। हम अपने देश में संविधान के मुताबिक धर्म, जाति, या इस प्रकार की अन्य बातों में भेद नहीं करते हैं। लेकिन, हमारे राष्ट्रपति के भाई को यहां पर जायेदाद नहीं मिल सकती है। श्रीमान, हमारे एक साथी थे, जिनका जिक्र कृष्ण मेंनन साहब ने यू.एन.ओ. में भी किया था। वे थे श्री अब्दुल गफ्फार खां जो अम्बाला के रहने वाले थे और सन् 1947 में जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई तो उनके भाई हिन्दुस्तान से खदेड़ दिये गये। वे यहां पर अकेले रह गये। वे हमारे साथ देश की आजादी के लिए जेलों में रहे। देश की आजादी के आन्दोलन में उन्होंने बराबर का हिस्सा लिया। हमारे देश की सरकार ने उनको स्वाधीनता सेनानी मानकर बाद में सहायता दी। वे हरियाणा सरकार मैं मंत्री भी रहे उनका देहान्त जून, 1976 में हुआ। उनके एक सुपुत्र है और एक लड़की है। ये लोग उनकी जायेदाद के हकदार हैं। लेकिन, वे पाकिस्तान में हैं, क्योंकि, वे पहले ही यहां से खदेड़े जा चुके हैं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके उनके पुत्र और पुत्री को हिन्दुस्तान में बुलाया और आखिर में 15–20 साल के बाद उन लोगों ने दर्शन किये। खां साहब इतने सख्त थे कि उनके पत्रों का जवाब भी नहीं देते थे और न उनको पढ़ते थे। जो लोग पाकिस्तान चले गये थे उनको हम एवेक्यू कहते हैं। जायेदाद का यह कायदा है कि जिसका उसमें हिस्सा होता है, उसको वह हिस्सा मिल जाता है। इस कायदे के मुताबिक उनको जायेदाद का हिस्सा मिल गया। लेकिन, अम्बाला में उनकी जो जायेदाद थी वह उनके पास ही रह गई। मेरे पुत्र को यह अधिकार है कि वह मेरी जायेदाद का हकदार है। लेकिन, इसके विपरीत उनके पुत्र और पुत्री को यह अधिकार नहीं है। क्योंकि, उनको पाकिस्तान में खदेड़ दिया गया। यह हमारा देश है जिसमें जाति और धर्म का भेदभाव नहीं है। एक तरफ तो एक धर्म के मानने वाले भाई, जो पहले पाकिस्तान में थे और अपनी जायेदाद वहां छोड़कर आए उनको पाकिस्तान में छोड़ी गई जायेदाद का मुआवजा मिलता है।

लेकिन, हमारे देश में बसाने के नाम पर, हमदर्दी के नाम पर यह भी एक तजुर्बा हुआ और उस तजुर्बे में जैसी कि गलतियां होती हैं, वह हुई। चूंकि जो लोग स्कीम बनाते हैं, योजना बनाते हैं। वे भाई आम तौर पर अच्छे खाते–पीते घरों के होते हैं और गरीबों पर वह स्कीम, योजना बनाते समय, अपने को ही फायदा पहुंचाते हैं। गरीबों को बसाने के नाम पर भी वेस्टेड इन्टरेस्ट जो है, धनवान आदमी जो है, जो शक्तिशाली है, वही उसका फायदा उठाते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया हमारे प्रदेश में सीलिंग का कानून बना, जमीन का। मुझे आज भी याद है कि उस सीलिंग के कानून को हमारे प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी। केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के योजना कमीशन ने कहा कि उनके लिये 50 स्टैन्डर्ड एकड़ जमीन की सीलिंग की कम से कम छूट होगी चाहे वह खेती करते हों या नहीं करते हो। जो यहां के रहने वाले है, जिनके बाप दादा यहां के थे और खेती करते थे, उनके लिये सिर्फ 30 स्टैंडर्ड एकड़ जमीन छोड़ी जाएगी। इस तरह सीलिंग के कानून में भी बसाने के नाम पर यह एक भेदभाव का इतिहास है। मैंने जैसा जिक्र किया, वह भेदभाव है। यह भेदभाव आज भी चलता है, बावजूद इसके कि हमने समाजवाद को अपनाया है। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। लेकिन, दूसरे दृष्टिकोण से उन्होंने इसको देखा। आपको यह ज्ञान होगा कि जो भाई यहां के जागीरदार है, उनको भी मुआवजा मिला है और जो पाकिस्तान के जागीरदार यहां आकर के बसे है, उनको ज्यादा मुआवजा मिला है। यहां के मालिकों का मुआवजा कम है। यह मुआवजे की कहानी है किस तरह से इशारा किया उन्होंने रीहैवलीटेशन का। आपको इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है। आपको जो सदस्य पूर्वी भारत के है उन्हें पूर्वी भारत की समस्याओं का ज्यादा ज्ञान है। हमारे यहां मान्यता है कि एक हरिजन भाई जहां अपना मकान बनाकर रहता है तो उस मकान के नीचे की जो जमीन है, उसका मालिक वहां के गाँव का भूमिधर ही समझा जाता था। वहां बसता था, उसको मकान के नीचे की जमीन का मालिक नहीं समझा जाता था।

जो मुसलमानों के गाँव थे, जहां भूमिधर मुसलमान थे और जब वह चले गये तो उनकी जो जमीन थी, वह भूमि निकासी के महकमें की जमीन मानी जाती

थी। लेकिन, जिस जमीन के मालिक भारत के थे बिना किसी मुआवजे के हरिजनों को मिल गई और उन्हें उसका मालिक बना दिया गया, हमारी सरकार ने। लेकिन, जो एवेक्यू प्रापर्टी थी, उसके बारे में प्रदेश सरकार कोई कानून बना नहीं सकती थी, जब तक कि भारत सरकार की मंजूरी इसके बारे में न हो। भारत सरकार के उस वक्त के रीहैवलीटेशन मिनिस्टर ने वहां देखा कि हरिजन जो पीढ़ियों से उन मकानों में रहते आये थे, उनको बेदखल किया गया, क्योंकि, उनके मालिक पाकिस्तान चले गये थे और वह एवेक्यू प्रापर्टी बन गई। मकान हरिजनों के है। परन्तु, मकान के नीचे की जमीन उनकी है बड़ी मुश्किल से हमने कहा कि कोई मुआवजा ले ले। इन बेचारे गरीबों का कसूर क्या है? अगर, उस जमीन के मालिक पाकिस्तान चले गये तो उसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। यह चीजें हम पाते हैं।

एक भाई अमेरिका में है। अमरीका का भाई यहां अपनी जायेदाद रख सकता है और अगर, वह गुजर जाता है तो उसकी जायेदाद जो है, वह उसके बच्चों को मिल सकती है। लेकिन, जिसका एक भाई यहां रहता है। पुत्र वहां है, बाप वहां हो, किसी का पुत्र इधर हो, घर वाला उधर हो तो वह आपस में आ जा भी नहीं सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यह जनता सरकार ने नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ मंत्री हों, जो पहले भी थे। मोहन धारिया जी पहले भी उसमें शामिल थे। उनको भी एक शौक होता है। यह कहने का कि कांग्रेस के वक्त में ऐसा था। लेकिन, अगर, कोई गलत बात हो, तो इस समय देश में समय बदल आया है, तो ऐसे समय में उन गलत बातों को दुबारा नहीं चलने देना चाहिए। आप किसी भी चीज को फायदे के हिसाब से देखे कि हम किसके फायदे पर चल रहे हैं? पाकिस्तान जाने वाले 29-30 करोड़ की जायेदाद छोड़कर गये हैं। उसका कब्जा लेने के लिए हमारी सरकार यह बिल एनीमीज प्रोपर्टी एक्ट यहां लाई हैं। 100 करोड़ रूपये की जायेदाद है - हमारे भाई उधर से भारत में आये है और उनके रिश्तेदार उधर भी हो सकते हैं। हमारे प्रदेश में भी कुछ इलाके ऐसे है, जिसमें आज भी मुसलमान भाई है। इसी तरह से पूर्वी एरिया में बहुत सारे भाई हिन्दुस्तान में आए और पूर्वी पाकिस्तान में प्रोपर्टी छोड़ आए। जबकि अब शान्ति है, कोई लड़ाई नहीं है। देशों का कोई झगड़ा नहीं है। फिर भी आपने जायेदाद का झगड़ा खड़ा कर रखा है।

भारत में आने वाले भाई 100 करोड़ की जायेदाद छोड़कर आए हैं और जो भारत से गए वे 29 करोड़ की जायेदाद छोड़कर गए। अब हमारी सरकार यह कहे कि वह तो दुश्मन की जायेदाद हो गई है, इसको नहीं छोड़ना है। मैं मानता हूँ कि अगर, भारत सरकार को नीति में तबदीली करनी है तो इस बात की करनी चाहिए, फरक्का के बार में बात करनी चाहिए थी। वहां इस बात पर बात करनी चाहिए थी कि 29 करोड़ की जायेदाद जो भाई हिन्दुस्तान से बंग्लादेश गए है। उनकी जायेदाद मान ली जाए और जो हमारे भाई 100 करोड़ की जायेदाद छोड़कर आये है, वह उनकी मानी जाए। इसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए था। अंत में जैसा कि मैंने जिक्र किया था, अपने दोस्त का कि उनके बच्चों को कोई आपत्ति हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह तो दुश्मन की जायेदाद बन नहीं सकती। एक तहसीलदार को नोटिस पाकिस्तान में जा नहीं सकता, पाकिस्तान से इधर नहीं आ सकता।

मेरी मार्फत वह गया। अब बड़ी मुश्किल से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिफारिश से उनको इजाजत मिली है कि दिसम्बर की 29 तारीख तक हिन्दुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन, तहसीलदार कहता है कि फलां तारीख तक नहीं पहुंचे तो जायेदाद सरकार की हो जाएगी। अजीब तरीका है धर्म के नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जाति के नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे दुश्मन नहीं है। दोस्त हैं। वहां जो रहने वाले है, इधर के किसी के रिश्तेदार है, किसी का साला इधर है किसी का बहनोई इधर है, किसी का बाप उधर है तो किसी का बेटा उधर है। हम उनको दुश्मन कहे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। न ही यह कोई समझ की बात है। मैं श्री मोहन धारिया जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिए विधेयक में संशोधन लाए, ताकि इस ऐक्ट का नामकरण दूसरा किया जाए। इसको दुश्मन की जायेदाद कहना बहुत गलत बात है।

बाल विवाह को ठीक से समझें*

{बाल विवाह निरोधक (संशोधन) विधेयक 1978 पर राज्स सभा में 2 मार्च 1978 को बहा में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने बाल विवाह को जनता के दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया जैसा कम से कम उत्तर भारत, खासकर हरियाणा क्षेत्र में समझा जाता है। - सम्पादक ।}

————————

उपसभाध्यक्ष जी, आपका हुक्म तो शिरोधार्य है। लेकिन, मामला बड़ा गम्भीर है। आप जानते हैं, यह कानून जब सेन्ट्रल असेम्बली में विधेयक के तौर पर आया था तो वह एक आर्य समाजी का विधायक था, श्री हरविलास शारदा जी ने इसको पेश किया और आर्य समाज के पुराने धर्मशास्त्री यह मानते हैं कि जिस वक्त बह्मचर्य आश्रम था। हमारा समाज 4 आश्रमों में बंटा होता था-ब्रंह्मचर्य, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास- और जहां समाज में सिनेमा जैसी कुरीतियां नहीं थी। आज का आधुनिक प्रचार नहीं था। उस वक्त भी ऐसा माना जाता था। भारत में, वैदिक युग के समय से 16 साल की उम्र के बाद पुत्री शादी के लायक हो जाती है। अब 16 की बजाये मंत्री महोदय 18 साल विवाह की आयु करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : चौधरी साहब, तुलसीदास जी ने कहा- बरस 18 की सिया, 27 के राम।

**Rajya Sabha, Child Marriage Restraint (Amdt.) Bill, 1978, 2 March 1978, Page 200-206*

श्री रणबीर सिंह : पांडे जी, वह सारी व्याख्या आप कीजिए, मैं अपनी व्याख्या करूंगा।

मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं होता अगर, बच्चे की, लड़के की आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष कर देते, क्योंकि, यह वैदिक सभ्यता के मुताबिक है। न इस देश की हालत के मुताबिक है। यह तो कुछ पाश्चात्य सभ्यता के दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है। जहां तक इसकी भावना का संबंध है, उपसभाध्यक्ष जी, में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि शारदा जी ने जब वह विधेयक पास कराया था तो उस वक्त इक्ट्ठा (अविभाजित) पंजाब था। सबसे पहले जब वह कानून आया उस वक्त, वहां पुलिस को अधिकार नहीं था कि जिससे कोई दरख्वास्त दे तो उस पर गौर हो सकता था। सबसे पहले मेरे पिता जी ने छोटी उम्र में शादी करने वालों के खिलाफ दावा किया था। मैं भी बच्चों की शादी के हक में नहीं हूँ। प्रौढ़ होने पर शादी होनी चाहिए। इसलिए, नहीं कि फैमिली प्लानिंग का इससे कोई ज्यादा सम्बन्ध है। वह तो 16, 18 या 25 के बाद कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा संबंध जोड़ना, सही नहीं है। लेकिन, यह बात जरूर सही है कि हमारा देश एक ऐसा देश है, जिसमें आपस में बैर भी है। कोई थानेदार को घूस देकर किसी को गिरफ्तार करा लेगा, या फिर गाँव में ऐसी हालत होगी कि कोई बताएगा नहीं कि 14 साल की शादी है या 16 साल की शादी है। वह थानेदार कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा भी है कि उसके विपरीत कहेगा कि उसकी उम्र 19 साल है तो उसको भी 17 साल साबित करने की कोशिश की जाएगी। बच्चे की उम्र 22 साल है तो उसको 20 साल साबित करने की कोशिश की जाएगी। यह मुकदमेंबाजी देश में बढ़ाना अच्छी चीज नहीं है। देश में तरह-तरह के समाज है।

देहात में आप जानते हैं कि शादी के मायने कुछ होते नहीं। असली शादी तो जब होती है, जब लड़का दुबारा आता है और उसकी उम्र 18 या 21 साल हो तो कोई बात नहीं। शादी तो एक जरिया है, गरीबों में लड़के और लड़कियों का सम्बन्ध बांधने का। कई बार उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं

होती और इसलिये, दो, तीन इक्ट्ठे करके शादी कर देते हैं। उसमें किसी की उम्र छोटी भी हो तो कोई परवाह नहीं करता। वह शादी कर देता है। लेकिन, आज भी हमारे समाज में है कि 14 या 16 साल से कम उम्र में जिसको सैकिण्ड मेंरिज कहते हैं, वह करते नहीं। जो विदेशी सभ्यता है, उसके मुताबिक जिसको मेरेज कहेंगे, वह हमारे यहां नहीं होती। वह सेकिण्ड मेरेज में होता है। आप जानते हैं कि शादी के बाद लड़के लड़की को इक्ट्ठा नहीं रहने दिया जाता। समाज की इसके लिए इजाजत नहीं है तो वह शायद शादी 14 साल की उम्र में हो या 16 की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 के बाद अगर, सैकिण्ड मेरेज होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक हालात की बिना पर जो मजबूरियां होती हैं, उनकी वजह से छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। वह एक तरह से सम्बन्ध में बांधना है। फिर जैसा कि शाही साहब ने कहा, हमारे देश में जैसा सरकारी काम चलता है, उसकी सजा हम आज इधर बैठकर भोग रहे हैं। उसका आनन्द हमारे मंत्री जी उधर बैठकर ले रहे हैं? हमारा जुर्म क्या था? हमारा जुर्म भी था क्या? लेकिन, 60 साल वाले बुढ़े को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसने कहा कि मेरे तो बच्चे है, बीबी नहीं है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अभी हम तुमको 35 साल का जवान बना देंगे। तो आज भी पुलिस वाले वही है। न वह आई.पी.एस. बदले है और न वह थानेदार बदले है। हम तो बदल गये। उनकी शिक्षा दीक्षा है वह भी नहीं बदली। आज इस बहाने से कह देना चाहता हूँ, जिनकी क्वालिफिकेशन का बड़ा ढ़िढोंरा पीटा जाता है कि वह बड़े लायक हैं। वह काहे के लायक है? पहले वह हमारे एजेंट थे, आज वह हमारे खिलाफ एप्रूवर बनेंगे। एजेंट बनना आई.ए.एस. और आई.पी.एस. लोगों का धंधा हो गया है। अगर, आपको गिरफ्तारी करानी है तो आज ही करा दीजिए। हम तो तैयार बैठे है। इसके कारण क्यों कराना चाहते हैं। यह अधिकार जो दे रहे हैं कि पुलिस वाला मेंजिस्टेऊट के पास भी न जाये और वैसे ही बांध ले। यह बहुत ज्यादा है। आप लोग भी कहीं इस रौ में न बह जाये। आप क्यों नहीं हमसे शिक्षा लेते? हमारा इरादा तो बड़ा नेक था। देश की आबादी बढ़ती जा रही थी और देश की बढ़ती आबादी पर काबू पा सके। इसके लिये फैसला किया गया कि फैमिली

प्लानिंग हो। मैं मानता हूँ कि हमारी भूत पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी शायद पूरी तरह से पता न हो और संजय गाँधी जी को भी पता न हो कि उसके प्रोग्राम को लेकर क्या-क्या हुआ, किस तरह से 60 साल के बुढ़े को 35 साल का जवान बनाया गया? (व्यवधान) चौधरी साहब आपका भी नम्बर आ सकता है। कहीं कांग्रेस वालों का राज हो गया तो आप यकीन रखिये कि वह आपके खिलाफ शहादत लेकर पेश होंगे और आप दिखाते रहियेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है। हमारे लड़के की उम्र का यह सर्टिफिकेट है आप भी जानते हैं। और हम भी जानते हैं कि देहात में जो जन्म तिथि लिखी जाती है। उसमें बच्चे का नाम नहीं लिखा जाता। ऊटपटांग नाम लिख देते हैं। उसको कहीं भी जोड़ा जा सकता है। उसका नाम कुछ और मिलेगा। वहां कुछ और नाम मिलेगा और जन्म तिथि से साबित नहीं हो सकेगा कि आपका यह लड़का 18 या 21 साल का हो गया है, चौधरी साहब आपकी मजबूरी आयेगी।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : चौधरी साहब यह साबित नहीं कर सकेंगे कि यह उन्हीं का लड़का है।

श्री रणबीर सिंह : चौधरी साहब आपके ऊपर भी मजबूरी आयेगी, मेरे ऊपर भी आयेगी। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। यह तो एक बड़ा लम्बा चौड़ा भाईचारा है हमारे मंत्री महोदय के जितने समर्थक है, जो आज हमारे जैसे मुखलिफ है, वह झूठ लगायेंगे या इनको हमारे खिलाफ लगायेंगे। इस समाज में आप एक नयी राजनीति का मोड़ क्यों देना चाहते हैं? आप समझते हैं कि जो एजेन्ट थे, वह आज अप्रूवर हो गये, इसलिए आप उन पर विश्वास करने लग गये। वह आज अगर, अपूरूवर हो रहे हैं तो जो आपके आज एजेन्ट है वह कल अप्रूवर बनेंगे। लेकिन, एक बात आप समझ कर चलेकि देश में जो हालत है, इस देश का तौर-तरीका जो है, यह सब देखकर चले। यहां श्री किशन चन्द का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था। आज वह सबसे बड़ा अप्रूवर हो गया। कोई बात आये तो किशन चन्द यह कहते हैं, वह कहते हैं। जो सबसे बड़े एजेन्ट थे, वे सबसे बड़े अप्रूवर हो गये

है। चाहे सरकारी मुलाजिम का हिसाब लगायें चाहे किसी का। श्री साही जी इतने साल पार्लियामेंट में रह गये, ऐसेम्बली में रह गये, इनको मालूम नहीं कि इनकी जन्म तिथि क्या है? शायद मंत्री महोदय को पता होगा, दूसरे मंत्री महोदय का पता न हो।

(व्यवधान)

लेकिन, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरी जन्म तिथि यह है। लेकिन, मैं साबित नहीं कर सकता। जिस रोज में पैदा हुआ, पता नहीं मेरे से पहले और बाद भी मेरे भ्राता पैदा हुए है। उस रोज रजिस्टर में पता नहीं मेरा क्या नाम लिखा होगा। रणबीर सिंह तो नहीं होगा। वह तो बाद में हुआ होगा। यह साबित करना मुश्किल है। अदालत को साबित करना बड़ा मुश्किल है। यह बात तो साबित करना और भी मुश्किल है। मंत्री महोदय। इस देश के ऊपर एक दूसरा फैमिली प्लानिंग का प्रहार चलाने का कार्य आप कर रहे हैं। जरा सोचें और भी कुछ नहीं तो कम से कम आप ऐक्सप्लेनेशन में दे दें कि विवाह के मायने सैकिण्ड मेंरिज, जिसे गौना कहा जाता है, वह होगा। वह तो एक रास्ता है। कहीं फे रे देकर, कहीं बात पक्की कर दी जाए तो हमारे यहां कह दिया जाता है कि शादी हो गई। इसके अलावा विवाह की रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होती। मैं करूंगा सगाई और शहादत आयेगी कि ब्याह कर दिया। मैं कैसे साबित करूंगा कि ब्याह नहीं हुआ? जिसका चालान होगा वह कैसे साबित कर सकता है कि शादी नहीं हुई। जो मुकदमा चलायेगा, पुलिस वाला उसको तो शहादत, सबूत मान लिया जाएगा। लेकिन, जिसकी शादी होगी या सगाई होगी उसको मुश्किल हो जाएगा यह साबित करना कि नहीं हुई है। हमारे समाज में जिस तरह से आप एक बन्धन देना चाहते हैं, उनको बांधना चाहते हैं। वह नहीं हो सकता। इरादा आपका अच्छा है। फर्क इतना है कि आप 16 साल की लड़की के बजाये 18 साल की लड़की को शादी के योग्य मानते हैं। गाँव वाले 16 को मानते हैं। शहर में चाहे कम हो। लेकिन, गाँव में 16 साल की लड़की बड़ी हृष्ट-पुष्ट, तगड़ी होती है। हमारे ऊपर यह जुल्म क्यों करना चाहते हैं? यह अच्छा नहीं है। लेकिन, फर्ज किया कि आप इसमें कोई

संशोधन करने के लिए तैयार नहीं होते और हमारे साथी सब भाग गये। मैं अकेला रह गया तो हमारा मामला वैसे ही गया, नहीं तो आपको हम यहीं पर हरा सकते थे। वैसे कोरम का सवाल उठाकर मैं आपको हरा सकता हूँ। लेकिन, यह अच्छा नहीं लगता, एक प्रचार हो जाता। इसलिए, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यह कहिये कि शादी के मायने न सगाई है, न फे रे हैं, शादी के मायने दरअसल में एक विवाद के बाद स्त्री-पुरूष का जो सम्बन्ध स्थापित होना है, वह सम्बन्ध है। उसके ऊपर आप रोक लगाना चाहते हैं। जो सगाई देकर या फे रे देकर लड़के-लड़कियों का जो हम रोकना कहते हैं। वह शादी नहीं है। वरना मामला बड़ा वल्नरेबुल होने वाला है। वह कहेगा कि यह वजीर का मामला है, उनका हुकम है। मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। मैं अगर इसको नहीं करता तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता या नये मीसा में बंद कर दिया जाता। इसलिये, मेरा कहना है कि जरा सोच कर, समझ कर इस वा शांति से गौर करें। हमारे जो पुलिस वाले है, दूसरे महकमें है, कार्यकर्ता है, उनकी क्या दिमागी अवस्था है, इसको भी देखें कि किस तरह से वे काम करते हैं। इन सारी बातें को ध्यान में रख कर इसमें कोई संशोधन लायें तो इससे आपका भी भला है, हमारा भी भला है और समाज का भी भला है।

देहात के साथ खिलवाड़ न हो*

{राज्य सभा में चौधरी रणबीर सिंह का कार्यकाल मार्च 1978 में समाप्त होने वाला था। जनता पार्टी द्वारा पेश आम बजट-1978-79 पर 14 मार्च को बहस में भाग लेते हुए उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति में विसंगतियों को उकेरा और ग्रामीण क्षेत्र में उससे उत्पन्न हालात की ओर सदन का ध्यान दिलाया तथा स्थिति को सुधारने हेतु सुझाव भी रखे। - सम्पादक ।}

————————

उपसभाध्यक्ष जी, जनता पार्टी का ऐलान था कि अब तक जिस तरह से देश में काम चला आया है, वह बड़े-बड़े कारखनेदारों को बढ़ावा देने के लिए चला है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हों या पब्लिक सेक्टर में हो। छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धंधों को या कृषि में जितना पैसा लगना चाहिए था, वह नहीं लगा। अब एक साल हो गया। पहले साल तो कहा गया था कि वह बजट जाने वाली सरकार का बनाया हुआ है। हमारे पास समय बहुत कम था। इसलिए, हम उसमें ज्यादा बदल नहीं कर सके। अब कुछ फे रबदल करने की कोशिश की है तो कुछ साथियों को इस पर गिला हो सकता है कि घरेलू उद्योग-धंधों को, जैसे खादी और ग्रामोद्योग के लिए कुछ पैसा अधिक दिया जाए या कृषि के ऊपर, कृषि के उत्पादन और कृषि सुधार में, ज्यादा रूपया दिया जाए। इस पर भी उनकी दो राय हो सकती हैं। हो सकता है, जैसा कि अभी एक दो साथियों को हमने सुना कि जो इकानॉमिक सर्वे है, उस पर

**Rajya Sabha, Budget (General) 1978-79, 14 March 1978, Page 175-186*

आर्थिक विशेषज्ञों ने यह बात साबित करने की कोशिश की है कि खेती करने वालों के पास रूपया ज्यादा है। यह कोई सोच नयी नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, जो भाई तनख्वाह-दार है, वे कभी दूसरे इशारों में काम करने वालों का सोच नहीं कर सकते हैं। यह उनका दोष नहीं है। उनकी जिस तरह से परवरिश हुई है, उसका दोष है। हमारे देश में क्या तरीका है कर लगाने का? आज दस हजार रूपये तक कोई टैक्स नहीं है। खेती में टैक्स का क्या तरीका है कि अगर, एक भाई के पास घाटा हो तो भी उसको खेती का कर देना होगा। खेती का टैक्स अकेला ही नहीं है। जितने भी टेढ़े टैक्स है, अप्रत्येक्ष, वह सब उनको देने पड़ते हैं। 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं। खेती पर निर्भर है। जो भी टेढ़े टैक्स लगाये जाते हैं, इनकम टैक्स और कारपोरेशन टैक्स के अलावा या कम्पनी टैक्स के अलावा जो भी बढ़ोत्तरी होती है। उसका 80 फीसदी नहीं तो 60 फीसदी खेती करने वाले और छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों में काम करने वालों को देना पड़ता है। उपसभाध्यक्ष जी, आप तो उन लोगों में से है कि जो मेरे से सहमत है और रंगा साहब भी मेरे से सहमत है। लेकिन, बहुत से विशेषज्ञों का यह ख्याल है कि देश में समाजवाद तभी पूरा होगा, जब खेती को इस ढ़ंग से बांट दिया जाये कि किसी के फायदे के लिये वह रहे ही नहीं। यही सोच रखने वाले भाईयों ने हमेशा जमीन के बंटवारे की बात की है। हम क्या देखते हैं? मुझे बार-बार प्रकाशवीर शास्त्री जी की बात याद आती है कि हिन्दुस्तान के जो भाई बड़े-बड़े सरकारी मुलाजिम हैं। वह सारी बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों को सात या आठ सौ कुटुम्बों में बांट लिये है। मियां भी आई.ए.एस. है। उस पर कोई सीलिंग नहीं है। घरवाला भी डॉक्टर हो सकता है और घरवाली भी डॉक्टर हो सकती है। इनकम टैक्स लगेगा 20 हजार पर। दस हजार की उसको छूट है। खेती जिसमें बुढ़ा भी काम करता है और बुढ़िया भी काम करती है, जवान भी काम करता है, बीवी भी काम करती है और नाबालिक भी काम करता है। उन सबका एक कुटुम्ब होता है। ऐसे खेत को बोने वाले हमारे देश के 80 फीसदी नागरिक है। देश में जिनका राज है, वह लोग, हम लोग भी और जनता पार्टी के लोग भी दावा करते हैं कि हम सब जनता के हितैषी है। सब कहते हैं कि बदलेंगे। लेकिन, मैं जानना चाहता हूँ कि

कौन सी बात बदली है? टैक्स लगाने की बात है तो किसानों को भी 20 हजार से ऊपर छूट दे दो। लेकिन, वह कैसे दे सकते हैं? क्योंकि, आर्थिक विशेषज्ञ तो कहते हैं कि खेती वालों के पास ही रूपया होगा।

बड़े-बड़े कारखानेदारों का पूंजी चौगुनी-पाँच गुनी हो गई। लेकिन, जमीन किसानों को बंटती है। फिर भी किसान साहूकार है, उसी के ऊपर टैक्स लगाने की बात होती है। यही हमारे देश की पढ़ाई है और इसको बदलने के लिए अगर, कोई कोशिश करे, चाहे वह चौधरी चरण सिंह हों या जार्ज फर्नेंडीज हों, अगर, कोई घरेलू उद्योग घंधों के बारे में। ग्रामोद्योग के बारे में बात करता है तो देश के पढ़े लिखे लोग, जो हिन्दुस्तान के विशेषज्ञ हैं, वे कभी उससे सहमत नहीं हो सकते। मुझे गिला है कि जो जनता पार्टी के नेता मकानों की चोटी पर चढ़कर ऐलान करते थे कि तीस साल तक खेती करने वालों के साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने भी न्याय नहीं किया। इसके बावजूद आज भी गिला किया जाता है। आज हम क्या देखते हैं। उपसभाध्यक्ष जी। यहां पीछे एक प्रश्न हुआ। राज्यसभा में एक सदस्य ने प्रश्न किया कि बिजली पैदा करने वाले संस्थान, देश के जितने भी इलैक्ट्रिसिटी बोड्र्स हैं, उनके जिम्में ब्याज कितना है और कितना ब्याज वह अदा नहीं कर सके? वह साढ़े आठ सौ करोड़ रूपया, हरियाणे का मैंने देखा तो वह 64-65 करोड़ रूपया है

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश में जितनी सिंचाई की योजनाएं हैं, जितने बिजली के संस्थान हैं, उनको हमारे आर्थिक विशेषज्ञ घाटे का सौदा बताते हैं। आप जानते हैं कि पिछले साल देश में जो कारखाने हैं, उनसे जो आमदनी होती है, वह कम हुई और खेत की जो पैदावार है, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसका क्या नतीजा हुआ? किसानों को क्या ईनाम दिया, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जनता पार्टी के नेताओं ने? वह आप सब जानते हैं। आज से दो तीन साल पहले दुनिया में जितनी चीनी महंगी थी, हमारी सरकार ने हजारों करोड़ों रूपया किसानों से सस्ता गन्ना लेकर विदेशों में महंगी चीनी बेचकर विदेशी रूपया कमाया। एक-एक सल में 700-800 करोड़ रूपया कमाया। जनता पार्टी की सरकार आई है जो मकान के ऊपर चढ़कर ऐलान

करती है कि हम खेती करने वालों के हमदर्द है। लेकिन, चीनी उपभोक्ताओं का दबाव पड़ता है कि चीनी हमारे भंडारों में है, बाहर के देशों में चीनी नहीं भेजी जा सकती है। अनाज का भण्डार है 18 मिलियन। लेकिन, उसको टाड़ा खा सकता है। सुरसी खा सकती है। लेकिन, बाहर के देशों में उसको नहीं भेजा जा सकता है। क्योंकि, उपभोक्ताओं का डर है। यह 30 साल तक कांग्रेस पार्टी को उपभोक्ताओं का डर खा गया। हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे देश ने दुनिया में सबसे पहले खेती करना सीखा। वह घाटे का काम बन गया। ऐसी बात नहीं थी कि हम इस देश में खेती की पैदावार नहीं बढ़ा सकते। खेती की पैदावार बढ़ी। गुड़ की हालत है, वह पिछले साल में 125 रूपये से 150 रूपये क्विंटल तक बिकता था। इस साल 75 रूपया बिकता है और हमारा कृषि मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय, जिन्होंने विदेशी रूपया एक-एक हजार करोड़ रूपया एक-एक साल में चीनी बेचकर कमाया, वह गुड़ को खरीदने के लिए सौ या दौ सौ करोड़ रूपया नहीं निकाल सकता। हमारे अर्थ-शास्त्री कहते हैं कि किसानों के पास पैसा बहुत है। वह टैक्स लगाने का सुझाव दे सकते हैं। गुड़ को पानी बनाना मंजूर है, गन्ने को जलवाना मंजूर हो रहा है। लेकिन, देश की सही आर्थिक नीति के लिए ऐसे सुझाव नहीं देंगे, चाहे योजना कमीशन हो, चाहे हमारे अर्थ-शास्त्री हों, कभी वह सही करेंगे नहीं।

उपसभाध्यक्ष जी, इस बजट में कृषि के अर्थ शास्त्रियों की कुछ बढ़ौतरी और उस संस्थान को मजबूत करने की बात की है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर, वैसे भाई ही जो योजना कमीशन में बैठे हैं, या वैसे भाई जो 30 साल से हमारे इकोनोमिस्ट हैं, वही विशेषज्ञ हैं, जिनकी भर्ती का सवाल हैं तो खेती करने वालों के ऊपर रहम करो। मैं तो इससे आगे कहता हूँ कि अगर, देश की तरक्की करनी है तो कुछ सोच करो। मुझे बहुत हंसी आती है कि जो अपने आपको समाजवादी कहते हैं। वे बात करते हैं, मर्केन्टाइल इकोनोमी की। मर्केन्टाइल इकोनोमी के जो विचार है, उसी विचार को सोचते हैं। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा और पंजाब 75 फीसदी अनाज देश के शहरों के लिये पैदा करते हैं। ये ही दो प्रदेश हैं जो सबसे अधिक अनाज पैदा

करते हैं।–चाहे वह गेहूँ हो या चावल हो। पर उन पर ब्याज जरूर लगाया जाता है। दुनियां के जो बड़े–बड़े देश हैं, वे हिन्दुस्तान की सहायता करते हैं। रूपया देते हैं। और ब्याज छोड़कर रूपया देते हैं। अगर, ब्याज लेते भी है तो एक–दो फीसदी ब्याज लगाते हैं। लेकिन, यह जो हिन्दुस्तान की सरकार है, जो खुद ब्याज अदा नहीं कर सकती। आपकी सरकार से मेरा कोई आज की सरकार से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है केन्द्र सरकार से चाहे वह पिछले 30 साल तक रही हो या आज की हो, जो कर्जा प्रदेश की सरकारों को देते हैं। वे कर्जे का ब्याज देश की केन्द्रीय सरकार को पूरा नहीं दे सकते, जबकि सिर्फ 6 फीसदी ब्याज ही लिया जाता है। अपने किसानों से ब्याज व कर्ज जबरदस्ती वसूल करते हैं। जिनसे कि 18 फीसदी ब्याज लिया जाता है। क्या इस बनिया सरकार से कभी पिण्ड छुड़ेगा इस देश का?

चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता की सरकार हो, इस ब्याज ने देश को तबाह करके रख दिया है। अगर, ब्याज खाते को पूरा करने के लिये किसी बिजलीघर को आप बंद कर देंगे, गर्मियों में पंखों की हवा और सर्दियों में हीटर वगैरह की गर्मी विशेषज्ञों को नहीं मिलेगी तो वे आपके आगे हाथ जोड़ने लगेंगे। यह बहुत अच्छा तरीका है जो संस्थान बिजली पैदा करते हैं। उनकी खास तौर से योजना भवन की बिजली बंद कर दें–चाहे वहां सर्दियों में बिजली देना बंद कर दें ताकि हीटर की गर्मी न ले सके। जहां–जहां योजना कमीशन के सदस्य रहते हैं, वहां बिजली न पहुंचे, ऐसा कोई तरीका निकाले और जो बिजली में काम करते हैं, वे यह ऐलान कर दे कि जब तक ब्याज का खाता नहीं मिटेगा तब तक बिजली नहीं मिलेगी तो सब काम सही हो सकता है। इनके कपड़े बिजली से धुलते हैं। इनके बर्तन बिजली साफ करती है। इनको बिजली मिलती है। 17 नये पैसे फी यूनिट के हिसाब से, जबतकि देहात में रहने वालों को 34 नये पैसे बिजली मिलती है। यह है समाजवाद। यह है साम्यवाद। इस समाजवाद और साम्यवाद का ढ़िंढ़ोरा अब इस देश में कभी बंद होगा या नहीं? मैं आपके द्वारा यह सरकार से पूछना चाहता हूँ। यह तो क्या बतायेंगे यह तो भविष्य ही बतायेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, कभी काफी की बात चला कर, कभी चाय की बात चला कर जनता पार्टी अपना राज्य चला सकती है। लेकिन, खेती की पैदावार या कारखानों की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। अभी तो जूते पड़ने शुरू हुए हैं। अभी तो बिहार में पड़े हैं और अब दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होगा।

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : क्या यह अच्छा हुआ है?

श्री रणबीर सिंह : बहुत बुरा। चौधरी साहब बहुत बुरा हुआ। उधर बैठते थे तब भी इसको बुरा कहते थे और आज इधर बैठे हैं तब भी बुरा कहते हैं। चाहे आज के रेलमंत्री कराते हो। चाहे प्रधानमंत्री कराते हों। चाहे दूसरे मंत्री कराते हो। जब रेलें टूटतीं थीं तब भी बुरा कहते थे और आज भी बुरा कहते हैं। चाहे रेल का इंतजाम किसी के पास हो, मैं तो बुरी चीज को बुरा ही कहूँगा। कोई चाहे भले ही अच्छा कहे, मैं तो इसे बुरा मानता हूँ।

आज क्या हालत है और पैदावार कम क्यों होती है? इस पर विचार करने की जरूरत है। आपको सरकार में आये हुए साल भर हो गया है। इस बीच में आपने जनता की भलाई के लिए कौन से काम किए हैं? इसको आप जरा देखिए। अब तो यह हालत हो गई है कि लोग सुनते सुनते तंग आ गये हैं कि 30 साल के कांग्रेस राज ने सारे खजाने को खाली कर दिया और खाली खजाना हमको दिया। लेकिन, भारत की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार गई तो हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार कितना भरा हुआ था? वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में चार या पांच हजार करोड़ जमा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे वित्तमंत्री इन बातों पर विचार करे और अपने लक्ष्यों पर फिर से गम्भीरतापूर्वक सोचे। आज हमारे देश में जरूरत इस बात की है कि बिजली की पैदावार बढ़ाई जाये और इसके लिए विदेशों से बिजली के यंत्र खरीदे जायें। आप विदेशों से घड़ियां नहीं मंगायेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप घड़ी बांधो या न बांधो, आप पाउडर का इस्तेमाल करो या न करो। लेकिन, बिजली की पैदावार जरूर बढ़ाई जानी चाहिए। आज ऐसा मालूम पड़ता है कि तेल खाने

वालों को तेल नहीं पच रहा है। मैं सोचता हूँ कि चाहे उन लोगों को भी सूखी रोटी खाने का अभ्यास करना पड़े। आज सबसे बड़ी जरूरत हमारे देश में बिजली पैदा करने की है। अगर, हमारे देश में बिजली की पैदावार बढ़ेगी तो खेती की पैदवार भी बढ़ेगी और इस देश में छोटे-छोटे कारखाने भी बढ़ेंगे और तब ही देश सही मायनों में तरक्की कर सकेगा।

हमारे देश में कपास ज्यादा पैदा हो तो किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। हमारे श्री चट्टोपाध्याय जी जब मंत्री थे तो मैंने उनसे पूछा था कि देश में कितनी कपास पैदा हो रही है और जो बाजार में आ रही है, उसको खरीदने के लिए कुल कितनी रकम की जरूरत होगी? उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक हजार करोड़ रूपयों की जरूरत होगी। इसके विपरीत काटन कारपोरेशन को कितना रूपया दिया गया? उसको केवल मात्र 10 करोड़ रूपये दिये गये। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर किसानों के साथ दूसरा खिलवाड़ नहीं हो सकता है। आज हमारे देश में गुड़ की पैदावार ज्यादा हो गई तो उसके लिए सरकार सौ, दो सौ करोड़ रूपये देने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार के विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर, गुड़ का संग्रह किया गया तो गुड़ पानी में बदल जाता है। हमारी सरकार के पास बड़े-बड़े साइंटिस्ट है, बड़े-बड़े विशेषज्ञ है, वे इस बात को नहीं जानते हैं कि देहात में किसान अपने गुड़ को तीन-तीन साल तक रखते थे। आपके विशेषज्ञ इसका तरीका नहीं बता सकते हैं। वे तो कहेगे कि ज्यादा दिनों तक रखने से गुड़ पानी हो जाता है। ये लोग तो किसान का ही पानी बना देना चाहते हैं। गुड़ पैदा करने वाला किसान आज तबाह हो गया है। इसके बावजूद भी कहा जाता है कि हमारे देश का किसान पैसे वाला हो गया है। इसलिए, उस पर भी टैक्स लगना चाहिए।

मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में किसान एक ऐसा तबका है जो मिनटों में सरकार को बदल सकता है। मजदूर कितना भी आन्दोलन करें वे ऐसा नहीं कर सकते हैं किसानों ने हमारे देश में जनता पार्टी को हुकूमत दिलाई है और यह भी सभी जानते हैं कि किसानों ने एक ही हवा

के झटके में कांग्रेस की सरकार को खत्म कर दिया। अगर, जनता पार्टी का रवैया भी वही रहा तो हमारे देश के किसान जनता पार्टी की सरकार को भी अगले चुनाव में एक दो दिन में ही हवा में उड़ा देंगे। इतनी बड़ी शक्ति किसानों के पास है इसका सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसकी शक्ति को पहचानना चाहिए।

हमारे देश में आज स्थिति यह हो गई है कि अगर, किसान कपास पैदा करे तो उसका कपास खरीदने वाला कोई नहीं होता है। सरकार विदेशें से कपास मंगाने पर पैसा खर्च करती है। लेकिन, देश के किसानों को पैसा नहीं देती है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की स्थिति समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी नीतियेां में परिवर्तन लाना चाहिए। जब तक आप इस नीति को नहीं बदलेंगे और बड़े-बड़े कारखानों की बात करेंगे तब तक इस देश से बेकारी दूर होने वाली नहीं है। बड़े-बड़े कारखाने लगाने से बेकारी दूर नहीं हो सकती है।

मैं समझता हूँ कि जनता पार्टी इसलिए जीती थी कि हमारे देश में जितनी भी योजनायें बनीं उनसे बेकारों की तादाद बढ़ती चली गई। उन बेकारों ने मिल करके मेंम्बरों का घेराव किया। चाहे गुजरात हो या बिहार, सभी जगह यही स्थिति रही। मैं समझता हूँ कि बेकारी की समस्या केवल मात्र कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से ही हल हो सकती है। इसलिए, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी सरकार के पास जो पैसा है, उसको केवल तनख्वाह देने पर ही खर्च नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को यह पैसा सस्ते ब्याज पर ऊपर किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए देना चाहिए और उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

रूपया तो बहुत है हमारे बैंको में। 13 हजार करोड़ रूपये में से एक हजार करोड़ रूपया आपने कृषि की उन्नति के लिए दिया है। जो अर्थशास्त्री हैं, वे जरा कान खोल कर सुन लें और वे यह न समझें कि वही दुनियां में सबसे होशियार हैं। जो रेडियो सुनते हैं, वे एक एक बात जानते हैं कि उनको कितना हिस्सा 13 हजार करोड़ रूपए में से बैठना चाहिए। किसानों को 10-

11 हजार करोड़ रूपया मिलना चाहिए, जबकि मिला है केवल 1 हजार करोड़ रूपए। यदि आप यह कहते हैं कि पैसा हमारे पास आ गया है तो इससे आप बहका नहीं सकते। वह जमाना अब चला गया, जबकि सरकार का बड़ा दबाव होता था और सरकार के दबाव में गरीब किसान बोल नहीं सकता था, किसान आवाज नहीं उठा सकता था।

एक बात मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता पार्टी वालों कान खोल कर सुन लो कि अगर, हमारे गुड़ का पानी बन गया तो हम जनता पार्टी का पानी बना देंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं होते। अगर, गन्ना जलाना पड़े तो उसमें स्वाह जनता पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी तो स्वाह हो चुकी है। यह सब समझकर ही अपनी नीति तय करो और जो चौधरी चरण सिंह कहते हैं, उनकी आर्थिक नीति पर इस देश को चलना चाहिए। इसी से देश आगे बढ़ सकता है। किसान आगे बढ़ सकता है। देश मजबूत हो सकता है और देश तरक्की कर सकता है। चन्द तनख्वाहदारों की तरक्की से कभी नहीं हो सकती।

देश की तरक्की 60 करोड़ भाईयों की तरक्की है, यह तरक्की चन्द कारखानेदारो। बड़े-बड़े कारखानेदारों से नहीं होगी। यह बहलावा कांग्रेस का नहीं चला कि जमीन बांटेंगे। वह 30 साल तक हरिजनों को भुलावे में रखते रहे। लेकिन, अब वह जनता पार्टी के भुलावे में नहीं आयेंगे। जमीन बांटने का जो भुलावा उनको तदिया गया था, उससे वह निकल गए है। अब आपका काम यह होना चाहिए कि कृषि तरक्की करे, अधिक जमीन में पानी आए, उसकी पैदावार बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। अब यह नारा कि जमीन बाटेंगे, वह जमाना अब चला गया। उसका आनन्द तो हम ले चुके, उसकी मलाई तो हम खा गए। जनता पार्टी को यह मलाई मिलने वाली नहीं है। जनता पार्टी मलाई तभी खा सकती है। जबकि किसान तरक्की कर सके।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे बिजली के संस्थान हैं, उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। सिंचाई पानी की हमारी जितनी योजनायें है, सिंचाई की जो योजनायें है, उसके ऊपर ब्याज का लेन-

देन और उसका खाता ही बन्द कर देना चाहिए। अगर, इस खाते को आप बन्द नहीं करेंगे तो कोई अदा नहीं करेगा, आप केवल कागज गंदा करेंगे और पैसा आपको मिलेगा नहीं। किसानों ने पैसा नहीं दिया तो हमने जबरदस्ती की। इसलिए, इधर बैठ गए। अगर, जनता पार्टी के लोग भी ऐसा ही करेंगे तो फिर हम उधर आ जायेंगे, इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे

किसान के ऊपर टेढ़ा टैक्स, सिंचाई टैक्स या इसी तरह के दूसरे टैक्स लगाकर देश की तरक्की नहीं हो सकती। कपड़े के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई तो उसका असर किसान पर ही अधिक हुआ है, क्योंकि, इसका इस्तेमाल 60 फीसदी किसान ही करता है। इस तरह आप किसान को भुलावा देने की कोशिश मत करो, यह भुलावा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समाज और देश आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। एक कन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम यही है कि सरकार जो देश को बनाने की योजना लाए उसका स्वागत करे और जो भुलावे में डालने की योजना लाए, उसकी मुखालफत करे।

जनता पार्टी शासन की कथनी करनी में अन्तर*

{अपने संसदीय जीवन की अन्तिम पारी में चौधरी रणबीर सिंह का राज्य सभा में विनियोग विधेयक 1978 पर अन्तिम में से यह एक भाषण है जिसमें उन्होंने ग्रामीण विकास के सवाल पर जनता पार्टी की कथनी व करनी में अन्तर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर जो तरीका पहले (कांग्रेस शासन में) था वही तरीका आज (जनता शासन में) भी है। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके ग्राम विकास के नाम पर नौकरियां देने के काम को बंद करके गांवों की तरक्की के लिए काम हो। -सम्पादक ।}

————————

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, दोनों विधेयक जो संसद की मंजूरी से ज्यादा खर्च हुआ है, उसकी मंजूरी देने के लिए लाये गये हैं। पहले विधेयक में तो 1976-77 के साल में जो ज्यादा खर्च हुआ है, उसका जिक्र है दूसरे विधेयक में। जो जनता पार्टी के राज का सवाल है, उसमें जो ज्यादा खर्च हुआ है, उसका जिक्र है। उपसभाध्यक्ष जी, 37 अरब 63 करोड़, 86 लाख 77 हजार रूपये का यह खर्च इसमें दर्ज है। जहां तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह देखकर ताज्जुब होता है कि कुछ बातें जो चार्जड होती है। उनका ज्ञान भी पहले वित्त मंत्रालय को नहीं था। पहले मिला था कि 1977-78 का बजट पिछली सरकार ने बनाया था। लेकिन, अब ऋण की

**Rajya Sabha, Appropriation Bill, 1978, 22 March 1978, Page 124-132*

वापसी के लिए 2988 करोड़ रूपया रखा गया है उसका भी वित्त मंत्रालय को ज्ञान नहीं था कि ऋण कब वापस होगा ? यह बजट में रखा नहीं। इससे जाहिर होता है कि वित्त मंत्रालय कितनी समझ से काम करता रहा है ?

इसके अलावा बड़ा शोर था कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जनता पार्टी बड़ी उत्सुक है। अगर, देखा जाये कि जो खर्चा हमने मंजूर किया उसके अलावा कितना ज्यादा खर्च हुआ है, इस साल में तो वह भी देखकर ताज्जुब होता है कि उनकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उपसभाध्यक्ष जी, अगर, आप देखें तो पायेंगे कि कृषि पर 115 करोड़ रूपया अधिक खर्च हुआ है और किस लिए हुआ ? आपको मालूम है कि पानी की बाढ़ आयी। समुद्री तूफान आया और इन सबके लिए 115 करोड़ रूपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। सिंचाई के लिए दो करोड़ 32 लाख रूपया ज्यादा खर्च किया गया। इसके अलावा खाद्य वगैरह के लिए 17 करोड़ 98 लाख रूपया खर्च किया गया।

बड़ा जिक्र था कि छोटे-छोटे घरेलू और ग्रामीण उद्योगों की बड़ी तरक्की की जाएगी। इसके विपरीत अगर, देखा जाये तो मुझे मालूम नहीं कि माननीय बीजू पटनायक साहब मोरारजी की वजारत में कितने मजबूत है, लोहा जितना मजबूत होता है, उतने ही हैं या कम है ? लेकिन, इस बात से यह जाहिर होता है कि इस्पात विभाग के ऊपर फालतू पैसा खर्च किया, वह 220 करोड़ रूपया है और यह वह खर्च है, जिसकी संसद को मंजूरी देना होता है।

मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि जो तरीका पहले था, वही तरीका आज भी कायम है। वित्तमंत्री जी ने जब जवाब दिया था, तो उन्होंने जिक्र किया कि किसानों के लिए कर्जे दिए जायेंगे 11 फीसदी ब्याज पर। उन्होंने जिक्र किया कि 7,000 करोड़ से ज्यादा बिजली के संस्थानों पर पैसा लगा है और एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि देश के बिजली के संस्थानों ने 858 करोड़ लगभग ब्याज अदा नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि हमें जो एक्साइज ड्यूटी कोयले के ऊपर लगानी पड़ी या बिजली के उत्पादन पर लगानी पड़ी, वह इसलिए जरूरी थी कि बिजली के संस्थानों का खर्च पूरा कर सके। खर्च पूरा करना तो बड़ा आसान है। यह बनियेपन की बात सरकार

छोड़ दे। बनिया बुद्धि को छोड़ दीजिये। 858 करोड़ माफ कर दीजिए। पैसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जब तक बनिया बुद्धि रहेगी, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। अगर, बिजली के संस्थान बिजली पैदा न करें। तो कितने करोड़ों का सामान बाहर से मंगवाना पड़ेगा, उसका भी हिसाब देखें। इसी तरह से सिंचाई विभाग का सवाल है सिंचाई विभाग में जितनी योजनायें देश के आजाद होने के बाद बनी हैं, उनमें से कोई एक-आध हो में कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि भाखड़ा भी घाटे की योजना है, उसके अलावा तो सभी घाटे की है। यदि वे ब्याज अदा नहीं कर सकते हैं तो कौन सी समस्या पैदा हो गई? हिसाब लगाया जाये, जब से देश आजाद हुआ कोई कम से कम 4500 करोड़ रूपया तो अनाज की सब्सिडी उपभोक्ताओं के लिए दिया गया। सिंचाई विभाग की तरक्की के लिए कितना दिया गया, वही 4500 या 5000 करोड़ रूपया। क्या आप इस देश में उपभोक्ताओं को ज्यादा सब्सिडी देना चाहते हैं? अब तक जो तरीका रहा, वह उपभोक्ताओं को अनुदान देने का तरीका रहा। इसीलिए देश की तरक्की जितनी तेजी से होनी चाहिये थे, उतनी नहीं हुई। कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे देश में पिछले 30 साल में 7-8 हजार करोड़ की मालियत की कृषि पैदावार अन्न आदि बाहर से मंगवाया गया। अब हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा सिंचाई के ऊपर लगा, कुछ बिजली के संस्थानों पर लगा, तो हमारी सरकार को परेशानी है कि गुड़ कहां बेचे। चीनी कहां बेचे और पिछले 2-3 साल में गन्ने की पैदावार से विदेशी मुद्रा लगभग हजार करोड़ कमाई गई और गुड़ की खरीद के लिए हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारी सरकार का जो वित्त मंत्रालय है, वह ब्याज के लिए अनुदान नहीं दे सकता, किसी व्यक्ति को नहीं। प्रदेशों को नहीं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज तो ज्यादा मुख्यमंत्री जनता पार्टी के ही है, जब उनकी नेशनल डिवेलपमेंट कौन्सिल में बात आई तो उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास की खाली बातों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए पैसा ज्यादा निकालना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी बैठे है, जो 13 हजार करोड़ रूपया बैंक उधार देते हैं। हमारे देश में कृषि के लिए सिर्फ 1 हजार करोड़

रूपए दिया है तो उसमें कौन सी मुश्किल है? जो सरकारी बैंक है, उनको सलाह दें कि एक साल में 1 हजार करोड़ रूपया कृषि की तरक्की के लिए और अधिक दिया जाये, चाहे कोई छोटे-छोटे पम्प लगाना चाहे या दूसरी चीजे। आप जानते हैं। मैं उन सदस्यों में से नहीं हूँ जो मानता हो कि देश में कुलाक्स बसते हैं।

ये तो वहां कुलक होंगे, जहां कि देश के भूमि सुधार कानून जमीन के ऊपर लागू नहीं होते। या कोई और प्रदेश हो सकता है, उनको ज्ञान नहीं। उत्तर प्रदेश हो सकता है, उनको ज्ञान नहीं। उत्तर प्रदेश में 12 या 12-15 एकड़ की, इसी तरह से हरियाणा में 18 एकड़ भूमि किसान के एक कुटुम्ब के पास रह गई और उससे आज वह कितना पैदा कर सकता है? साल में कितनी बचत कर सकता है? 6-6 हजार से ज्यादा नहीं। उसको आप कहते हैं, कुलक है। इससे बढ़कर अन्याय और नहीं। जो आदमी देश के लिए वह चीज पैदा करता है। जिसके बिना कोई आदमी जिन्दा नहीं रह सकता। वह पाउडर के बिना जिन्दा रह सकते हैं, कपड़े के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन, अनाज के बिना कोई जिन्दा नहीं रह सकता।

SHRI HAMID ALI SCHANMNAD : On a point of information I want to ask one thing. Cannot one famiy have property in two or three States; 15 acres in Haryana, 15 acres in Punjab and 15 acres in Uttar Pradesh?

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, यह जवाब आपको देना है, मुझे तो देना नहीं। अगर, वह जानना चाहते हैं तो इसके लिए लाईब्रेरी है, पार्लियामेंट लाईब्रेरी उधर स्थापित है। वहां जाकर पढ़ लें। फिर उनको ज्ञान होगा। मुझे मालूम है, उनको गिला है। जो बात मैं कहता हूँ, वही उनको तकलीफ है, क्योंकि, केरल में और प्रदेशों से भी ज्यादा धक्का रहा है। किसानों को वहां संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ मैं हमदर्दी रखता हूँ। लेकिन, इनके जो विचार है कि कहीं पंजाब और हरियाणा के किसान लाखों एकड़, सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, वह गलत है। आपकी जानकारी के लिए मैं अपने गाँव का हिसाब आपको बता दूं। हमारे गाँव में 1 हजार कुटुम्ब हैं, जो खेती करते

हैं। मुश्किल से 15 कुटुम्ब होंगे, जिनके पास 10 या 15 एकड़ जमीन थी। इसलिए, आप यह न सोचें कि पंजाब और हरियाणा का किसान हजारों एकड़ या चार पांच हजार एकड़ की जमीन होगी। मेरे बाप के पास 5 एकड़ जमीन थी। इसलिए, आप यह न सोचें कि पंजाब और हरियाणा का किसान हजारों एकड़ की मल्कियत का है। वह एक दो एकड़ या चार पांच एकड़ में मेहनत करके कमाता है। गिल साहब बैठे हैं। आपको मालूम नहीं। लेकिन, मैं जानता हूँ कि उनके पिता के पास दस पन्द्रह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। कितनी मुश्किल से, कितनी कुश्ती करके यहां आये, कितने-कितने साहूकारों से मुकाबला करके यहां पहुंचना पड़ता है। उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन, आज किसान जागृत हैं, वहां से करोड़पतियों के नुमाइंदों को भागना पड़ा। अभी आपने देखा हरियाणा में बी.एल.डी. के निर्माताओं में से जो ये स्वतंत्र पार्टी के निर्माताओं में से थे, किस तरह से भागे हरियाणा से, क्योंकि, किसानों में जागृति है। मैं मानता हूँ कि वहां जनता पार्टी के लिए अभी श्रद्धा है और हम उस श्रद्धा को तोड़ नहीं सके और उसकी जीत है। लेकिन, अगर, कोई करोड़पति जनता पार्टी के नाम से आना चाहता है तो उसकी जमानत बचने वाली नहीं है। क्योंकि, किसानों में जागृति है।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन वित्तमंत्री जी से यही है कि आज से नहीं शुरू से, आपने देखा कि ग्राम विकास विभाग पर कितना खर्च हुआ है। विभाग को जाने दीजिए, ग्रामों पर खर्च कीजिये। कम्यूनिटी डेवलपमेंट में मुझे याद है कि पहली पांच साल योजना का खर्च 200 करोड़ रूपये था, जिसमें से 105 करोड़ रूपये कृषि के लिए कर्ज और 36 करोड़ रूपये का खर्च विभाग पर हुआ। इसी तरह से ग्राम विकास विभाग का खर्च है। मेहरबानी करके ग्राम विकास विभाग के नाम पर नौकरियां देने का जो काम है, उसको बन्द करके ग्राम की तरक्की के लिए लगे और ग्राम विकास के लिए मैं वित्तमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि 11 परसेंट नहीं, 4 परसेंट से ज्यादा किसान को सूद न देना पड़े तो इस देश में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा जितना पैसा सिंचाई और अन्य कामों के लिए किसानों को चाहिये, वह दें। वित्त मंत्री जी, मुझे मालूम है कि किसान के बेटे हैं और वह आईसी.एस. बन गये। वह शायद यह भूल गये होंगे कि कृषि को। लेकिन,

उनके भाई, रिश्तेदार आज भी खेती करते होंगे। उनका ज्ञान है। मैं उनसे कहता हूँ कि देश के किसानों के हित के लिए, देश के हित के लिए। आप अगर अनुदान देते हैं तो उपभोक्ताओं को अनुदान देना छोड़ दीजिये। सबसिडी देनी है तो ब्याज की सबसिडी दीजिए किसान को दीजिए। जितना रूपया छोटी सिंचाई के लिये एक आदमी लेता है। एक साल में वह उतना पैदा कर सकता है। उसके लिये न किसी प्रकार की सीलिंग खर्च पर हो, सरकारों के लिये हदबन्दी हो। न कि किसी किसान पर कोई खर्च पर हदबन्दी हो।

कोई बड़े से बड़ा किसान भी करोड़पति नहीं बना और न बन सकता है। बड़े से बड़ा किसान मुश्किल से दो हजार, पांच हजार या सात हजार रूपया कमाता होगा। करोड़पतियों को छः सात सौ करोड़ रूपया देते हो, उसका कोई जिक्र नहीं करते। हमारे जो विशेषज्ञ है, जो अर्थशास्त्री हैं, उनके ध्यान में कुलक शब्द जुड़ा हुआ है उनके दिमाग मैं यही रह गया है। कुछ भाईयों को गाली देने से राजनीति नहीं चला करती है। उपसभाध्यक्ष जी मेरा कोई इरादा किसी मंत्री के बारे में अपशब्द कहना नहीं है और न ही में ऐसा सोचता हूँ कि यह सही है। सही यह है कि मैं एक सुझाव दूं। जैसा इन्होंने कहा कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ायेंगे। लेकिन, वित्तमंत्री जी दो सौ करोड़ रूपया आप देते हैं। बड़े कारखानों वालों को छोटे किसानों को नहीं। नाम लेते हैं, छोटे कारखानों को बढ़ाने का। खेती जो 80 फीसदी आदमियों का धंधा है, उसके लिये 115 करोड़ रूपये और लोहे के कारखानों के लिये 220 करोड़ रूपये देते हैं। जिसका लम्बा कद है, उसको आप ज्यादा पैसा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लम्बे कद के नाते पैसा मत दीजिये। मैं मानता हूँ कि बीजू पटनायक जी लम्बे कद के होंगे और शायद मजबूत भी होंगे। लेकिन, हमारा बरनाला साहब की लम्बाई भी कम नहीं है। भानु प्रताप सिंह जी भी अच्छे और मजबूत है। देश को वह मजबूत बना सकते हैं। इसलिये, खेती की तरक्की के लिए उन्हें पैसा दीजिए। यह देश का पैसा है, किसान का पैसा है।

आप कहते आए हैं कि खेती और ग्रामीण क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है तो मैं पूछता हूँ कि क्यों आपने 43 फीसदी रूपया अपने अगले बजट में खेती के लिये, ग्रामीण उन्नति के लिये रखा है? आप जानते हैं कि किसानों की आबादी 80 फीसदी है और 30 साल तक आप

मानते हैं इनके साथ अन्याय हुआ है। फिर भी आपने केवल 43 फीसदी रूपया रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आप न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? यह मैं मानता हूँ कि यह कदम कुछ ठीक दिशा की तरफ है। लेकिन, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश तेजी से नहीं कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में पहले भी कांग्रेस थी, आन्ध्र में पहले भी कांग्रेस थी और अब फिर आई है। पर, इससे आपको डर जाना चाहिये या नहीं ? पता नहीं आगे क्या क्या होगा ? आप जानते हैं, 1971 में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन, 1977 में हमारा पता नहीं चला। क्या आप जानते हैं कि जनता पार्टी अगले पांच साल की अवधि करने की इच्छा थी। लेकिन, अब फिर आपकी नीयत छह साल की तरफ है। हो सकता है, यही डर आपको भी हो। यह भी मान लिया जाए तो अब केवल पांच ही साल रह गए हैं। अगर, आपने इसी तरह से 43 फीसदी बढ़ाया या दो-तीन-चार फीसदी बढ़ाते गये तो आपके खिलाफ भी वही इल्जाम होगा जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिये बहुत कम पैसा खर्च किया गया, जिसका परिणाम कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ा। इसलिये, आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा न करें। आप कम से कम 70 फीसदी पैसा इस पर खर्च करें। इस पैसे को कृषि, ग्रामीण क्षेत्र की तरक्की के लिये खर्च करें। मैं जानता हूँ कि अगर, आप बजट में ऐसा प्रोविजन कर देंगे, तीन हजार करोड़ रूपये खेती के लिये ले आयेंगे तो न जनता पार्टी का कोई भाई बोल सकता है और न कांग्रेस पार्टी का कोई भाई बोल सकता है। अगर, कांग्रेस पार्टी का कोई भाई बोलता है तो उसको शर्म आएगी। विरोधी दल के भाई अगर, बोलते हैं तो वे लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। इस सदन में। चैम्बर में हल्ला-गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा। इसलिये, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्याज की प्रथा को खत्म करे। प्रदेश सरकारों को सिंचाई के लिये जो पैसा दिया जाता है। उनके लिये ब्याज की प्रथा खत्म करनी चाहिये।

आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले सरकारी व विदेशी धन का उपयोग बिजली पैदा करने और बिजली के संयंत्र

खरीदने में किया जाना चाहिये, ताकि कृषि के हम जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कायम कर रहे हैं। उनको ठीक प्रकार से चलाया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक तरफ तो आप नोट छापते जायें और दूसरी तरफ हमारे देश में बिजली का उत्पादन न होने पाये। आप आज आठ सौ करोड़ रूपया बिना किसी अमानत के बदले में छाप रहे हैं। लेकिन, अगर, आप इन नोटों को सिंचाई के बांधो, डैम्स और बिजली पैदा करने और बिजली के यंत्रों की अमानत पर छापेंगे तो यह आपकी स्थायी सम्पत्ति होगी और इसको कोई भी नहीं चोर सकता है। हमारे देश की तरक्की होगी। मैं चाहता हूँ कि इस देश में नोटों का प्रसार होना चाहिए और कागज के इन नोटों की कमी से देश की तरक्की नहीं रूकनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

pk/kjh j.kchj flag % lf{kIr thou ?kVukØe

पिताश्री : चौधरी मातूराम

माताश्री : श्रीमती मामकौर

दादा जी : चौधरी बख्तावर सिंह

दादी जी : श्रीमती धन्नो

भाई–बहन :

1. डा. बलबीर सिंह
2. सुश्री चन्द्रावती
3. चौधरी फतेह सिंह

वर्ष	विवरण
1914 (26 नवम्बर)	: जन्म (रोहतक जिले के सांघी गाँव में)
1920	: प्राथमिक शिक्षा हेतु गाँव के स्कूल में प्रवेश।
1924	: प्राथमिक शिक्षा पूर्ण, गुरूकुल भैंसवाल में प्रवेश।
1929	: लाहौर अधिवशन में बड़े भाई के साथ शिरकत।
1933	: वैश्य स्कूल, रोहतक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण
1937	: रामजस कॉलेज, दिल्ली से बी.ए. उत्तीर्ण
1941	: सक्रिय राजनीति में प्रवेश
1941 (5 अप्रैल)	: प्रथम जेल यात्रा (व्यक्तिगत सत्याग्रह)
1941 (मई)	: जेल से रिहा
1941	: दूसरी जेल यात्रा
1941 (24 दिसम्बर)	: जेल से रिहा
1942 (14 जुलाई)	: पिताश्री का देहांत
1942 (24 सितम्बर)	: तीसरी जेल यात्रा (भारत छोड़ो आन्दोलन)।
1943 (25 अप्रैल)	: मुल्तान से लाहौर जेल में
1944 (24 जुलाई)	: जेल से रिहा
1944 (28 सितम्बर)	: चौथी जेल यात्रा (नजरबंदी उल्लंघन)

1944 (7 अक्तूबर)	: रोहतक जेल से अम्बाला जेल में
1945 (14 फरवरी)	: जेल से रिहा
1945	: पुनः गिरफ्तारी।
1945 (18 दिसम्बर)	: जेल से रिहाई।
1947 (10 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्य निर्वाचित
1947 (14 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्यता ग्रहण
1948 (6 नवम्बर)	: संविधान सभा में प्रथम भाषण
1952	: रोहतक लोकसभा सीट से विजयी
1957	: दूसरी बार लोकसभा के लिए विजयी हुए।
1962	: पंजाब विधान सभा में कलानौर से विजयी
1962	: पंजाब में बिजली व सिंचाई मंत्री
1966 (1 नवम्बर)	: हरियाणा–गठन।
	: मंत्री पद पर नियुक्त
1968 (12–14 मई)	: मध्यावधि चुनाव। हरियाणा विधानसभा के लिए विजयी
1972 (अप्रैल)	: राज्यसभा के लिए चुने गए
1977	: हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने
1978	: राज्यसभा में कार्यकाल सम्पन्न
1980	: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल सम्पन्न
2009 (1 फरवरी)	: निधन
2009 (2 फरवरी)	: रोहतक में 'समाधि–स्थल' पर अंत्येष्टि